राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ८] द्वितीय विधान सभा के आठवें सत्र, १९६० का चौथा दिवस [संख्या २

शनिवार, २७ फरवरी, १९६०

विधान सभा की बैठक प्रातः ११ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[सार्वजनिक निर्माण, गृह, स्वायत्त शासन, पंचायत, विद्युत, वित्त, यातायात, वन तथा खादी ग्रामोद्योग-विभाग]

प्रश्न संख्या ३४।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न। श्री लच्छूराम।

(अनुपस्थित)

श्री उम्मेदीलाल।

तहसील हिन्डौन के जगर बांध की पाल कम ऊंची होने के कारण नहर निकालने में कठिनाई

३५. श्री उम्मेदीलाल (करौली-सु०) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) क्या यह सही है कि तहसील हिन्डौन में जगर बांध की पाल ऊंची कम होने के कारण हिन्डौन के दक्षिणी और पश्चिमी इलाकों के लिए नहर नहीं निकल सकती है ?

(२) क्या सरकार इस बांध की १० फीट ऊंचाई करने का इरादा रखती है ? अगर हां, तो यह कब तक हो जावेगा ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : I think it should be postponed.

It is postponed.

प्रश्न संख्या ३६।

श्री शिवचरणदास।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३७।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

Page No.2

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री उम्मेदीलाल ।

महुआ हिन्डौन रोड के बीच गम्भीरी नदी पर पुल बनवाना

३८. **श्री उम्मेदीलाल**(करौली-सु०): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :

क्या सरकार महुआ हिन्डौन रोड के बीच में गम्भीरी नदी पर पुल बनवाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो वह कार्य कब तक शुरू होगा तथा इसके लिये कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : जी हां। इसी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ३,००,००० रु०।

प्रश्न संख्या ३६।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४०।

श्री मदनसिंह दांता।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४१।

श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४२।

श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४३।

श्री रामधन।

(अनुपस्थित)

श्री उम्मेदीलाल।

थाना हिन्डौन के कैदियों के लिए खाने की उपयुक्त व्यवस्था

४४. **श्री उम्मेदीलाल** (करौली–सु०) : क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सच है कि थाना हिन्डौन के कैदियों को खाने के लिये राशन कुल आधा सेर प्रति दिन का मिलता है और उससे उनका पालन नहीं हो सकता ?

(२) क्या सरकार इस राशन की मात्रा को बढ़ा कर तीन पाव प्रति कैदी प्रति दिन करने का इरादा रखती है ? अगर हां, तो यह कब तक हो जावेगा ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) प्रत्येक पुलिस बंदीगृह के बंदी को आरक्षी विभाग हिन्डौन में आधा सेर आटा व अन्य आवश्यक सामग्री प्रतिदिन वितरण की जाती है।

(२) यह सरकार के विचाराधीन है।

Page No.3

श्री उम्मेदीलाल : दो फुल्के शाम को और दो फुलके सुबह मिलते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : फुल्के कितने मोटे ?

(हंसी)

श्री उम्मेदीलाल : फुल्के बहुत पतले हैं।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या इसी अनुपात से और जेलों के कैदियों को भी खाना दिया जाता है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह जेल के कैदियों का सवाल नहीं है।

श्री दलपतसिंह (आबू) : उनको फ्रूट्स वगैरह भी दिये जाते हैं कि नहीं ?

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : रामराज्य होगा तब दिये जायेंगे।

श्री रामकिशोर व्यास : उनको फुल्कों के साथ दाल देते हैं, सब्जी देते हैं।

प्रश्न संख्या ४५।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४६।

रावराजा श्री सरदारसिंह।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४७।

श्री प्रभुलाल पुरोहित।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४८।

श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४९।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री जयचन्द्र मोहिल।

सरकारी कर्मचारियों को होम डिस्ट्रिक्ट या होम डिविजन में रखना

५०. श्री जयचन्द्र मोहिल (कपासिन-सु०) : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि राज्य सरकार में २५०) रु० की तनख्वाह से कम पाने वालों की तैनाती होम डिस्ट्रिक्ट में जगह न होने पर होम डिविज़न में रखने का कोई सर्कुलर या नियम है ?

(२) कितने असिस्टेन्ट जेलर्स ऐसे हैं जो इस समय होम डिविज़न में नहीं हैं ?

(३) असिस्टेन्ट जेलरों का ग्रेड क्या है ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी हां। इस तरह का आदेश है कि २५० रु० से कम तनख्वाह पाने वालों का जहां तक हो सके डिविज़न से बाहर तबादला न किया जावे।

(२) २६ असिस्टेन्ट जेलर हैं जो इस समय होम डिविज़न में नहीं हैं।

(श्री रामकिशोर व्यास)

(३) ग्रेड ६०.४.८०.५.१०० ई० बी० ५.१३० ।

श्री जयचन्द्र मोहिल : राजस्थान में कुल जेलर्स कितने हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : जेलर्स या टेलर्स ?

श्री जयचन्द्र मोहिल : जेलर्स।

श्री रामकिशोर व्यास : यह मुझे इस समय मालूम नहीं है ।

प्रश्न संख्या ५१ ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामधन ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ५२ ।

श्री प्रभुलाल पुरोहित ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ५३ ।

श्री रामनारायण वर्मा ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ५४ ।

रावराजा श्री सरदारसिंह ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

डॉ० बहादुरसिंह ।

कांकरोली बिजलीघर के बिजली का वितरण

५५. डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कांकरोली में बनाये गये बिजलीघर से राजसमन्द, कांकरोली कस्बों को कब तक बिजली दी जा सकेगी ?

(ख) बिजलीघर बन जाने पर भी विद्युत की व्यवस्था अब तक नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (क) १९६०–६१ में ।

(ख) बिजली घर अभी पूरा नहीं हुआ है ।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या सरकार को मालूम है कि चातुर्मास में द्वि–शताब्दी तेरह पंथी सम्मेलन होने जा रहा है, क्या उस समय इस समारोह में उनको बिजली दी जा सकेगी ?

श्री हरिश्चन्द्र : बिजली की व्यवस्था जल्दी से जल्दी की जायेगी ।

डॉ० बहादुरसिंह : वहां के स्थानीय एम. एल. ए. ने भी कहा है कि वहां इस समारोह में बिजली दी जाय तो मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या उस समारोह में बिजली दी जा सकेगी ?

श्री हरिश्चन्द्र : कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी बिजली दी जाय । इससे ज्यादा इस समय में कुछ नहीं कह सकता ।

डॉ० बहादुरसिंह : अखिल भारतीय स्तर पर तेरह पंथी द्वि–शताब्दी समारोह हो रहा है तो उस समारोह पर बिजली दी जा सकेगी कि नहीं ?

Page No.5

श्री हरिश्चन्द्र : आप बिजली के लिये फरमा रहे हैं। मैंने अर्ज किया न कि जल्दी से जल्दी कोशिश की जा रही है कि बिजली दी जाय।

प्रश्न संख्या ५६।

श्री उपाध्यक्ष: रावराजा श्री सरदारसिंह।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ५७।

श्री रामकरणसिंह।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ५८।

रावराजा श्री सरदारसिंह।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ५६।

श्री रामकरणसिंह।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ६०।

रावराजा श्री सरदारसिंह।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री जयचन्द्र मोहिल।

राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड

६१. श्री जयचन्द्र मोहिल (कपासिन-सु०) : क्या खादी ग्रामोद्योग मंत्री निम्न-लिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के कुल कितने सदस्य हैं और उनके नाम क्या हैं ?

(२) बोर्ड के इन सदस्यों की नियुक्ति किन आधारों पर की गई है ?

(३) खादी कार्य के अलावा अन्य ग्रामोद्योग कार्य के लिये बोर्ड में कौन कौन सदस्य, किस किस कार्य का प्रतिनिधित्व करते है ?

(४) क्या खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में कोई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति में से भी सदस्य लिये गये हैं ? यदि हां, तो किन किन को ? और अगर नहीं तो क्यों नहीं ?

(५) वर्तमान गठित खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की अवधि कब से कब तक है ?

खादी ग्रामोद्योग मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (१) राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड में कुल १४ सदस्य हैं जिनके नाम निम्न प्रकार हैं :

१. श्री गोकुलभाई जी भट्ट
२. श्री जयनारायण व्यास
३. श्री रामेश्वरजी अग्रवाल
४. श्री जवाहरलालजी जैन
५. श्री ओमदत्तजी शास्त्री
६. श्री फूलचन्दजी अग्रवाल
७. श्री ब्रह्मदत्तजी शर्मा
८. श्री बालकृष्णजी गर्ग
६. श्री बद्रीनारायणजी सोडानी

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

१०. श्री लाला काशीरामजी

११. श्री कृष्णचन्द्रजी माथुर

१२. श्री सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग

१३. श्री उप-सचिव, अर्थ विभाग

१४. श्री संचालक उद्योग एवं वाणिज्य विभाग

(२) जो व्यक्ति खादी तथा ग्रामोद्योग कार्य के पुराने अनुभवी हैं; तथा रचनात्मक कार्य में सक्रिय योग देते रहे हैं, इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रख कर नियुक्तियां की गई हैं।

(३) इस तरह का कोई विभाजन नहीं है।

(४) बोर्ड के अधिनियम में इस प्रयोजन हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

(५) बोर्ड के अधिनियम के अन्तर्गत समय के लिये कोई अंकन नहीं है।

श्री जयचन्द्र मोहिल : क्या यह सही है कि खादी ग्रामोद्योग का काम अनुसूचित जातियां व अनुसूचित जन जातियां करती हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जी हां, वे भी करती हैं।

श्री जयचन्द्र मोहिल : फिर उन्हें इस बोर्ड में क्यों नहीं रखा गया है; उनकी उपेक्षा क्यों की गई है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : बोर्ड में कोई लाज़िमी प्रावधान नहीं है कि उनको रखा जाय।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या बोर्ड के नियमों में यह प्रावधान रखने का सरकार विचार करेगी ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अभी तो कोई विचार नहीं है।

श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : क्या सरकार यह उचित समझती है कि जो लोग यह धंधा करते हैं उनका प्रतिनिधित्व इस बोर्ड में लिया जाय ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : लिया जाय तो बुरा नहीं।

(हंसी)

श्री रामचन्द्र : फिर लिया क्यों नहीं जाता ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इस पर विचार किया जा सकता है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : जैसा कि आपने बताया खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किया जाता है तो उस गठन में एक मात्र आधार रचनात्मक कार्य करने वालों को लिया जाने का रखा गया है, तो क्या इसके जितने सदस्य हैं वे सब रचनात्मक कार्यक्रम की पद्धति में काम कर रहे हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जी हां, जितने हैं वे खादी संस्थाओं के प्रतिनिधि हैं और जो ग्रामोद्योग में लगे हुए हैं; जाने-पहिचाने पुराने आदमी हैं। दूसरा सवाल भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया, उनको कह सकता हूँ कि इस क्वालिफिकेशन के आदमी अगर हों तो उनको लेने में मुझे प्रसन्नता होगी।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सभी सदस्य ऐसे हैं जो रचनात्मक प्रवृत्ति में लगे हुए हैं; उनकी ऐसी कौन सी रचनात्मक प्रवृत्तियां हैं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैंने अर्ज किया न कि जैसे श्री जयनारायणजी व्यास....

श्री उपाध्यक्ष : किसी मुख्य सदस्य को पूछते हैं ?

श्री मुरलीधर व्यास : सभी ऐसे हैं क्या ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : सभी ऐसे हैं।

एक माननीय सदस्य : क्या रचनात्मक कार्यक्रम के लिये लाइसेंस लेना पड़ता है।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : जनता द्वारा।

श्री मुरलीधर व्यास : फिर इसमें एक ही दल का प्रतिनिधित्व क्यों है, सभी को इसमें भाग लेने का मौका मिलना चाहिये।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इसमें कोई दल की दृष्टि नहीं है। जैसे श्री रामेश्वरजी हैं, जवाहरलाल जैन हैं, बद्रीनारायणजी सोडानी हैं किसी दल के नहीं हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : बाकी दूसरे तो दल विशेष के आदमी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोकुलभाई भट्ट हैं जो किसी दल विशेष के होते हुए भी किसी दल के नहीं हैं।

(हंसी)

श्री जयचन्द्र मोहिल : इन सदस्यों में चर्म विशेषज्ञ कौन हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : विशेषज्ञ तो इसमें इस समय कौन हैं मुझे याद नहीं पड़ता, लेकिन दो सदस्य हैं। हमारे यहां कमेटी है उसमें कंवरलाल जेलिया और सूरजमलजी हैं। चर्म विशेषज्ञ सदस्य बने हैं, उस कमेटी में ये दोनों हैं।

डॉ० चन्द्रकला : क्या सूरजमलजी चर्म विशेषज्ञ हैं; या पेशा है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : कंवरलालजी जेलिया का खानदानी पेशे के अलावा जब वर्धा में चर्म का कार्य खुला था तो ये पहले विद्यार्थी थे।

श्री रामचन्द्र : कंवरलालजी जेलिया वैतनिक कर्मचारी हैं या सदस्य हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह आप अलग से प्रश्न करें।

एक माननीय सदस्य : जबाब नहीं मिला साहब।

श्री उपाध्यक्ष : जबाब मिल गया। अलग से प्रश्न पूछें।

नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६२।

श्री रामकरणसिंह।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्री प्रभुलाल पुरोहित।

दौसा लालसोट रोड पर पड़नेवाले नालों के कारण असुविधा

६३. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) दौसा लालसोट रोड पर स्थित नालों के कारण यातायात की असुविधा और अव्यवस्था को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(२) क्या इन नालों में से कुछ ठीक किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(३) यदि ये नाले ठीक किये जाने हैं, तो कब तक ?

(४) सरकार का राहूवास बंध तथा झिलमिली बंध के कारण जो सड़क की दुर्दशा है और यातायात की महती असुविधा है उसे दूर करने के विषय में क्या इरादा है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) दौसा लालसोट सड़क की पुलिया तृतीय पंचवर्षीय योजना में शामिल की जाने की संभावना है।

(२) जी नहीं।

(३) प्रश्न नहीं उठाता।

(४) सड़क की मिट्टी का काम चालू है और मेटीरियल के टेन्डर मांगे हैं।

डॉ॰ बहादुरसिंह (धौलपुर) : यह कितने पुलियों का काम है ?

श्री हरिश्चन्द्र : नम्बर मेरे पास नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६४।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन।

(अनुपस्थित)

नेक्स्ट।—श्री उम्मेदीलाल।

महुवा-करौली रोड पर मोटरों द्वारा हुए एक्सीडेन्ट्स में कार्यवाही

६५. श्री उम्मेदीलाल (करौली-सु०) : क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) महुआ-करौली रोड पर सन् ५५ से अब तक कितने एक्सीडेन्ट मोटरों द्वारा हुए हैं और उनमें से कितने मामले पुलिस में दर्ज हैं ?

(२) इन दुर्घटनाओं में कितने व्यक्तियों को सजा मिली व कितने बरी हुए और कितने केस अभी तक पैंडिंग हैं ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) महुवा-करौली सड़क पर सन् १९५५ से १२ फरवरी, १९६० तक ५५ दुर्घटनाएं हुईं। ५४ मामले पुलिस में दर्ज हुए। एक साधारण दुर्घटना का मामला था अतः मुकदमा दर्ज नहीं किया गया।

(२) इन मामलों में ११ व्यक्तियों को दण्ड मिला २४, को मुक्त किया गया (रिहा और बरी), १ के मुकदमें में राजीनामा हुआ एवं १२ व्यक्ति अभी भी न्यायालय में विचाराधीन हैं।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : कम्पाउन्ड हुआ वह किस नेचर का था ?

श्री रामकिशोर व्यास : कम्पाउन्डेबल था।

श्री श्रीभानसिंह : एक्सीडेन्ट किस नेचर के थे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

गवर्नमेंट ने उनमें इनीशियेटिव लिया या पार्टी ने कम्प्रोमाईज़ किया ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह मुझे मालूम नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ३६।

श्री शिवचरणदास।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

मेड़ता सिटी नगरपालिका के अध्यक्ष को अयोग्य घोषित करने हेतु कार्यवाही

३७. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि जिलाधीश नागोर ने सितम्बर माह में मेड़ता सिटी नगरपालिका के अध्यक्ष को अयोग्य घोषित करने को लिखा है ?

(२) यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री संपतराम) : (१) जी हां।

(२) अध्यक्ष से पूछा गया है कि वह इस पद से क्यों नहीं हटा दिया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : कब पूछा गया ?

श्री सम्पतराम : ३०.१.६० को।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : पहले पुराने एक्ट के अन्तर्गत मामला दिया गया था उसमें डिले क्यों हुआ ?

श्री सम्पतराम : गवर्नमेंट के पास आने के पहले प्राइमरी इन्क्वायरी करना जरूरी होता है और उसके बाद नोटिस आदि दिया जाता है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : (अश्रव्य)

श्री सम्पतराम : २५.४.६०।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्लेक्टर ने इन्क्वायरी करके भेजा था ?

श्री सम्पतराम : क्लेक्टर की इन्क्वायरी के बाद भी तो एक्सप्लेनेशन कॉल करना पड़ता है और फिर नोटिस दिया जाता है। और उसके बाद ही तो कोई कार्यवाही करनी पड़ती है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री शंकरलाल।

ग्राम पंचायत देवली कलां के सरपंच एवं अन्य पंचों के विरुद्ध हुई शिकायतों पर निर्णय

३६. **श्री शंकरलाल** (रायपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत

(श्री शंकरलाल)

देवली कलां, तहसील रायपुर के सरपंच व अन्य पंचों के खिलाफ काफी समय से शिकायत सरकार के समक्ष विचाराधीन है ?

(ख) ये शिकायतें क्या हैं और कब पेश हुईं ?

(ग) इनकी जांच कब की गई और कब रिपोर्ट सरकार के समक्ष पेश की गई ?

(घ) क्या यह सही है कि जांच करने पर शिकायतें सही पाई गईं और जांच अधिकारी ने पंचायत के सरपंच और अन्य पंचों को जिनकी भी गल्ती रही है हटाने की सिफारिश राज्य सरकार को की ?

(ङ) क्या यह सही है कि डिप्टी मिनिस्टर के समक्ष सुनवाई के वक्त भी सरपंच व अन्य संबंधित पंच ने व उनके वकील ने गल्ती को मंजूर किया ?

(च) अभी तक सरकार द्वारा निर्णय नहीं देने का क्या कारण है और कब तक निर्णय दे दिया जायेगा ?

पंचायत मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (क) जी हां।

(ख) (१) आबादी भूमि के बाहर बाड़ा आदि बनाने के अनुचित हस्तक्षेप पर श्री मंगलराम टीबू आदि पर दिनांक ३१-१-५८ को २१), २१) रुपया जुर्माना करना। जब कि पंचायत १५) रु० से अधिक जुर्माना नहीं कर सकती।

(२) चमारों के कुन्डों आदि के बारे में ५१) रु० जुर्माना करना व पीनान्टी वसूल करना।

(३) सर्व श्री हीरालाल, घीसूलाल, लादूराम आदि ८ व्यक्तियों पर ११), ११) रुपया कुल ८८) रु० अवैध रूप से जुर्माना करना।

पहली दो शिकायतें ८-२-५९ को तथा तीसरी शिकायत २९-७-५९ को प्रस्तुत हुईं।

(ग) पहली दो शिकायतों की जांच १-३-५९ व २५-५-५९ को व तीसरी की जांच ६-८-५८ को की गई। पहली दो की रिपोर्ट ८-७-५९ को राज्य सरकार को प्रस्तुत की गई। तीसरी शिकायत १२-८-५९ को प्रस्तुत हुई।

(घ) जांच अधिकारी द्वारा शिकायतें सही पाई गईं।

(ङ) जी हां।

(च) सरपंच व पंचों को आरोप सूची देकर १७-८-५९ को बुलाया गया। उसके बाद विधि विभाग से भी दो बार सम्मति लेने की जरूरत पड़ी। शीघ्र ही निर्णय दे दिया जायेगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): इसके बहुत से मामले पड़े हैं क्या कारण है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जांच नहीं होने पाई। छानबीन में देर हो गई।

रावराजा श्री सरदारसिंह : छानबीन होकर बहुत से मामले पड़े हुए हैं। एल. आर. से राय लेकर आये हुए पड़े हैं, काफी समय हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष : There is no question before you, the Hon'ble Member.

Page No.11

श्री शंकरलाल : क्या विधि विभाग ने सरकार को यह राय दी है कि पंचायतों को हटा देना चाहिये क्योंकि उन्होंने अनाधिकृत चेष्टा की है.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह तो मैं अभी बताने की स्थिति में नहीं हूं। लेकिन जांच सही पाई गई ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : विधि विभाग ने अपनी राय क्या प्रकट की ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह अभी मेरे पास नहीं है।

श्री तेजाराम गलहोत (सोजत) : वे सेक्शन ७० के अनुसार पदों से हटाये जा सकते हैं। फिर भी अभी तक क्यों नहीं उनको हटाया गया ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैंने कहा कि विधि विभाग की राय है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या निर्वाचित पंचों को हटाने में इन्ट्रेस्टेड हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय ; सरकार यह चाहती है कि अच्छी तरह से काम चले इसलिये विधि विभाग की राय के लिये लिखा है।

श्री उपाध्यक्ष : इन्होंने कहा कि अभी उनको पता नहीं है, विधि विभाग की राय का।

श्री तेजाराम गहलोत : उन्होंने कहा कि उनकी राय आ चुकी है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : दुबारा लिखने की जरूरत पड़ी।

श्री तेजाराम गलहोत : जबाब देने के पहले देखने की जरूरत....

श्री उपाध्याय : I am certain the Hon'ble Member has never said that it has come.

नेक्स्ट। श्री मदनसिंह दांता।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह।

जयपुर में भरने वाले पशुओं के मेले (हटवाड़े) के रेन्ट कलेक्शन का ठेका

४१. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि जयपुर नगरपालिका द्वारा जयपुर में हर शनिवार को भरने वाले पशुओं के मेले (हटवाड़े) का रेन्ट कलेक्शन का ठेका दिया हुआ है ?

(ख) यदि हां, तो यह ठेका किन २ व्यक्तियों को किन २ शर्त पर दिया है ? ऐसे शर्त्तनामे की अथवा नियमों की जिनसे यह ठेका दिया जाता है प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ग) क्या नगरपालिका यह कर स्वयम वसूल नहीं करवा सकती है ? यदि हां, तो क्यों ?

(घ) पिछले ४ वर्षों के इस प्रकार के ठेके की रकम का कम्परेटिव स्टेटमेन्ट सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

Page No.12

(श्री भैरोंसिंह)

(ङ) क्या सरकार के ध्यान में है कि कॉन्ट्रेक्टर्स द्वारा ठेके की शरायत से अधिक रेन्ट (टैक्स) वसूल किया जाता है ?

(च) इस टैक्स की वसूली के लिये रसीद बुक किसकी ओर से तैयार की जाती है तथा उसका प्रोफॉर्मा क्या है तथा उस पर नगरपालिका की मोहर होती है या नहीं ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री संपतराम) :

(क) जी हां ?

(ख) सन् १६५६-६० का ठेका सर्व श्री राव गणपतसिंह, जहुर मोहम्मद को दिया गया है। शरायतनामें व ठेके के नियम की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ग) नगरपालिका यह फीस स्वयं वसूल कर सकती है। ठेका देने में ज्यादा सहूलियत रहती है ।

(घ) पिछले चार वर्षों का कम्पेरेटिव स्टेटमेन्ट सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(ङ) ऐसी कोई शिकायत सरकार के समक्ष पेश नहीं हुई है।

(च) रसीद बुक खुद ठेकेदार तैयार करता है जिसका प्रोफॉर्मा संलग्न है। उस पर नगरपालिका की मोहर नहीं होती।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : यह प्रोफॉर्मा नगरपालिका द्वारा प्रेस्क्राइब्ड है या नहीं ?

श्री सम्पतराम : कौनसा प्रोफॉर्मा ?

श्री भैरोंसिंह : जो आपने इसके साथ लगाया है ।

श्री सम्पतराम : हमने रेट्स वगैरह तय कर रखी हैं।

श्री भैरोंसिंह : इस ठेके के अनुसार जो रेट्स आपने बतायी हैं वे रेट्स एक दिन के किराये की हैं या दो दिन के किराये की ?

श्री सम्पतराम : यह तो रूल्स में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। जब वे यहां आकर ठहरते हैं तो बड़े जानवर का १३ नया पैसा और छोटे जानवर का ६ नया पैसा वसूल किया जाता है ।

श्री भैरोंसिंह : यह कितने दिन के लिए ?

श्री सम्पतराम : मुकम्मिल इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : जो किराया लिया गया है वह कितने दिन का लिया गया है ? १३ पैसे बता दिये, जानवर भी बता दिये, लेकिन है कितने दिन का यह रेन्ट ?

श्री सम्पतराम : हटवाड़े का मेला एक दिन ही लगता है। पहले दिन आते हैं तो दूसरे दिन चले जाते हैं, उसके बाद मेला नहीं लगता।

श्री भैरोंसिंह : मेला शनिवार को भरता है। मवेशी शुक्रवार को आ जायं और शनिवार को ठहर कर फिर न बिकने वाले जानवर इतवार को जांय तो आपके अनुसार कितने दिन का किराया वसूल होता है ?

Page No.13

श्री सम्पतराम : नियम में तो इस प्रकार की कोई बात नहीं है। मेला लगने से एक दिन पहले शाम को जानवर आते हैं और शनिवार को चले जाते हैं तो एक ही दिन का वसूल किया जाता है।

श्री भैरोंसिंह : इतवार को जाते हैं तो फिर कितने दिन का किराया लिया जाना चाहिये ?

श्री सम्पतराम : डिटेल्स में जानकारी नहीं है, यदि चाहेंगे तो दे दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : 'रूल्स में जानकारी दी हुई है कि एक दिन का किराया वसूल किया जाय, लेकिन तीन का वे वसूल करते हैं। आपने प्रश्न के उत्तर में बताया कि ठेका देने में ज्यादा सहूलियत होती है तो क्या खुद नगरपालिका को आर्थिक घाटा होता है ?

श्री सम्पतराम : ऐसा नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने कभी यह अनुभव किया है कि यदि नगरपालिका-मशीनरी के द्वारा वसूल कराया जाय तो ज्यादा आमदनी हो सकती है ?

श्री सम्पतराम : नगरपालिका द्वारा इस प्रकार से दो दफा कलेक्ट कराया गया था तो एक दफा ४६) रु० और दूसरी दफा ५०) रु० वसूल हुए। तो इसको ऑक्शन कर देना ही उचित समझा।

श्री भैरोंसिंह : सरकार ने दोनों तरह के आंकड़े तैयार किये होंगे कि सरकारी-मशीनरी से इतना वसूल होता है और ठेका देने से इतना वसूल होता है और ठेका देने से इतनी सरकार को बचत होती है, तो इसका कितना अन्तर आया और उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया ?

श्री सम्पतराम : मेरे पास इस समय इसके निश्चित आंकड़े नहीं हैं कि एक दिन का मेला लगा और उससे हमने इतनी वसूली की और ठेके की वसूली से इतनी कम हमारी वसूली हुई।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

ग्राम पंचायत नारलाई के पंच को पंचायत की मीटिंग में नहीं बुलाया जाना

४२. **श्री शंकरलाल** (रायपुर) : क्या मंत्री, पंचायत विभाग, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि श्री चतरलाल पंच, ग्राम पंचायत, नारलाई, जिला पाली ने पंचायत विभाग में एक आवेदन पत्र पेश कर शिकायत की थी कि उसे सरपंच द्वारा पंचायत की मीटिंग्स में नहीं बुलाया जाता है; क्योंकि वह सरपंच की गलत कार्यवाहियों में शामिल रहने से इन्कार करता है ?

(२) क्या इस शिकायत पर दिनांक २६. १०. ५६ को संयुक्त विकास आयुक्त (पंचायत) द्वारा यह आज्ञा जारी की गई थी कि पंच श्री चतरलाल को मीटिंग्स में बुलाया जाय ?

(३) क्या यह सही है कि उस आज्ञा का पालन नहीं किया गया ? यदि हां, तो सरपंच के खिलाफ इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

(४) क्या यह सही है कि तहसील पंचा-

Page No.14

(श्री शंकरलाल)

यत देसूरी ने भी ग्राम पंचायत नारलाई के सरपंच की कार्यवाही को नाजायज व अनुशासनहीन बताते हुए उसके विरुद्ध कार्यवाही करने की सिफारिश की है ?

पंचायत मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय): (१) जी हां ।

(२) जी हां ।

(३) जी हां । पालन नहीं किया जाना पाया जाता है । सरपंच को इस आरोप में पृथक किये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

(४) जी हां ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामधन ।

(अनुपस्थित)

श्री रामकिशन ।

(अनुपस्थित)

राव राजा श्री सरदारसिंह ।

कस्बा देवली व छावनी एरिया का पॉवर हाउस

४६. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि कस्बा देवली व छावनी एरिया में अंग्रेजों के राज्य काल से बिजली चालू थी ? अगर हां, तो क्या वह अब भी चालू है ?

(ख) क्या यह सही है कि वहां पॉवर हाउस बना हुआ है ? अगर हां, तो वहां कितने कितने ईंजन्स कितनी कितनी पावर के हैं ?

(ग) क्या सरकार ने उस पॉवर हाउस के दीगर कस्बों को बिजली देने के लिये कभी सर्वे कराया है ? अगर हां, तो कितनी कितनी दूरी तक बिजली दी जा सकेगी ?

(घ) क्या उस पावर हाउस से सरकार कोई छोटे कारखाने खोलने का विचार रखती है ?

विद्युत मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (क) वहां पर देवली युद्ध कालीन कैदियों के केम्प का एक छोटा सा बिजलीघर था जो कि बाद में पुनर्निर्माण केम्प (Resettlement Camp) के नाम से पुकारा जाता था । देवली क्षेत्र के निवासियों की कुछ आवश्यकतायें सम्भवत: इस बिजली घर द्वारा पूरी की जाती थी । उक्त केम्प की समाप्ति के साथ साथ यह बिजली घर भी बन्द कर दिया गया था ।

(ख) एक छोटा सा बिजली घर वहां अब भी विद्यमान है जिसमें निम्नांकित पेट्रोल चालित डी. सी. विद्युत यंत्र हैं :

१. २×३२ किलोवाट प्रत्येक

२. १×५ किलोवाट

३. १×५७ किलोवाट

(ग) चूंकि विद्युत निर्माण डी. सी. आधार पर हैं अत: इस विद्युत गृह से दूरस्थ स्थानों को बिजली देना सम्भव नहीं होगा ।

(श्री हरिश्चन्द्र)

इस प्रश्न पर उपयुक्त समय पर विचार किया जायेगा।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

रावराजा श्री सरदारसिंह : यह पॉवर हाउस बना हुआ है उसके बारे में सन् ५६ में जब अजमेर राजस्थान में मिला तब से क्वेश्चन चल रहा है तो उस समय यह जबाब दिया गया था कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के अन्दर में है और उनको मूव किया गया था। तो क्या यह सच है कि वास्तव में सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को मूव किया गया था ? यदि हां, तो क्या जबाब आया ?

श्री हरिश्चन्द्र : समझ में नहीं आया कि क्या पूछा।

रावराजा श्री सरदारसिंह : पॉवर हाउस देवली जब राजस्थान में नहीं मिला था तो अजमेर के अन्तर्गत था। जब अजमेर राजस्थान में मिल गया तो यह राजस्थान के अन्डर में आ गया। उस समय यह क्वेश्चन आया था तो मन्त्री महोदय ने यह फर्माया था कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के अधीन है इसलिए इसको टेक ओवर करने के लिए लिखा गया है तो क्या वास्तव में सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को लिखा गया था ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : जी हां, लिखा गया था और यह सही है। यह मामला डिफेन्स मिनिस्टरी के अन्तर्गत है और अभी मंजूरी आई नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : पावर हाउस बन्द पड़ा है। मंजूरी आयी नहीं। लोग-बाग हमेशा इस बात को कहते हैं कि अंग्रेजों के राज्य में तो अन्धेरा नहीं था और इस राज्य में अन्धेरा है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न पूछिये, भाषण नहीं दीजिये।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मिलीटरीवालों को देना चाहें तो दें, लेकिन इसका कुछ न कुछ तो तय होना चाहिये।

डा० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार जयपुर) : जबाब तो दे देते।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) तो क्या यह समझा जाय कि चार साल से केन्द्रीय सरकार से हमारे पास कोई जबाब ही नहीं आया ?

श्री रामकिशोर व्यास : पहले तय नहीं हुआ ?

श्री मुरलीधर व्यास : पहले तय क्यों नहीं हुआ ?

श्री रामकिशोर व्यास : बहुत से मामले पड़े हैं। कीमत का भी तो सवाल आता है। कितने में वे देते हैं और हमको कितने में लेना चाहिये, बहुत से ऐसे सवाल हैं जो एकदम तय नहीं हो जाते।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री मुरलीधर व्यास : यह ऐसा मुद्दा है, उपाध्यक्ष महोदय, कि नगर पालिका कितनी ही बार कह चुकी पर सरकार कुछ करती नहीं। मशीनरी खराब हो रही है, केन्द्रीय सरकार नहीं करती है तो कुछ दूसरी व्यवस्था होनी चाहिये।

Page No.16

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर-सु): जबाब तो देना चाहिये।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : आप किधर जाकर बैठे हैं। स्थानों पर तो नाम नहीं, लेकिन परम्परा की तो रक्षा होनी चाहिये।

(हंसी)

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : यह सीट शुभ है श्री हरिश्चन्द्रजी यहां बैठते थे, वे मिनिस्टर हो गये, ये सोचते हैं कि शायद वे भी मिनिस्टर हो जांय।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज़ !

श्री प्रभुलाल पुरोहित ।

सवांसा के सरपंच के विरुद्ध प्रेषित अयोग्यता की याचिका में कार्यवाही

४७. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) सवांसा, तहसील लालसोट के सरपंच के विरुद्ध अयोग्यता की याचिका राजस्थान सरकार के समक्ष पेश हुए कितने दिन हो गये ?

(२) इस विषय में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

पंचायत मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय): १. १ वर्ष ७ माह।

२. इस विषय में जिलाधीश, जयपुर के कार्यालय में चुनाव याचिका हुई, वह खारिज हो जाने से यहां का मामला भी समाप्त किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

जयपुर नगर विकास मंडल द्वारा प्लॉट्स का अलॉटमेन्ट

४८. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जयपुर नगर विकास मंडल के वर्तमान अध्यक्ष के कार्यकाल में कुल कितने प्लॉट्स का अलॉटमेन्ट किया गया ? इनमें सरकारी मुलाजिम कितने हैं तथा अन्य कितने ?

(ख) इन प्लॉट्स का अलॉटमेन्ट का निर्णय किस किस तारीख को लिया गया तथा इनका अलॉटमेन्ट लैटर कब कब इश्यू किया गया ? इसकी तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ग) इन प्लॉट्स के अगेन्स्ट में किस किस व्यक्ति की किस किस तारीख को कितनी कितनी रकम जमा हुई ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(घ) अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड की कितनी कितनी रकम कब से और किन किन में बकाया है? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सम्पतराम):

१. नगर विकास मंडल के वर्त्तमान अध्यक्ष के कार्यकाल में मंडल द्वारा कुल ३७२ अलॉटमेन्ट किये गये हैं जिनमें २७४ सरकारी मुलाजिम हैं तथा अन्य ६८ हैं।

(श्री सम्पतराम)

(ख) तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ग) तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(घ) तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची अति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

श्री भैरोंसिंह : क्या इनमें सरकारी मुलाज़िम ऐसे भी हैं जिन्होंने प्लॉट की रकम का फर्स्ट इन्स्टॉलमेन्ट भी जमा नहीं कराया है?

श्री सम्पतराम : हो सकता है किन्हीं किन्हीं केसेज़ में नहीं हुए हों।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि फर्स्ट इन्स्टॉलमेन्ट लेने से पहले ही सरकारी मुलाजिमान को प्लॉट्स अलॉटमेन्ट का लैटर दे दिया और उन्होंने उस पर अधिकार कर लिया?

श्री सम्पतराम : उनको टाइटल तो पेमेन्ट करने के बाद ही होना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह : मेरा सवाल यह है कि क्या उनको कब्जा करने दिया या नहीं?

श्री सम्पतराम : यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि फर्स्ट इन्स्टॉलमेन्ट जमा नहीं कराये तब तक उन नियमों के अन्तर्गत उस जमीन पर फिजीकल पजेशन नहीं कराया जा सकता?

श्री सम्पतराम : फिज़ीकल पजेशन से आपका मतलब क्या है?

श्री भैरोंसिंह : जिस जमीन का पट्टा न हो फिर भी उस जमीन पर मकान खड़ा कर दे?

श्री सम्पतराम : रुपया जमा नहीं कराया तो कन्स्ट्रेक्शन नहीं करा सकते।

श्री भैरोंसिंह : आइटम नं. ८ देखिये, क्या उसका पजेशन देने के बाद मकान बनवाया गया?

श्री सम्पतराम : इसकी जानकारी करके ही बता सकता हूं।

श्री भैरोंसिंह : रकम उनसे लेनी चाहिये ४,३७१ रु० और उनसे वसूल हुआ है २,१८६ रु० और बेलेन्स में निल बताया गया है, यह दो हज़ार का फर्क कैसे हुआ?

श्री सम्पतराम : इन्डिवीजुअल केसेज़ के बारे में जब तक मैं जानकारी नहीं कर लूं कुछ भी नहीं कह सकता।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार के ध्यान में ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनको पट्टा मिल गया किन्तु उन्होंने इन्स्टालमेन्ट के रुपये जमा नहीं कराये?

श्री सम्पतराम : आपने यह जानकारी दी है जांच करके बता सकता हूं।

श्री भैरोंसिंह : तो मैं क्या यह समझूं कि जो लिस्ट दी गई है वह गलत है?

श्री सम्पतराम : इसमें गलत सही का सवाल नहीं है इन्डिवीजुअल केसेज़ की

Page No.18

(श्री सम्पतराम)

जानकारी के बगैर मैं कैसे जवाब दे सकता हूं।

श्री भैरोंसिंह : आपके विभाग ने तो बेलेन्स के खाने में निल बता कर हमें मुगालते में डालने की कोशिश की है। उन्होंने देखा सदन में कौन जोड़ बाकी लगायेगा। क्या आप इस प्रकार का गलत उत्तर देने वाले अधिकारी के खिलाफ उचित कार्यवाही करेंगे ?

श्री सम्पतराम : आपने जो ८ नंबर के केस के बारे में जानकारी दी है उसकी मैं जानकारी करूंगा फिगर्स में तो फर्क मालूम होता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ऐसे अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेने के ऑर्डर्स इश्यू करेगी जिन्होंने पट्टा तो प्राप्त नहीं किया और मकान बनवा लिया ?

श्री सम्पतराम : वैसे आपने जो सारे फैक्टस बताये हैं उनकी जानकारी करने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि कुछ लोगों ने मकान बना लिया किन्तु उसका पट्टा उन्होंने हासिल नहीं किया और मकान किराये पर भी दे दिया; पट्टा उस समय दिया जाता है जब कि प्लॉट की पूरी रकम मिल जाये लेकिन ऐसा न करके मकान बना लिया गया और किराये पर भी दे दिया गया। सरकारी नियम के अनुसार फिजीकल पजेशन तो मिला नहीं, फिर भी मकान बना लिया; इस तरह जिन अधिकारियों ने रूल्स को वायोलेट किया है उनके खिलाफ क्या कोई कार्यवाही की जायेगी ?

श्री सम्पतराम : उपाध्यक्ष महोदय, ३७५ के करीब अलॉटमेन्ट हैं। प्रत्येक केस में क्या क्या इरर्रेगुलेरिटी हुई यह मैं नहीं कह सकता। मैंने इन्डिवीजुअल केसेज़ को स्टडी नहीं किया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बज़ार, जयपुर) : क्या सरकार इतने हाई परसेंन्टेज सरकारी कर्मचारियों को प्लॉट देना और प्राइवेट पार्टीज़ को बहुत कम देना उचित समझती है ?

श्री सम्पतराम : यह तो मैंने उत्तर में कहा ही है।

श्री भैरोंसिंह : क्या कुछ ऐसे प्लॉट्स भी हैं जिनका अलॉटमेन्ट तो १५। १।५६ को होता है और जिनकी डेट ऑफ कन्स्ट्रक्शन १५। १।५८ है ?

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभनगर-सु.) मेरा प्रश्न यह है कि हरिजनों को तो प्लॉट....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर! ऑर्डर! ऑर्डर !!

श्री भैरोंसिंह : क्या ऐसे भी प्लॉट्स हैं जिनका अलॉटमेन्ट तो बाद में बताया गया है और कन्स्ट्रक्शन की डेट पहले की बता दी गई है ?

श्री सम्पतराम : यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा हो सकता है, इसमें क्लेरिकल मिस्टेक हो सकती है।

श्री सम्पतराम : अगर इस प्रकार की गलती है तो मैं उसकी जानकारी करके

Page No.19

(श्री सम्पतराम)

आपको बता दूंगा। बहुत सी बातें आपने कही उनका बिना जांच कराये तो मैं जवाब दे नहीं सकता। जहां कहीं भी इस प्रकार की इर्रेगुलेरिटी हुई वहां किसी प्रकार की कार्यवाही करने की बात होगी तो कार्यवाही की जायेगी। यह तो बहुत लम्बी चौड़ी लिस्ट है और मैंने इसे इस नुक्ते निगाह से देखा भी नहीं है इसलिए ऑफ हैन्ड जावब देने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

अपलेखन के मामलों का अविलम्ब निबटारा

४६. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : Will the Finance Minister be pleased to state :

(1) When Shri R. C. Sinha, a senior R. A. S. Officer, was appointed to have the 'Write off' cases expedited ?

(2) What Departments he is concerned with and how many Departments outside Jaipur he has visited to expedite the work and how many times he paid personal visits to different Departments located at Jaipur ?

(3) How many cases of 'Write off' (number & amount involved) have been examined and disposed Off in various Departments by the officer till the end of Oct., 1959 ? A month-wise report be placed on the table of the House.

(4) What was the amount of total arrears outstanding as on 1. 4. 59 in various important revenue earning Departments with which the Officer is concerned ? Whether any assessment was made by the Officer concerned of the amounts likely to be irrecoverable in various Departments. If so, what is the position ?

(5) What is the percentage of the 'Write Off' cases examined by the Officer with regard to total arrears outstanding and amounts assessed to be irrecoverable ?

(6) Is he a whole time Officer for this work ? . What other (Gazetted and Non-Gazetted) staff is attached to him for this work ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (1) A Committee consisting of Shri R. C. Sinha, Officer on Special Duty, Finance Department, Shri P. S. Surana, Accounts Offcer, Finance Department (Commercial) (succeeded by Shri G. P. Agarwal from 2.1. 1960) and the Head of the Department concerned, was appointed to expedite action with regard to 'Write off' cases on 18-6-1959. It could, however, be formed only after the Accounts Officer joined its work in August, 1959.

(2) The Committee is concerned with 9 Depatments named below so far as 'Write off' work of irrecoverable arrears is concerned :

Page No.20

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

1. Revenue.
2. Forest.
3. Irrigation.
4. P. W. D.
5. Agriculture
6. Excise and Taxation.
7. Mines and Geology.
8. Transport.
9. Industries.

The Headquarters of all these Departments, except those of Excise and Taxation and Mines and Geology Departments, are located at Jaipur. The Offices of all these Departments at Jaipur and the local Offices of these Departments in the places where the Committee has toured have been visited. A tour programme of the Committee has to be prepared in consultation with local Officers keeping in mind the stage of the preparation of files which require examination on the spot. Besides Jaipur, the Committee has been so far able to visit the places named below:-

1. Kota (Offices visited-Revenue, Forest, P. W. D. and Transport)

2. Ajmer(Officer visited-All the 9 departments)

3. Udaipur (Offices visited-Revenue, Excise and Taxation and Mines and Geology Departments).

Personal visits to Departments located at Jaipur viz. (1) Revenue. (2) P. W. D., (3) Transport, (4) Forest, (5) Industries, (6) Agriculture, (7) Irrigation. were made twoor three times, in addition to visit to the Secretariat Departments for dealing with the cases requiring sanction of the Government.

3. A statement No. A is placed on the Table of the House.

4. A statement No. B. is placed on the Table of the House.

The assessment of amounts likely to be irrecoverable in the various epartments was to be made by the Departments themselves and not by the Committee. Full facts regarding this have not been reported by all the departments so far.

5. A statement No. C is placed on the Table of the House.

6. Yes. While Shri R. C. Sinha is working whole-time on the Committee, the other 2 members viz. the Accounts Officer and the Head of the Department concerned are part-time. The other staff attached to the Committee consist of an Accountant-full-time, a Stenographer-full time and an Upper Division Clerk-full time, besides two Class IV servants.

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह जो आपने टोटल अमाउन्ट ११ करोड़ के करीब का दिया हैं उसमें एग्रीकलचर डिपार्टमेंट के फिगर्स तो अवेलेबल नहीं हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : वह अभी तक प्राप्त नहीं हो सके ।

Page No.21

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो अमाउन्ट राइट ऑफ किया गया है क्या उस अमाउन्ट के अन्दर भूतपूर्व उदयपुर रियासत के द्वारा टैक्सटाइल मिल्स की रॉयल्टी की जो रकम बाकी थी वह भी इसी में है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैं इन्डिवीज्युअल केसेज के बारे में कुछ नहीं कह सकता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस कमेटी की अवधि कब तक के लिए मुकर्रर हुई थी ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : २६ फरवरी, १६६० तक के लिये थी पहली बार।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस कमेटी ने दिसम्बर और जनवरी में क्या क्या काम किया ?

श्री पूनममचन्द बिश्नोई : In January, 1960, 11 caseswere examined, and the total amount involved was about 19,805.98. Six cases out of them were recommended for 'write off.'

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : What about December ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : They are also mentioned in the Schedule which has been given to the Hon'ble Member.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I don't want Nov. and Dec. I want December. The Committee has not done any work in the month of December.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : It is a continuous process. There is no qnestion of Committee not doing any work. As the cases came to the notice of the Committee, we have given statement of these two months and 165 cases were examined.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : When Mr. Sinha was appointed as O. S. D. to work on this Committee ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : 18th June, 1959.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : This is absolutely wrong. I am asking when Mr. Sinha was appointed ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : I am sorry Sir. This particular information is not with me. Mr. Sinha was appointed on...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो आपने कहा कि ए. ओ. को अपॉइन्ट किया तो इतना लेट ए. ओ. को अपॉइन्ट क्यों किया और चार महीने तक कमेटी को बेकार क्यों बैठाये रखा ?

श्री पूनमचन्द्र बिश्नोई : It actually comes to not even three months.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : For your information, I may tell you that Shri Sinha was appointed on 1.5.59.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : I have no information about this.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : चार महीने तो बेकार कमेटी बैठी रही न ?

Page No.22

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : I have got the date of appointment of the Committee.

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक क्वेश्चन और। माइन्स और जीओलोजी डिपार्टमेंट को कमेटी ने कब एग्ज़ामिन किया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैं समझा नहीं, फिर कहिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माइन्स और जीओलोजी विभाग को कमेटी ने जनवरी से पहले एग्ज़ामिन नहीं किया, क्या यह सही है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : All the Heads of the Departments were directed by the Government that they should prepare their cases within two months. There is nothing like putting all the cases of a particular Department before the Committee. A process has been prescribed and they are working on those lines. There is no question like that. I have said all these Departments have not been examined for the 'write off.'

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सरकार इस बात से सन्तुष्ट है कि जिस कमेटी को फरवरी, ६० तक ग्यारह करोड़ के केसेज़ को एग्जामिन करना था वहां सात लाख के केसेज़ ही एग्जामिन किये ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : सन्तोष तो मुझे भी नहीं है। पर स्थिति को देखते हुए जो काम किया उससे ज्यादा हो नहीं सकता था। पहले मेरा ख्याल था कि जिस प्रोफॉर्मा में कमेटी सूचना चाहती है उसके अनुसार सूचना यहीं सेक्रेटरियट में ही मिला जावेगी। पर सेक्रेटरियट में इन केसेज़ के सम्बन्ध में सूचनाएं नहीं मिल सकीं। डिपार्टमेंटों के पास थी और फिर उनके पास भी इस प्रोफॉर्मा में चाही गई सूचनाएं देखी हुई नहीं थीं उनकी। इसलिये इसमें देरी हुई।

प्रश्न संख्या ५१

(अनुपस्थित)

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामधन।

(अनुपस्थित)

श्री प्रभुलाल पुरोहित।

करौली से सांभर-लेक वाया गंगापुर लालसोट-जयपुर रेलवे लाइन की योजना

५२. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या करौली से सांभर लेक तक वाया गंगापुर-लालसोट-जयपुर रेलवे लाइन की योजना को तृतीय पंचवर्षीय योजना में लेने की राजस्थान सरकार ने सिफारिश की है ?

(ख) यदि नहीं, तो इसकी सिफारिश न करने का क्या कारण है तथा अब कब तक की जा सकेगी ?

यातायात मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जी नहीं।

(ख) पहले से ही सरमथुरा से गंगापुर के लिये करौली होती हुई रेलवे लाइन के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिए लिखा हुआ है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : तो क्या रेलवे ने इसका सर्वे किया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मेरे ख्याल से तो अभी नहीं हुआ है।

डॉ० बहादुरसिंह : श्री लालबहादुर-जी रेल मन्त्री तो सरमथुरा और करौली पधारे थे। तो उन्होंने इस प्रकार का आदेश दिया था कि यह सर्वे सरकार करने जा रही है।

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो वही फरमा सकते हैं। मैं क्या अर्ज कर सकता हूँ ?

डॉ० बहादुरसिंह : तो क्या राजस्थान सरकार ने फिर दुबारा लिखा-पढ़ी की है ? यह जरूरी है रेलवे लाइन।

श्री रामकिशोर व्यास : नहीं। वैसे आम तौर से तीन, चार साल तक इसका नम्बर आना नज़र नहीं आता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

(अनुपस्थित)

रावराजा श्री सरदारसिंह।

नगरपालिकाओं और पंचायतों के क्षेत्र में काटे जाने वाले जानवर

५४. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि नगरपालिकाओं और पंचायतों के क्षेत्रों में जानवर काटे जाते हैं ?

(२) अगर हां, तो कौन कौन से जानवर ?

(३) क्या यह सही है कि भूतपूर्व राजस्थान की रियासतों में अधिकांश भेड़, बकरों के अतिरिक्त अन्य जानवर नहीं काटे जाते थे?

(४) अगर हां, तो भैंसों के बध की कहां कहां पर किन किन आधारों पर सरकार ने आज्ञा दे रखी है ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (१) नगरपालिकाओं के क्षेत्रों में जानवर काटे जाते हैं। पंचायतों सम्बन्धी सूचना वित्त मन्त्री देंगे।

(२) सरकार ने राजस्थान प्रिज़र्वेशन ऑफ सर्टेन एनीमल्स एक्ट, १९५०, के अन्तर्गत केवल बैल, गाय, सांड व बछड़े के बध को निषिद्ध करार किया है, शेष जानवरों के काटे जाने पर कोई निषेध नहीं है।

(३) यह सही नहीं है। भूतपूर्व रियासतों में दूसरे जानवर भी काटे जाते थे।

(४) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : भैंस पाडे वगैरह बध कर दिये गये हैं, क्या सरकार के यह ध्यान में है ? अब भी टौंक, अलीगढ़ में काटे जाते हैं ?

श्री सम्पतराम : मेरे उत्तर को आपने ठीक तरह से समझा नहीं है। मैं इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूँ।

Page No.24

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या जबाब दिया; बध होता है ?

श्री उपाध्यक्ष : माताजी का।

रावराजा श्री सरदारसिंह : माताजी के लिये तो बन्द हो रहा है काटना। नाहरों के लिये अब भी होता है यहां।

श्री सम्पतराम : मेरे प्रश्न के दूसरे भाग को पढ़ लीजियेगा। स्पष्ट हो जावेगा।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

फोरेस्ट का सैटलमेंट

५६. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या मंत्री, वन विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान में फोरेस्ट सैटलमेंट महकमा स्थापित है ? अगर हां, तो कब से और अब तक राजस्थान में कहां कहां फोरेस्ट का सैटलमेंट हो चुका है और कितना कितना और कहां कहां करना बाकी है ? सूची देने की कृपा करें।

(२) उपरोक्त सैटलमेंट किन किन आधारों पर किया जाता है ?

(३) क्या यह सही है कि फोरेस्ट का सैटलमेंट करते समय पटवारी, पटेल और तहसील के अमले को भी शामिल किया जाता है ?

वन मन्त्री (श्री सम्पतराम): (१) जी हां उदयपुर इकाई में १९४२ से, जयपुर इकाई में १९४७ से व राजस्थान में १९५५ से फोरेस्ट सैटलमेंट कहां कहां हुआ है और होना है इसकी सूचना डिविजन वार सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) प्रचलित फोरेस्ट एक्ट के अनुसार किया जाता है।

(३) पहले नहीं किया जाता था अब किया जाता है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने फरमाया पहले नहीं किया जाता था। पहले कब नहीं किया जाता था ? पटवारी और तहसील के अमले को जंगलात की हद जब मुकर्रर करते हैं तो क्यों नहीं उनको बुलाकर करते हैं ? अपने दिल से क्यों करते हैं ?

श्री सम्पतराम : ये सारी फॉर्मेलिटीज़ जब पूरी हो जाती हैं तभी सैटलमेंट होता है।

श्री उपाध्यक्ष: नेक्स्ट। श्री रामकरणसिंह

उद्योगों व कृषि कार्य हेतु प्रदत्त बिजली

५७. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) उद्योग व कृषि कार्य के लिये बिजली किस दर से दी जाती है ?

(ख) सरकार ने जयपुर जिले में कृषि कार्य के लिये कहां कहां बिजली के उपयोग की सहूलियत दे रखी है ?

(ग) क्या जिस दिशा से बिजली के तार गये हैं उन रास्तों पर व नजदीक पड़ने वाले कुओं पर भी बिजली दे रखी है ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

(घ) कितने कृषकों ने खेती के कार्य के लिये बिजली लेने के प्रार्थना-पत्र दिये तथा कितनों को बिजली दी गई ?

विद्युत् मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र): (क) जयपुर में उद्योग व कृषि कार्यों में मशीनों में काम आनेवाली बिजली की दर तीन आने युनिट है।

(ख) जयपुर जिले में कृषि कार्यों के लिये जयपुर पॉवर हाउस से बिजली की सहूलियत निम्नलिखित स्थानों पर है:—

जयपुर की सीमा के ग्राम झालाना, रूपा, रामपुरा, गोपालपुरा, दुर्गापुरा, सांगानेर, खातीपुरा, कनकपुरा, सीरसी, सोडाला, झोटवाड़ा, बन्ध की घाटी, लालवास, जमुवा रामगढ़, दौसा और आमेर।

(ग) जहां भी बिजली की लोटेन्शन लाईन गई है वहां पास के कुओं पर बिजली दी गई है। ऐसे कुओं की संख्या ५६० है। सूची तैयार की जा रही है।

(घ) बिजली खेती में काम लेने के प्रार्थना-पत्र आने पर जहां भी बिजली यथोचित रूप में उपलब्ध है वहां बिजली दी गई है। बिजली के लेने के प्रार्थना-पत्रों की संख्या उपलब्ध नहीं है, लेकिन ५६० कनेक्शन दिये जा चुके हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

श्री रामकरणसिंह: ये कनेक्शन पूरे समय के लिये हैं या दिन के कुछ घंटों के लिये हैं?

श्री हरिश्चन्द्र: जैसे नियम हैं उनके अनुसार है।

श्री रामकरणसिह: तो क्या यह सोचें कि चम्बल की बिजली आवेगी तो उन गांवों में और भी ज्यादा बिजली मिलने लगेगी क्योंकि अभी तो जयपुर पॉवर हाउस से मिलती है?

श्री हरिश्चन्द्र: अगर प्लान में होगी तो जरूर मिलेगी।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत): कृषि व्यवसाय के लिये जो बिजली दी जाती है वह कितने आना युनिट पर दी जाती है?

श्री हरिश्चन्द्र: कृषि के लिये भी तीन आना युनिट है।

श्री तेजाराम गहलोत: क्या इस तरह के कनेक्शन राज्य सरकार जयपुर के अलावा जहां जहां बिजली उपलब्ध हो सकती है वहां वहां कृषि के कार्य के लिये देने के लिये धारणा रखती है?

श्री हरिश्चन्द्र: उसके लिये आप दूसरा प्रश्न करें तो बताया जा सकेगा।

श्री उपाध्यक्ष: रावराजा श्री सरदारसिंह।

जयपुर शहर में होने वाले एक्सीडेन्ट्स

५८. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा): क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सही है कि जयपुर सिटी में दिन प्रति दिन मोटरों व ट्रकों द्वारा होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है? अगर हां, तो सन् १९५८ व सन् १९५९ में किस कदर एक्सीडेन्ट्स हुए? उनमें सरकारी कारों व ट्रकों द्वारा कितने और दीगर द्वारा कितने कितने? सूची देने की कृपा करें।

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

(२) क्या यह सही है कि सरकार के पास ट्रैफिक के ट्रेन्ड ऑफिसर्स व कर्मचारी न होने की वजह से एक्सीडेन्ट्स होते हैं ? अगर नहीं, तो सरकार के पास ट्रैफिक के कितने कितने ट्रेन्ड ऑफिसर्स और स्टाफ है तथा वे किस किस जगह ड्यूटी दे रहे हैं ?

(३) क्या यह सही है कि दुर्घटनाओं में मृतक व्यक्तियों के वारिसान को सरकार मुआवजा दिलाती है ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी नहीं । दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ नहीं रही है । क्योंकि सन् १९५९ में ९९ मामले हुए जब कि ५८ में उनकी संख्या १०४ थी । ५७ में भी १०४ व ५६ में संख्या १६६ थी । सन् १९५६ में राजकीय गाड़ियों से ३ मामले हुए, सन् १९५७ में ० व सन् १९५८ में ५ और १९५९ में ५ मामले हुए ।

२. जी नहीं, क्योंकि ट्रैफिक कर्मचारियों के प्रशिक्षण से दुर्घटनाओं का कोई सम्बन्ध नहीं है । जयपुर जिले में २ थानेदार, १ हैड कॉन्स्टेबल एवं २ कॉन्स्टेबलों को प्रशिक्षण मिला है जब कि शेष को प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा स्थानीय प्रशिक्षण मिला है । सब ट्रैफिक कर्मचारी अपने ड्यूटी ट्रैफिक पॉइन्ट्स व ट्रैफिक बीट्स पर नहीं देते हैं ।

(३) जी नहीं ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने यह फर्माया कि ट्रेन्ड ऑफिसर्स की आवश्यकता नहीं है तो क्या मन्त्री महोदय के ध्यान में है कि आपके पास में ट्रैफिक के ट्रेन्ड ऑफिसर्स मौजूद हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने कभी नहीं कहा कि हमारे पास ट्रेन्ड ऑफिसर्स नहीं हैं और न यह कहा कि उनकी जरूरत नहीं है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जो ट्रेन्ड ऑफिसर्स हैं वह इसी काम के लिये लगाये गये हैं या दूसरे काम में ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां, इसी काम में लगाये गये हैं ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जो सरकारी गाड़ियों से एक्सीडेन्ट हुए उसके लिये कोई मुआवजा एक्सीडेन्ट हुओं को दिलाया या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : मुआवजा दिलाने का कायदा नहीं है । मुआवजा लेने के लिये दूसरा तरीका है और उसके लिये अदालत में जाना पड़ता है और फिर मुआवजा मिल जाता है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह ।

पशुओं की चराई दर

५९. श्री रामकरण सिंह (कोटपुतली) : क्या वन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:

(१) क्या पशुओं की चराई की दर राजस्थान भर में एक सी है या अलग अलग ?

(२) यदि अलग अलग है, तो इसका क्या कारण है ?

(३) अलवर में चराई की दर क्या है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

वन मंत्री (श्री सम्पतराम) : (१) अलग अलग है।

(२) राजस्थान निर्माण के समय जहां जहां जो जो चराई की दरें लागू थीं वे अब भी लागू हैं। सभी जगह एक ही चराई की दर नहीं हो सकती।

(३) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री रामकरणसिंह : यह अलग अलग दरें होने का क्या कारण है?

श्री सम्पतराम : अलग अलग होने का कारण है ग्रेज़िंग लैंड की क्वालिटी और purpose for which grazing is allowed.

श्री रामकरणसिंह : मेरे पूछने का अर्थ यह है कि एक ही तरह की जो चीजें चराने की हैं एक ही एरिया में उसमें अलग अलग रेट्स हैं या नहीं?

श्री सम्पतराम : मेरे खयाल से प्रश्न का उत्तर बिल्कुल साफ है। मैंने कहा कि ग्रेजिंग लैंड की क्वालिटी कि वहां पर घास किस तरह की होती है। फिर इसके लिए गवर्नमेन्ट ने कमेटी भी बनाई है इसके ऊपर फैसला हो जायेगा और जो फाइनल शेप आयेगा उसके मुताबिक होगा।

श्री रामकरणसिंह : इसके लिए कब तक की आशा है?

श्री सम्पतराम : मैंने कहा कि एक, दो महीने में ही फैसला हो जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

दिनांक २२-५-५६ को देवली से दूनी आते वक्त हुई बस दुर्घटना

६०. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) क्या तारीख २२-५-५६ को देवली से दूनी आते समय रास्ते में किसी बस दुर्घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना में दर्ज हुई थी? यदि हां, तो उक्त बस का क्या नम्बर था, वह किसकी थी व दुर्घटना में कितने व्यक्ति घायल हुए व कितने मरे?

(२) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त बस का ड्रावइर गिरफ्तार कर लिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

(३) क्या यह भी सत्य है कि इस दुर्घटना से १० दिन पहले टोंक के मुन्सिफ ने इस बस के एक चालान की बाबत यह फैसला दिया था कि उक्त बस खराब हालत में है व जब तक इसकी मरम्मत ठीक तरह से न हो इसको न चलाया जावे? उक्त रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी हां। बस का नम्बर आर० जे० जी० २३६ था। बस सहकारी आधार पर सहकारी संस्था, बूंदी द्वारा चलाई जा रही थी। इस दुर्घटना में दो व्यक्ति मरे एवं ८ घायल हुए।

(२) जी हां, वह दिनांक २५-५-५६ अर्थात् दुर्घटना के दिन गिरफ्तार किया गया।

Page No.28

(श्री रामकिशोर व्यास)

(३) टौंक में कोई मुन्सिफ न्यायालय नहीं है। अतः इस प्रकार की कोई आज्ञा ढूंढ़ी नहीं जा सकी । दण्डनायक की तथा-कथित आज्ञा को ढूंढ़ निकालने का प्रयत्न किया जा रहा है और मालिक के विरुद्ध यदि वह गलती पर पाया जाता है तो उचित कार्य-वाही की जावेगी।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने कहा कि अब कार्यवाही की जायेगी। तो उसको तो अर्सा हो गया, आदमी को मरे हुए ?

श्री रामकिशोर व्यास : आपने मालिक के लिए पूछा, उसके लिए कहा है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : बस सहकारी संस्था द्वारा चलाई जाती थी तो उसको न तो गिरफ्तार किया गया और न मुकदमा चलाया गया और अभी तक इस पशोपेश में पड़े हुए हैं कि मुकदमा चलाया जाये या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने कहा कि गिरफ्तार किया गया।

रावराजा श्री सरदारसिंह : केस चालान कर दिया क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

प्रान्त में मुअत्तिल पुलिस कर्मचारियों की मुअत्तिली के समय में हाज़री

६२. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) राजस्थान में इस समय कितने पुलिस कर्मचारी व अधिकारी कितने समय से और किन किन कारणों से सस्पेन्डेड हैं ? सूची सदन की पर मेज रखें।

(ख) क्या सब कर्मचारियों व अधि-कारियों को मुअत्तिली के समय भी हाजरी देनी पड़ती है ?

(ग) क्या यह सही है कि यह हाजरी देने का कानून सिपाहियों के सिवाय और अधिकारियों व अन्य विभाग के कर्मचारियों के साथ लागू नहीं होता ?

(घ) क्या यह भी सही है कि मुअत्तिली के समय वेतन का चौथाई हिस्सा दिया जाने का नियम है ?

(ङ) यदि हां, तो जयपुर ज़िले के ऐसे कर्मचारियों को क्या वेतन दिया गया है ?

(च) चौथाई वेतन किस किस मास में दिया गया है ? केवल जयपुर ज़िले के आंकड़े दिये जाने की व्यवस्था करें।

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : इसके लिए मैंने जबाब भिजवाया, प्रश्न का पहला भाग बहुत लेन्दी है और जगह जगह पूछना पड़ेगा। इसलिए आप जिस व्यक्ति में दिलचस्पी रखते हों उसके बारे में पूछ लें कि उसे अलाउन्स मिलता है या नहीं।

श्री रामकरणसिंह : सब की हाजिरी ली जाती है या कुछ फर्क रखा जाता है इस का जवाब दे दीजिए?

श्री रामकिशोर व्यास : इसके लिए यह निवेदन है कि हाजरी आम तौर पर नहीं ली जाती है पर जैसे किसी को केवल उस समय को छोड़कर जब उन्हें न्यायालयों में अपने मुकदमे के लिए उपस्थित होना पड़ता है और जब उन्हें नियम ५५, आर० सी० एस० आर० के अन्तर्गत राज्य सरकार के लिए हुए निर्णय के अनुसार हैडक्वार्टर्स छोड़ने की आज्ञा दी जाती है।

श्री रामकरणसिंह : यह जो हुक्म किया जाता है यह अधिकारियों पर भी लागू है या सिपाहियों पर भी है ?

श्री रामकिशोर व्यास : सब पर लागू है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन।

(अनुपस्थित)

श्री उम्मेदीलाल।

(अनुपस्थित)

श्री शिवचरणदास।

एक माननीय सदस्य : He is not present in the House.

श्री उपाध्यक्ष : He made a request to me for the reply.

एक माननीय सदस्य : So the chair is asking the question.

श्री उपाध्यक्ष : No, No.

एस० पी० भीलवाड़ा के विरुद्ध हुई शिकायतों पर कार्यवाही

३६. **श्री शिवचरणदास** (मांडल) : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) क्या यह सही है कि एस० पी० भीलवाड़ा, श्री गुप्ता, के विरुद्ध उनके चरित्र सम्बन्धी शिकायतें सरकार के पास आई हैं? यदि हां तो कितनी और क्या क्या और किस किसके द्वारा तथा कब कब ?

(२) उक्त शिकायतों पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त शिकायतों में से एक शिकायत ग्राम गंबुली, थाना कोटड़ी के हज़ारी गूजर की ओर से आई० जी० पुलिस और आई जी० एन्टीकरप्शन के पास आई है? यदि हां, तो उक्त शिकायत की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) इस प्रकार की केवल दो शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें से एक मोमपुरा निवासी श्री नन्दा गूजर द्वारा ८-६-५६ को मुख्य मंत्री राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। जिसमें कि आरोप लगाया गया था कि एस० पी० भीलवाड़ा ने उसकी भाभी व हजारी गूजर की पत्नी के साथ बलात्कार किया। दूसरी गंबुली, तहसील कोटड़ी निवासी हजारी गूजर की थी जो सभापति ज़िला जनसंघ भीलवाड़ा द्वारा दिनांक २८-११-५६ को आई० जी० पुलिस राजस्थान को भेजी गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसे अपनी पत्नि को एस० पी०

श्री रामकिशोर व्यास)

भीलवाड़ा के पास भेजने को बाध्य किया जा रहा है ।

(२) इन दोनों शिकायतों की जांच करवाई गई जिससे यह झूठी पाई गई ।

(३) जी हां, शिकायत की प्रतिलिपि संलग्न है ।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

१२. म० प०

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वादविवाद

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कल केवल अपनी बात को शुरू कर रहा था........

श्री उपाध्यक्ष : आपने कर दी थी ।

(हंसी)

श्री मूलचन्द डागा : और मैंने यह कहा था कि लोकसभा के अध्यक्ष श्री अनन्त-शयनम् आयंगर ने अपने भाषण में यह कहा था, जब सारे विधान सभाओं के अध्यक्ष इकट्ठे हुए थे तो उन्होंने यह साफ कहा था, कि कोई अगर यह समझता है कि लोक प्रणाली ऐसी प्रथा है जो गाय, गधों के पास होगी, यह सम्भव है । उन्होंने बहुत साफ कहा था कि यह जनजीवन को पलटने की चीज़ है और जो पुश्तों से बनी हुई व्यवस्था है उसको मिटाने की चीज़ है। तो उन्होंने जो यह बात कही थी उसके आधार पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ । राजस्थान के अन्दर जो कानून बनते हैं, हमारी जो असेम्बली की बैठकें होतीं हैं और जो कानून बनते हैं उन कानूनों में अपनी इच्छाओं का या राज्य सरकार की इच्छाओं का संकेत निहित रहता है ।

कानून के आधार पर हम चाहते हैं कि हम देश की प्रगति कर सकें, अपने राजस्थान मुल्क की प्रगति और उन्नति कर सकें, तो उन कानूनों के आधार पर, उन इच्छाओं और अभिलाषाओं के आधार पर हम इस प्रकार के स्वप्न बनाते हैं कि हम उन स्वप्नों को साकार बना सकें, इस तरह अगर अपनी असेम्बली में बैठकर कानून बनाते हैं । लेकिन सवाल एक है कि उन अभिलाषाओं या उन इच्छाओं को हम अमलो रूप दे पाते हैं या नहीं ? यह प्रश्न हमारे सामने है । अगर हम उन इच्छाओं और अभिलाषाओं को अमली रूप नहीं दे पाते हैं तो वह केवल कानून, इच्छाएं व नियम कोरी कल्पना की चीज़ बन जाती है ।

तो मैं यह बताना चाहता हूं कि राजस्थान में कानून के बनने के बाद, इस प्रकार से एक प्रगतिशील कानून बनने के बाद में हम लोग चाहते थे कि राजस्थान में जो गरीबी है, बेरोजगारी है, रोग हैं या अन्य जो शिकायतें हैं वे दूर हो जायेंगीं । इसलिए, मैं राजस्थान के राज्यपाल महोदय की इस बात की सराहना करूंगा कि उन्होंने उद्योगों के बारे में कुछ बातें रखी हैं और यहां राजस्थान की काया पलटने में जो कुछ यहां की अपार संपदा है उसको बनाना चाहते हैं । हम देश में प्रगति करना चाहते हैं । लेकिन सवाल यह है कि प्रगति करने में पूंजीपतियों से मिलकर आप

(श्री मूलचन्द डागा)

एक नई मिल खरीद करना चाहते हैं, उसकी तो मैं आपकी तारीफ करूंगा, लेकिन उन मिलों का क्या हाल है ? भीलवाड़ा, विजय नगर की मिलें या दूसरी मिलें हैं जिन मिलों के साथ कई मज़दूर काम करते थे, हजारों की संख्या में काम करते थे, जिनमें लाखों रुपया मजदूरों का चला गया, उनका क्या हाल है ? मजदूरों की मांगों की परवाह नहीं है । क्या सरकार ने किशनगढ़, भीलवाड़े, और विजय नगर की मिलों के बारे में जिन मिलों में काम होता था, उन मिलों का पुनरुत्थान करने के बारे में कभी सोचा है ? एक और नई मिल की स्थापना करना चाहते हैं, यह काम सराहनीय हो सकता है, लेकिन उन मिलों के बाबत क्या उत्तर है ? एक तरफ सरकार बेरोजगारी को मिटाना चाहती है, बेकारों की फौज को कम करना चाहती है, दूसरी ओर उन मिलों का क्या है जिन मिलों में मामूली मज़दूरों का काफी क्या लाखों रुपया चला गया, जो मज़दूरों की मेहनत से कायम हुई हैं । जाने दें, मैं उन बातों को नहीं कहना चाहता हूं जो कि बीती बातें हैं । मैं वर्तमान की बात कहना चाहता हूं । महाराजा उम्मेद मिल नाम से पाली में एक कपड़े की मिल है, लेकिन वहां मज़दूरों की पगारों में बढ़ोत्तरी नहीं होती है, उनको बोनस नहीं मिलता है । अहमदाबाद और बम्बई की जो टैक्सटाइल मिल्स हैं उन मिलों की क्या हालत है ? उन मिलों में मजदूरों को बोनस मिलता है । मजदूरों का मंहगाई भत्ता बढ़ता है लेकिन हमारे यहां की एक टैक्सटाइल मिल जो कि अच्छा कपड़ा निकालती है, मजदूर कड़ी मेहनत करके हजारों गज कपड़ा उगलते हैं, लेकिन मजदूरों की आवाज़ किसी प्रकार से सुनी नहीं जाती है । राजस्थान के श्रम विभाग की जिस प्रकार की नीति और रीति है वह सब जानते हैं । हम समझते हैं कि लेबर ट्रिब्यूनल चल रहा है । गवर्नमेन्ट किस तरह से मजदूरों को सहूलियत देती है ? हमारे सामने एक सवाल बेरोजगारी का है । उस सवाल को हम हल करना चाहते हैं, क्यों कि लोकतन्त्र में हमें इन रोगों को नष्ट करना होगा । । मज़दूरों को रोजगार देना चाहते हैं, आप उनके स्तर को ऊंचा करना चाहते हैं, आप उनको एक ऊंचे स्टेन्डर्ड पर लाना चाहते हैं, तो आपको एक काम करना होगा। मजदूरों की हालत के बाबत में जो मुकदमें चल रहे हैं आपके पास तो, कोई ऐसा नया तरीका नहीं ढूंढा है कि उन तरीकों के आधार पर सीधे कोर्ट में जाकर अपनी बात रख सकें । आपने एक लम्बा चौड़ा प्रोसीज़र बना रखा है, उस प्रोसीजर में से गुजरने की बात होती है तो पूंजीवाद अपना असर जमाता है । आपको यह बात कहने के लिए कभी कभी हम लोग समाज को चलाने के लिए पूंजीपति का सहारा लेते हैं, उस सहारे के कारण सरकार के नुमायन्दों को झुकना पड़ता है और मजदूरों का हित पूरा नहीं कर पाते हैं । मजदूरों का हित कुचला जाता है । न मजदूरों की बात सुनी जाती है और न उनको रोजगार मिलता है । ट्रिब्यूनल में जितने केसेज़ हैं वे जिस जगह मजदूर रहते हैं वहां पर ट्रिब्यूनल को जाकर फैसला करना चाहिए, उनके भाग्य का निबटारा वहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मजदूर मिल मालिक के सामने, गरीब अमीर के सामने टक्कर नहीं ले सकता है । मजदूरों को नुकसान उठाना पड़ता है । यही कारण था कि जितने मिल चले उन मिलों से मजदूरों को नुकसान हुआ

Page No.32

(श्री मूलचन्द डागा)

और मजदूर कोई भी किसी प्रकार का लाभ नहीं उठा सके, लेकिन मैं आपको कोई बात नहीं कहना चाहता हूं।

मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उद्योगों को पनपाने के आधार पर औद्योगीकरण के साथ साथ कई ब्लैक मार्केटियर्स और पैदा होते जाते हैं। मैं चाहता हूं कि राजस्थान में उद्योगों की तरक्की है। बेरोजगारी को मिटाने के लिए उद्योगों की तरक्की हो, लेकिन मैं अर्ज करूं कि हमारे यहां पाली में लोग कहते हैं और ऐसा कई सालों से कहते हैं कि बड़ी मशीनें चलने लगी हैं, बड़े बड़े काम होने लगे हैं, मजदूर कमाई करने लगे हैं। मैं नम्रतापूर्वक अर्ज करूं कि मशीनें हैं लेकिन वहां पर माल जो आता है, जो रॉ-मेटेरियल इम्पोर्ट करती है सरकार, उस मामले में क्या हो रहा है? कितना ही माल ब्लेकमार्केट में बिक जाता है। न मशीन ही कोई चलती है और न ही कोई मजदूर काम करता है, और सारे का सारा माल ब्लैक में जाता है। जो संस्था बनाते हैं, जो मजदूर अपनी अंगुलियों से काम करना जानते हैं उनको काम नहीं मिलता है। उसका कारण यह है कि जो पूंजीपति हैं वे इम्पोर्ट लाइसेन्स पाते हैं, और गवर्नमेन्ट भी उनको इम्पोर्ट लाइसेन्स देकर उस रॉ-मेटेरियल को इम्पोर्ट करने के लिए इजाजत देती है, लेकिन न मशीन चलती है और न कुछ काम होता है। आइवरी का कोटा वहां पर गवर्नमेन्ट से मिला था। राजस्थान को २ लाख का आइवरी का हिस्सा दिया था, लेकिन सवाल क्या हुआ उसके अन्दर? जो मजदूर हैं, जो काम करने वाले हैं उन्होंने शिकायत की गवर्नमेंन्ट के सामने और यह पेश किया कि किसी प्रकार से उन्हें मूल कोटा दिया जाय, लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं कि जब इंडियन गवर्नमेन्ट को शिकायत की तो इंडियन गवर्नमेन्ट ने राजस्थान गवर्नमेन्ट को क्या लिखा है वह मैं सुनना चाहता हूं:—

"With reference to yourtelegram dated 7.1.60, on the above subject, I write to say that the Licence for the import of ivory (un-manufactured) for Rs. 2 lakhs referred to by you, has been granted to the Rajasthan Government to meet the requirements of the craftsmen of that state." लेकिन रॉ-मेटेरियल क्राफ्टमेन को नहीं मिल रहा है। मैं आपसे अर्ज करूं कि उन्होंने बार बार कहा कि वह जो कोटा मिल रहा है उसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बना देते हैं, हमने अपना काम शुरू कर दिया है, लेकिन कोटा बड़ी कठिनाई से मिलता है। अगर यह सरकार यह समझती है कि इस प्रकार की प्रणाली है कि जो मजदूर हैं पाली के........

मैं अर्ज करूं कि इतने जोर से बात नहीं करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद यादव मुझे आपको फिर कहते हुए संकोच होता है कि सदन की कार्यवाही में आप समय समय पर बाधा डालते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मैं प्रार्थना करूंगा कि आप चाहते हैं कि कोटा जो हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं रॉ-मेटेरियल, उसका ब्लैक मार्केट होता है। उसके लिए मजदूर काम नहीं करते हैं, मशीनें नहीं लगती हैं, और जो काम करने वाले हैं उनको माल नहीं मिलता है। ऐसी सूरत में क्या आप समझते हैं कि उद्योगों को पनपाने में और मशीनें लगाने में सफल होंगे। केवल मशीनें खरीद रखी हैं, लेकिन न मशीनों पर काम होता है, न मजदूर

(श्री मूलचन्द डागा)

पनप रहे हैं और न कुछ होता है । उद्योग विभाग इसकी जांच करे और जांच करने के बाद इस बात को सोचे कि किसी प्रकार से हम उद्योगों को पनपाने की आड़ में उन लोगों को तो नहीं पनपा रहे हैं जो लोग ब्लैक मार्केटियर्स हैं, जो रॉ-मेटेरियल को बाहर जाकर दे देते हैं और बहुत कीमत का लाभ उठाते हैं । अगर हमारी यही नीति रही तो लोकतन्त्र के बीज इस भूमि पर नहीं पनप सकते हैं । जिस राजस्थान में हम समाजवाद लाना चाहते हैं उस राजस्थान में ब्लैक मार्केटियर्स को प्रोत्साहन मिलता है किसी रूप में तो उसका जो आधार होगा वह गलत होगा ।

और आप बेरोजगारी मिटाने के लिए स्कूलों में बेसिक एजूकेशन शुरू करना चाहते है । आपका सिद्धान्त है कि बच्चों को शुरू से ही वह तालीम दी जाय कि बच्चे आगे जाकर जब संसार में आयें तो कमाने लग जांय । तो मैं अर्ज करूं नम्रतापूर्वक कि बच्चों के साथ में सरकार खिलवाड़ कर रही है । सरकार उन बच्चों को मिट्टी के खिलौने बनाना सिखाती है, कागज के फूल बनाना सिखाती है । उसमें घन्टों बरबाद होते हैं, कितने फूल कागज के बनते होंगे, कितना पैसा खर्च होता होगा माँ बाप का ! क्या होता है कि मिट्टी के खिलौने ६ साल तक बच्चे बनाते हैं । अपने सात साल वे निकम्मे कामों में खर्च करते हैं, ७ साल बाद भूल जाते है । बच्चे मिट्टी के खिलौने बनाते हैं, यह क्या बेसिक एजुकेशन है ?

एक माननीय सदस्य: आर्ट सीखते हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : आर्ट सीखते हैं, कलाकार बनते हैं । सात साल खराब करने के बाद भी हिन्दुस्तान में ऐसे कलाकार बनेंगे तो कैसे कल्याण होगा ? इस प्रकार के बेसिक एज्युकेशन से तो आप बेकारों की फौज ही खड़ी करेंगे । मैंने एक बात यह सुनी है कि बच्चे उद्योग पर्व मनाते हैं । श्री पी. के. चौधरी साहब के फुलेरा से निकला था तो मैंने देखा कि बच्चे फाउन्टेन पेन बेच रहे थे । उनसे पूछा तो बताया कि वे उद्योग पर्व मना रहे हैं इसलिये रुपये सवा रुपये, के फाउन्टेन पेन बेच रहे थे । इस प्रकार की तालीम देकर क्या आप उम्मीद करते हैं कि आप उद्योग को पनपा सकते हैं और हम विकास करेंगे ! मैं समझता हूं जो बेसिक एयुकेशन बच्चों का विकास नहीं कर सकती है, उसका परिणाम क्या होगा, कुछ दिन बाद जो बच्चे स्कूलों में पढ़ेंगे उनकी क्या हालत होगी ? मि. पिअरसन जो हिन्दुस्तान के बड़े ऐजुकेशनिस्ट हैं और जिन्होंने ३० साल तक यहां काम किया उन्होंने कहा था कि हम समझ नहीं पाये कि बेसिक एजुकेशन किस प्रकार की है ? जिस एजुकेशन में बच्चे कई सालों तक पढ़ कर भी काम नहीं सीख सकते । कई साल के बाद कारपेन्टर्स तैयार होते । किताबी ज्ञान के साथ साथ कारपेन्टर्स तैयार होते और सरकार का सामान बनाते या बड़ी बड़ी कंपनियों का सामान बनाते तो हम समझते कि बच्चे प्रवीण हुए हैं । लेकिन आपका इस प्रकार की एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन बच्चों के साथ खिलवाड़ करता है । कई साल व्यतीत करने के बाद भी इससे काम नहीं होता । यही नहीं बल्कि आपके टीचर्स कैसे होने चाहिये, इस बारे में मैं ही नहीं कहता लेकिन मि. पिअरसन ने कहा था :

"Teacher who has got no aptitude for this delicate work is a liability

(श्री मूलचन्द डागा)

rather than an asset.''आप टीचर्स किनको लेते हैं ? टीचर्स उनको लेते हैं जिनके लिये नौकरी के दूसरे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब वे शिक्षक बनने आते हैं और टीचर बनने के बाद वे दो बातें अपने दिमाग में रखते हैं; एक तो यह कि किसी प्रकार से वे आगे की परिक्षाएं पास करके कहीं और जगह जावें और दूसरा यह कि २५ साल से पहले पहले वे किसी न किसी तरह से नौकरी में घुस जावें क्योंकि २५ साल की उम्र से पहले पहले कहीं न कहीं नौकर होना जरूरी है । इस तरह के जो लोग टीचर बनते हैं वे बच्चों को तामील अच्छी तरह से नहीं दे सकते । और आप देखिये शिक्षकों का ग्रेड क्या है ? उनका ग्रेड एल. डी. सी. और यू. डी. सी. के ग्रेड से भी कम है । फिर भी आप कहते हैं कि लोकतंत्र बड़ा मजबूत हो रहा है । आप किस तरह से समाज का मूल्यांकन कर रहे हैं । जिस समाज में शिक्षकों का आदर सम्मान नहीं होता उस समाज के बारे में हम कदापि नहीं सोचें कि उसका विकास होगा । मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप जिस रूप में उद्योग पनपना चाहते हैं वह उस रूप में नहीं पनप सकता । मेरी प्रार्थना यह है कि यदि आप समाज को अच्छा बनाना चाहते है तो शिक्षण संस्थाओं में अच्छे शिक्षक रखिये और ऐसे शिक्षक रखिये जिनको शिक्षण के कार्य में रूचि हो । ब्रिटेन में जब पंचायत राज्य कायम हुआ था तो प्रशिक्षण के द्वारा हुआ था । बिना प्रशिक्षण के लोकतंत्र पनप नहीं सकता । जो स्कूल स्टेन्डर्ड की होती हैं उन्हीं से समाज का स्टेन्डर्ड बढ़ता है । जब मानव गिरता है तो समाज गिरता है और समाज का मोरल डिग्रेडेशन होता है और जब समाज गिरता है तो देश गिरता है और देश गिरता है तो मनुष्य का स्तर गिरता है । यदि लोकतांत्रिक प्रणाली की प्रगति करनी है तो पहले समाज की प्रगति करनी होगी । हमारे यहां मानव का स्तर गिर चुका है । हम कहते हैं कि आपके समाज का कोई भी अंग ले लीजिये, वह आज की दशा से संतुष्ट नहीं है; जन कल्याण और जन संतोष की जो कसौटी रखी है उस पर कोई अंग पूरा नहीं उतरता । आप नौकरी क्लास या सर्विस क्लास को ले लीजिये, किसी के पास जाकर बैठ जाइये, किसी भी आदमी के पास एक एम. एल. ए. चले जांय तो वे यही कहेंगे कि हम करें क्या । मैं आपके सामने पंचायत समिति का उदाहरण दूं । पंचायत समिति में एक प्रशिक्षण अधिकारी होता है उसकी तनख्वाह है ११० से २२५ रु० है । वे मैट्रिक्युलेट होते हैं और चार पांच साल तक पढ़ कर आये हुए होते हैं. दूसरी तरफ शिक्षा विभाग के सब-इन्स्पेक्टर्स होते हैं उनका ग्रेड भी १२० तक का होता है ..

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Daga, the House expects more constructive debate from you. Let us come out of emotional phase of the speech.

श्री मूलचन्द डागा : शिक्षा का स्तर गिर जायगा तो लोकतांत्रिक प्रणाली भी गिर जायगी । लोकतांत्रिक आधार पर नई रचना करना चाहते हैं तो इसका उत्थान करना पड़ेगा, मैं इस बात की कद्र करता हूँ । मैं कहना चाहता हूं कि जो समाज अभी बन रहा है उस समाज में हमारा लोकतंत्र विकसित हो सकता है या नहीं । यह खतरे की बात है, मैं उसी ओर इशारा कर रहा हूँ । मैं बताना चाहता हूं कि आपके शिक्षक जिनकी

(श्री मूलचन्द डागा)

तनख्वाह ११० से २२५ तक है और जो शिक्षक नहीं हैं, इन्स्पेक्टर रह चुके हैं उनकी तनख्वाह ७० से १४० तक है। आप बतलाइये कि यह भेद क्यों है ? आपका एक पी. आई. जो लों ग्रेजुएट होता है और एक एस. आई....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया(मुख्य मंत्री): माननीय सदस्य थोड़ा संतोष रखें तो बजट आनेवाला है, उस समय इस बारे में प्रकाश डालेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री मूलचन्द डागा : मैं यह नहीं चाहता कि मैं डिटेल में जाऊं। मैं यह बताना चाहता हूं कि आपके शिक्षक का स्तर कैसा है, आप किस रूप में जीवन को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं ? आखिर राज्य है क्या ? राज्य समाज का एक अंग है जो शासन सूत्र बनाने के लिये बाह्य परिस्थिति पैदा करता है। आप क्या ऐसी परिस्थिति पैदा करते हैं ? आखिर हम क्या चाहते हैं ? हम एक चीज चाहते हैं और वह यह कि ऐसी व्यवस्था कायम की जाय, ऐसा परिवर्तन किया जाय जिससे आदमी और समाज का जीवन स्तर ऊपर उठ सके। समाज के जो लड़के स्कूल्स से निकलते हैं, उनका उदाहरण आपने देखा होगा, अजमेर में जो यूथ फेस्टीवल हुआ, उसमें उसका क्या नतीजा हुआ ? मैं यह बतलाना चाहता हूं कि इस प्रकार की घटनायें होती हैं। इसके बाद मैं और अर्ज करूं कि आप इसे न लेकर अपनी नौकरशाही को ही लीजिये। अगर आप समझते हैं कि आपने अपना विकास कर लिया है, अगर आप समझते हैं कि आप एफीशियेन्ट हो चुके हैं, हमने बहुत कुछ प्रगति कर ली है, तो मैं आपको इर्रिगेशन की बात कहूं। आपके यहां की जो रिपोर्ट्स हैं, वे छिपाई नहीं जा सकतीं। दुनियां कह रही है कि हमें लोकतंत्र का खर्चा कम करना चाहिए। आपने रिपोर्ट निकाली और कहा कि हम खर्चा कम करना चाहते हैं। लेकिन खर्चा कम करने के संबंध में मैं अर्ज करूं कि इसमें जो प्रगति हुई है, वह आपकी रिपोर्ट बतलाती है। उन्होंने कहा है कि कमिश्नर और एडीशनल कमिश्नर की पोस्ट्स को हटा देना चाहिए। उन्होंने यहां तक सजेशन दिया कि ऐसा करने से सरकार द्वारा चालू वर्ष में रखी हुई रकम में से ७ लाख ६० हजार रुपये कम हो जायेंगे। आपकी प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट में बताया कि बहुत ही भारी भरकम खर्चा है। उसके बाद उन्होंने बतलाया कि कई ज़िले कम हो सकते हैं, और इस तरह कितना खर्चा कम हो सकता है। गाड़ियों के लिए बताया है प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट में कि पहले जहां ६ लाख का खर्चा था वहां अब २३ लाख रुपया खर्च होता है, गाड़ी और जीपों पर। मैं कहना चाहता हूं कि आपकी जो मशीनरी है और जिसके आधार पर आप अपने यहां पर ऐसे राज्य का निर्माण करना चाहते हैं जो लोकतंत्र पद्धति की ठीक पटरी पर चल सके। तो आपको अपनी आंखें मूंदनी नहीं हैं। जो टैक्स पेअर हैं, जो टैक्स देता है, वह चाहता है कि जनता की कसौटी के ऊपर आपका राज्य खरा उतरे। जनकल्याण की भावना के सम्बन्ध में कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय ने भाषण दिया था। उन्होंने कहा था कि शासन वह वाहन है जिसके आधार पर हम देश में शांति पैदा करना चाहते हैं, गरीबी को मिटाना चाहते हैं। क्या आपका शासन इस बात को चैलेंज

Page No.36

(श्री मूलचन्द डागा)

करता है कि आपके ब्यूरोक्रेसी पद्धति में इस प्रकार के परिवर्तन कर दिये हैं। मैं आपको ठीक अर्ज करूं कि हम लोगों को हैरत होती है, हमें वह नक्शा नज़र नहीं आता है। हमने देखा है कि हमारे यहां के ऑफिसर्स ठीक चार बजे पेशी करने आते हैं, एट फोर पी. एम.। जब सारी अदालतें बन्द हो जाती हैं, तब वे घर से निकलते हैं। मैं आपको इन्स्टान्स देना चाहता हूं। मुझे दुःख है, आपकी छोटी छोटी गलतियों के कारण आपकी शासन व्यवस्था में लाखों रुपया खर्च होने पर भी जनता को संतोष नहीं होता। आप जनजीवन के झाग को समुद्र के तट पर पकड़ना चाहते हैं, आप उसकी तह में नहीं जाना चाहते। मैं निवेदन करूं कि आपके अधिकारियों को फुर्सत नहीं होती है, यह हालत है, उनके हाथ में तीन तीन अंगूठियां लगी होती हैं, तीन बीटियां, चश्मा लगाते हैं, सूट पहनते हैं। कानून पढ़ते रहते हैं, वे समय नहीं निकाल सकते हैं। नौकरों के ठाठ हैं, वही जमघट लगा हुआ है। वही ब्यूरोक्रेसी चल रही है। जिसके लिए मैं कहना चाहता हूं।

जो मोर्डन टाइम में फिट नहीं हो सकती, इलफिट हैं। आज का मनुष्य स्वार्थी हो चुका है। आज जो ऑफिसर हैं, वे भाषण देने वाले हो गये हैं, और जो सेवक हैं, वे सुनने वाले हो गये हैं। आपके कलेक्टर भाषण देते हैं, आपके कमिश्नर भाषण देते हैं, बड़े सुहावने भाषण देते हैं। जो लोग सुनते हैं, वे कहते हैं, कमाल कर दिया, कमिश्नर साहब....

श्री उपाध्यक्ष: I would request you to please confine yourself to the competence of the debate.

श्री मूलचन्द डागा : हां, साहब। मैं अर्ज करूं कि आज जो शासन व्यवस्था है लोकतंत्र का अंग नहीं मानी जा सकती, वह लोकतंत्र का अंग नहीं है, जिससे सुन्दर राज्य की व्यवस्था कायम हो सकती है, सर्वश्रेष्ठ जीवन बिताने के साधन उपलब्ध हो सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, क्षमा करें, इस चीज़ को अगर आप कम दर्जे की समझते हैं, छोटी छोटी बात समझते हैं, तो मैं समझता हूं कि जहाज़ में एक छोटा सा छेद जहाज़ को डुबा सकता है, छोटी छोटी गलतियों के कारण देश का चरित्र नष्ट हो सकता है। जो लाखों रुपये की दौलत इकट्ठी की जाती है, वह आज की शासन व्यवस्था के कारण बर्बाद हो रही है। इसलिए लोग बार बार कहते हैं कि जो आपकी शासन व्यवस्था है, उसे आपको मजबूत बनाना होगा। मैं आपसे अर्ज करूं कि आठ इन्जीनियर पाली जिले मे हैं पाली जिले में छोटे बड़े इन्जीनियर हैं। मैं उनसे चार साल से एक बांध के लिए कह रहा हूं, लेकिन आज तक भी उस बांध का काम शुरू नहीं हो पाया। कारण क्या है? यह आपकी एफीशियेन्सी है, यह आपका एडमिनिस्ट्रेशन है। आप कुछ आंकड़ों का जाल फैला कर, इस जाल में फंस कर कुछ बातें कहते हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आपके एडमिनिस्ट्रेशन की एफ़ीशियेन्सी इस रूप में है कि आठ आठ साल तक, पांच छः साल तक कहा गया कि इस जगह पर यह काम करने से धरती धन उगल सकती है, ज्यादा अनाज पैदा हो सकता है। उसके लिए कहते हैं कि इस मामले में सर्वे होगी, अन्डर इन्वेस्टीगेशन है। क्या शब्द है! एक पेपर जाता है, उसके लिए

(श्री मूलचन्द डागा)

पहले कहेंगे put up with. P. P.: इसके आगे चलिये, उसके बाद आगे तारीख रख दी जायगी। यह प्रणाली है, जिस पर शासन चल रहा है। आज राजस्थान को गौरव है, मैं उसके लिए मुबारकबाद देता हूं। लेकिन सरकार को एक कदम आगे रखना चाहिए। हम चाहते हैं कि नौकरशाही और केन्द्रीयकरण एक साथ नहीं चल सकते, दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसलिए विकेन्द्रीकरण की ओर कदम उठाना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले आप अपनी भूमि को मजबूत बनायें, समतल बनायें, जिस पटरी पर गाड़ी को चलाना चाहते हैं, उसको सुन्दर रखिये। वह ब्यूरोक्रेसी की मशीनरी, जिसके लिए कहते हैं, same old bureaucratic. machinery, minus efficiency and plus corruption. इसलिए ही ये शब्द कहे हैं लोगों ने। हम यह भी कह सकते हैं कि कुछ ईमानदार हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, कुछ पके मांजे हो सकते हैं लेकिन किसी भी ऑफिसर को पूछें, तो वे कहते हैं कि आज एक ही बात है, बुरे को बुरा मत कहो, भले को भला मत कहो, 'यस मैन'। मैं मानता हूं कि मनुष्य में जब स्वार्थ घुस जाता है तो जनहित की बात खत्म हो जाती है, चापलूसी के आधार पर हम जीवन को कलुषित करते हैं। इससे समाज गिरता है, समाज गिरता है तो देश गिरता है और देश गिरता है तो लोकतंत्र पद्धति सफल नहीं हो सकती। श्री अनन्तशयनम् आयंगर ने विधान सभा के अध्यक्षों की मीटिंग में कहा कि एक पद्धति है, एक प्रणाली है जिसे हम उत्थान करने के लिए लाना चाहते हैं और वह लोकतंत्र को पनपा सकती है। उन्होंने लोकतंत्र की दुहाई दी। लेकिन मैं समझता हूं कि उसके पहले हमें समाज में समतल भूमि बनानी होगी। इसलिए मैंने उद्योग की ओर इशारा किया, इसलिए ही आपसे प्रार्थना की। मैं एक एक उदाहरण दूं पाली में नौ महीने हो चुके, चुनाव खत्म हो गये। वहां किसकी गलती थी, बाद में कहा कि नोटिस में डिफेक्ट था। वहां पर ऑफिसर की गलती के कारण २ हज़ार का नुकसान हुआ और वहां पर अभी तक चुनाव नहीं हुआ। अभी भी एडमिनिस्ट्रेटिव के हाथ में सत्ता है। आपको लाखों रुपये की दौलत लूटने के बाद, अरबों और करोड़ों रुपये की योजना बनने के बाद, राजस्थान केनाल के बनने के बाद भी एक एक ग्रामीण, एक छोटे से छोटा आदमी इस बात के लिए चिल्लाता है कि इस देश में जनकल्याण की बात से जनसंतोष नहीं मिलता। आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन से घबराते हैं, गवर्नमेंट के सेक्रेटेरियट के किसी अधिकारी को पकड़ लें तो शायद वे हावी न हो जायें। मुझे आप क्षमा करें, उपाध्यक्ष महोदय, जिस विकेन्द्रीकरण का नारा हम लगाना चाहते हैं, जिसके लिए हम समझते हैं कि जमीन में नींव गड़ चुकी है, जिसको आप राज्यपाल महोदय द्वारा कहलाना चाहते हैं, उसके पहले आप यह देखिये कि....

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Daga, I would like to avoid the repetitions.

श्री मूलचन्द डागा : मैं रिपीटिशन नहीं कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : You are harping on the same things which you took up in the beginning of your debate yesterday.

श्री मूलचन्द डागा : जो कुछ भी रिमार्क दीजिये, मैं सुनने को तैयार हूँ। यह बात मुझे ठीक नहीं लगती कि मैं आपकी स्तुति करूं। सवाल यह है कि जो कुछ मेरे सामने चीजें हैं, उनको मैंने आपके सामने रखा। उद्योग का मामला रखा, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया। अब आप कानून को ले लीजिये। आपके कितने कानून काम में आते हैं। आपने बड़े बड़े कानून बनाये हैं। एक कानून बनाया आपने अफीम का। आज काश्तकारों का रुपया डाकुओं की जेब में गया। अफीम की परमिट मिलने लगी, हर-एक आदमी अफीम ले सकता है। एक आपने एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स का कानून १९५३ में बनाया। पाली में देखिये। सात हजार नोटिस इश्यू हुए लेकिन काश्तकारों के ९५ पर्सेन्ट केसेज़ फेल हुए। उनसे पूछा गया कि १९५४ में उस बीघे में क्या फसल पैदा हुई थी। आपका यह मतलब था कानून बनाने का ? जो काश्तकार १९५३–५४, १९५४–५५ की बात याद नहीं रख सकता, उसको नोटिस देकर पूछा जायगा, फिर एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स होगा। उसका जो ऑफिसर है वहां पर, ऑफिसर सात काम करे। कहीं तो काम कम है और कहीं पर ज्यादा है। आप बताइये कि उस ऑफिसर की क्या हालत है, जो एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल टैक्स, पेसेन्जर गुड्स टैक्स का काम करे, एक्साइज़ का काम करे, पुराने कस्टम का काम करे। ये सारे काम क्लर्क और इन्स्पेक्टर्स आदि करते हैं। उसके पास सात महकमे हैं, जो कमाई के महकमें हैं जो पेइंग ऑफिस है। तो एक ऑफिसर सात काम करे। उसको अहलकार, इन्सेपेक्टर करे। इन्सपेक्टर की रिपोर्ट फाइल होती है, उन पर वह दस्तखत करता है, डेटा इकट्ठा करे। आप सोचिये कि आपकी पेइंग कन्सर्न हैं, जहां पर कई लाखों रुपये की दौलत इकट्ठी हो सकती है, वहां पर एक ऑफिसर काम करे, वह काम से लदा हुआ है। एक तरफ आप एडीशनल कलेक्टर को डवेलपमेंट का काम जिले में दे चुके हैं। लिटीगेशन कम हो चुका है। मैं आपका ध्यान जस्टिस बाफना की रिपोर्ट की ओर दिलाऊं। जस्टिस बाफना ने रिपोर्ट पेश की है कि क्योंकि जस्टिस को एडमिनिस्ट्रेशन से अलग कर देते हैं, क्या मुमानियत है, क्या मनाई है ? तो ये छोटी छोटी बातें आपको मालूम नहीं होती हैं, पर इन छोटी छोटी बातों को लेकर हम समाज का आधार बना सकते हैं और इनको आधार बना कर जो रूपरेखा हमने रखी है उस पर चल कर हम राजस्थान को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं अर्ज़ करूं कि उद्योगों के मामले में मैंने प्रार्थना की। इसके अलावा एक और जरूरी सवाल है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि जस्टिस के मामले में जो कि खर्चीला और बोझीला है, आपने नियम बनाये थे कि जो बैकवर्ड क्लासेज़ हैं अनुसूचित जातियां हैं उनको मदद देंगे पर मैं पूछना चाहता हूं कि इस तरह का कानून बनाने के बाद से लेकर आज तक आपने कितने दलित जाति के लोगों की इस तरह से मदद की ? अपनी तरफ से उन लोगों की पैरवी की ? आपका कानून कभी का बना, आप एक भी उदाहरण दीजिये, नाम मात्र का भी उदाहरण दे दीजिये कि फलां फलां गरीब को मदद दी, गवर्नमेंट के खर्चे से उसकी पैरवी की ? लाखों रुपयां की डिक्रियां सरकार के ऊपर होती हैं, गवर्नमेंट कहे कि हमारे पास इस प्रकार का रेकॉर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी वकील को खड़ा करना,

(श्री मूलचन्द डागा)
एड्जोर्नमेंट करवा लेना, वकीलों की जेबों में पैसा देना, डिक्री हॉसिल कर लेना, फिर जिद् के कारण अपील भी कर देना।

पंचायतों का एक छोटा सा कानून, विधि विभाग को रेफर किया, पंचायतों के मंत्री पंचायत कानून को यदि विधि विभाग को रेफर करें तो पंचायतों के सरपंचों को भी विधि विभाग को रेफर करना चाहिये। एक छोटा सा कानून बनाया है उसको आप क्यों विधि विभाग को रेफर करते है ? पर आपके यहां कागजों को टालने की, कागजों को बढ़ाने की प्रणाली बन चुकी है। पंचायतों के सरपंच चौबीसों घंटे नौकर रहते हैं, आप उनकी तनख्वाह बांध दीजिए। जितने प्रसार अधिकारी हैं वे सब सरपंचों के यहां पर मेहमान बन कर रहते हैं, आप एस. डी. ओ. को जो कि ८ घंटे का नौकर है, ८ घंटे काम करता है, तनख्वाह देते हैं पर पंचायतों के सरपंच चौबीसों घंटों के नौकर हैं, रात को भी कोई दर्ख्वास्त लेकर आ गया तो वह मना नहीं कर सकता, उसको तनख्वाह नहीं देते। आप उसकी तनख्वाह बांध दीजिये। आज कोई भी मुफ़्त में नहीं घूमता।

तो मैं आपकी कामयाबी उसी दिन मान सकता हूं जब कि वोटर्स मोटर्स में नहीं जायेंगे, बल्कि अपने आप सुयोग्य व्यक्तियों को अपने वोट दे देंगे। आप चाहे इस विकेन्द्रीकरण पर गर्व कीजिये पर पंचायतों में जिनके पास साधन हैं उन्होंने वोटर्स को मोटर्स में बैठा बैठा कर वोट लिये हैं....

श्री उपाध्यक्ष : यह विषय भी बड़ा लम्बा हो जायगा, अलग अलग वोटर्स का विश्लेषण करना पड़ेगा।

(हंसी)

श्री मूलचन्द डागा : यह प्रश्न नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न तो मैं समझ रहा हूं, आपका भाषण बड़ा लम्बा होता चला जा रहा है, दायरे के बाहर होता जा रहा है।

श्री मूलचन्द डागा : मैं यह कह रहा था कि हम लोगों का माप दण्ड क्या हैं, हमारी कसौटी क्या है ? एक कसौटी है स्माल सेविंग की, अगर लोग अपनी इच्छा से रुपया लेकर जमा कराते हैं तो बड़ी अच्छी बात है पर मैं अर्ज करूं, सारी एजेंसीज़ काम करती हैं, किस रूप में काम करती हैं यह आपसे छुपा हुआ नहीं है। अगर १५ अगस्त, और २६ जनवरी के त्यौहार गांव गांव में लोग स्वेच्छा से मनायें उस दिन हम समझेंगे कि हमने आजादी हासिल कर ली है, अन्यथा आपकी यह कसौटी, आपका यह मापदण्ड, आपके यह आंकड़े किसी काम के नहीं। किसी छोटे से क्षेत्र में देखना होगा कि वहां के गरीब का जीवन स्तर बढ़ा कि नहीं। यह निश्चित बात है कि यदि लोगों का जीवन-स्तर, यदि मानव का स्तर बढ़ता है तो लोक-तन्त्र प्रणाली बढ़ती है और यदि मानव का स्तर घटता है तो लोक–तन्त्र प्रणाली घटती है।

(कुछ माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े हुए होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी!

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): माननीय उपाध्यक्ष, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर उन्हें धन्यवाद देने का प्रस्ताव रखा गया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। राज्यपाल. महोदय को धन्यवाद देने के प्रस्ताव पर डिबेट हो रही हैं उसमें इन्डिवीजुअल केसेज़ को डिस्कस किया गया है, मेरा खयाल है कि पोलिसी डिस्कशन होता तो ज्यादा अच्छा रहता। पर कल इस डिबेट की शुरूआत देखी है, ढाई घंटे तक एक एक इन्डिवीजुअल केस को डिस्कस किया, जो कि धन्यवाद के प्रस्ताव पर नहीं, कट मोशन्स पर होना चाहिये। अगर हम यह ध्यान नहीं रखते और बजाय पॉलिसी मेटर्स को डिस्कस करने के इन्डिविजुअल केसेज को डिस्कस किया तो हैल्दी परम्परा, अच्छा ट्रेडिशन कायम नहीं करेंगे। इस लिये मेरा निवेदन है कि मैं अपने आपको पॉलिसी डिस्कशन तक ही कन्फाइन्ड रखूंगा और सभी माननीय सदस्य भी इसी हद तक इस डिबेट को कन्फाइन्ड रखेंगे ....

श्री उपाध्यक्ष : I also hope that the House would co-operate so far as the suggestion is concerned.

श्री पी० के० चौधरी : The debate on the Governor's address should be confined to policy matters. In the cut motions we can take up individual cases. यह तो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का सवाल है, मैं समझता हूं पिछले सालों के अभिभाषण ज्यादा इन्स्पायरिंग थे बनिस्बत इसके....It is less inspiring than other years. फिर भी दो-तीन बातें उन्होंने इसमें कही हैं, खास कर के सेपरेट जुडिशियल पंचायतें कायम करने की, इसका मैं स्वागत करता हूं। दूसरी जो बात है वह यह है कि उन्होंने राजस्थान की टैक्नो-इकोनोमिक सर्वे कराने का कहा, मैं इस बात का स्वागत करता हूं। तीसरी बात जिसका मैं स्वागत करता हूं वह है Programme Evaluation Organisation set up. करने का कहा है। सेन्टर में इवेल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन (Programme Evaluation organisation) का प्रोग्राम है और यहां पर भी कायम करने की सरकार ने घोषणा की है। मैं सरकार की उस घोषणा का स्वागत करता हूं लेकिन साथ ही साथ यह बात भी कहना चाहता हूं कि उसका प्रोग्राम इवेल्यूएशन ऑर्गेनाइज़ेशन के करेक्टर के सम्बन्ध में तो वह कैसे होने चाहिए? जो इस the persons who will guide its activities में सिर्फ ऑफिशियल्स ही होंगे तो मैं समझता हूं कि जो जो इम्पोर्टेन्ट ऑब्जेक्टिव एनेलेसिस हम एचीव करना चाहते हैं नहीं कर सकेंगे। जो चीज़ हम चाहते हैं वह इसमें पूरी नहीं होगी। हमारे ऑब्जेक्टिव एसेसमेंट नहीं होंगे और जो सेन्टर का ऑर्गेनाइज़ेशन है उसमें ऑफिशियल होने की....

(१२. ४० म० प०)

(श्री आबिद अली, सभापति, पदासीन)

कई लोगों ने शिकायत की है। इसलिए मेरा एक सुझाव है और वह इस प्रकार है कि यह Programme Evaluation Organisation है इसमें होल टाइम ऑफिशियल्स होने चाहिये और कम से कम जो चेयरमैन है वह नॉन पोलिटिकल और नॉन ऑफिशियल होना चाहिए। वह नॉन पोलिटिकल, युनिवर्सिटी टाइप का ऑफिसर होना चाहिये क्योंकि मैं मानता हूं कि जो लोग पोलिटिक्स में रहेंगे तो जो बात होनी चाहिये वह नहीं हो

(श्री पी० के० चौधरी)

सकती। लेकिन if an academic man of University type is put as its Chairman तो मैं समझता हूं कि जो Objective of toning up of our administration, that will be achieved. दूसरी बात माननीय सभापति महोदय, मैं इस दौरान में एक चीज़ और देख रहा हूं और इसका इशारा है और वह यह है कि to tone up our administration; एडमिनिस्ट्रेशन को टोन अप करने के लिए कोई इशारा है या नहीं ? आज जो हमारी पॉलिसी और प्रोग्राम है और उसका जो इम्पलीमेंटेशन है उसके बीच में एक बड़ा भारी गेप है, बड़ी भारी खाई है। आज दो चार आदमियों ने जो हिन्दुस्तान के, थिंकिंग क्लास के हैं highest quarter के उसका इन्डीकेशन देते हैं। सभापति महोदय, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी संस्था है और जब इसका बैंगलोर में सबसे पहले प्रस्ताव पास किया गया उसमें बताया गया और यह माना गया कि यह इसलिए होते हैं कि हम रेस्पोन्सिबिलिटी किसी पर फिक्स नहीं कर पाते और इसलिए उन्होंने खासतौर से इसके लिए कहा था कि गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है—Our first and foremost effort now... तो बैंगलोर में इस प्रकार का प्रस्ताव पास होने के बाद जहां कांग्रेस गवर्नमेंट है, Our first and foremost concern should have been to bring about that change, to initiate that process of fixing responsibility for specific job on specific officials. तो मैं यह सोच रहा था कि इसका कोई इन्डीकेशन हमें गवर्नर महोदय के भाषण में मिलेगा, परन्तु अफसोस है कि कोई इन्डीकेशन इसका हमें नहीं मिला। हमारे मैसूर में....

श्री परसराम मैंदरौना : पेरा न० ३६ में इसका इन्डीकेशन है।

श्री पी० के० चौधरी : That is not sufficient for fixing the responsibility.

श्री परसराम : May not be sufficient, but the reference is there.

श्री पी० के चौधरी : I have seen that para. This is not sufficient indication. सालाना जलसा होता है तो उस जलसे में ज्यादा प्रस्ताव पास नहीं करते। यह कांग्रेस का रेकॉर्ड है कि एक या दो प्रस्ताव पास किये जाते हैं। आप देखेंगे कि नागपुर में केवल पांच प्रस्ताव पास किये, जिनमें से दो कन्डोलेशन के और एक प्लानिंग और एक एग्रेरियन रिफॉर्म्स (Agrarian reforms)का और एक इन्टरनेशनल सिचुएशन पर। बैंगलोर में सिर्फ दो प्रस्ताव पास किये। पहला प्रस्ताव प्लान प्रोग्राम (Plan programme) के संबंध में था और दूसरा इन्टरनेशनल सिचुएशन के संबंध में। इसमें काफी इस बात पर जोर दिया गया था कि हमको चाहिये कि हमारी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेन्टर गवर्नमेंट हो इसके लिए एक तरह गाइडेन्स दिया गया और बताया गया था कि आज देश को हमारे प्रोग्राम के इम्पलीमेन्टेशन में सबसे ज्यादा बाधक कौन चीज है। उसमें कहा गया है कि जो यह गेप है, जो खाई है वह Policy और programme के बीच में है। हम तमाम समझ रहे थे कि गवर्नर का भाषण है वह पिछले साल का रिव्यू और अगले साल में सरकार की पॉलिसी क्या होगी, उसका इन्डीकेशन कराता है और वह उस अभिभाषण में रहता है वर्नमेंट की पॉलिसी

Page No.42

(श्री पी० के० चौधरी)

में क्या परिवर्तन हुआ, क्या नई चीज हुई या होगी, होती तो उसके परिवर्तन में कहा है उसको दूर करने के लिए सुझाव रखते और सुझाव भी इस प्रकार का था कि यह भली-भांति समझ लिया जाना चाहिये कि सहमति और कार्य कर्ता का निर्धारित किया जाना ही पर्याप्त नहीं होता। मुख्य बात उनको क्रियान्वित करना और काम होते हैं। इस कसौटी पर सभी श्रेणी के कार्य-कर्ताओं के काम को नापा जाना चाहिए तथा उनकी प्रशंसा अथवा आलोचना की जानी चाहिये। प्रशासन में व्यक्ति विशेष के लिये कार्यक्रम का अवसर विशिष्ट काम की जिम्मेदारी निश्चित की जानी चाहिये तथा इन तरीकों में परिवर्तन लाया जाना चाहिये।

प्रशासन और अधिकारी हैं उन पर रेस्पोन्सिबिलिटी फिक्स करनी चाहिए। जो असली बात उन्होंने कही है कि हमारा जो प्रशासन है और अधिकार है उन पर रेस्पोन्सिबिलिटी फिक्स करना चाहिए। जो पी. सी. सी. के प्रस्ताव हैं उनका इम्पलीकेशन करने की बात है उसमें उनको पास करने और इम्पलीकेशन करने के बीच में खाई रहती है। इस पर उन्होंने विचार प्रकट किये हैं उससे यह मालूम होता है कि आज किसी अधिकारी पर किसी काम के इम्पलीकेशन करने की ज़िम्मेदारी नहीं है। किसी से कहते हैं कि यह काम क्यों पूरा नहीं हुआ तो कहते हैं कि यह हमारे पोर्ट फोलियों में नहीं है। प्रशासन में गवर्नमेंट ने किसी पर यह जिम्मेदारी फिक्स नहीं की है और न की जा सकती है। आज एक आम धारणा है कि कोई किसी प्रोजेक्ट को ही ले लें मगर हम देखते हैं कि काम समय पर नहीं होता। अगर पूछा जाता है तो यही कहेंगे कि फाइल कम्पलीट नहीं हुई थी इसलिये देर लग गई और उसमें से यह तालाश करने को रह गया था, इसलिये तालाश करते रहे; you will not be able to find any single Government servant, right from Chaprasi to the Chief Secretary.. यह आज कहने की गुंजायश हमारे प्रशासनिक ढांचे में नहीं है और यही कारण है कि कोई भी काम समय पर नहीं हो पाता और पूरा नहीं होता। आज की गवर्नमेंट से कोई आशा नहीं की जा सकती है you cannot point out your finger to anybody that he is responsible जिससे यह कह सकें। यह क्यों होता है, वह इसलिये होता है कि गवर्नमेंट में किसी व्यक्ति पर रेस्पोन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिये कोई प्रोसेस नहीं है और होगा भी तो इस पर अमल नहीं किया जाता है और वह इसलिये नहीं किया जाता कि हमने आज तक इसको कभी इम्पलीमेंट नहीं किया to find that so and so is responsible for not completing this work in time. इसको खुद की परिस्थिति के परिवर्तन की वजह से कभी भी चेन्ज कर सकते हैं, इसका अधिकार नहीं दिया गया है।

सभापति महोदय, इस बात पर उटी में सेमीनार हुआ था, शायद मुख्य मन्त्री महोदय ने भी अटेन्ड किया हो। There was one Mohan Lal there.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : (मुख्य मन्त्री) : No, I was not there. It might be some other Mohan Lal.

श्री पी० के० चौधरी : पं० नेहरू ने और बाकी सब ने अटेन्ड किया था। इस बात पर भी वहां जोर दिया गया था और

(श्री पी० के० चौधरी)

एक बात उटी सेमिनार में कही गयी थी कि यह जो इनएफीशियेन्सी है, failure to dischare the duties उसको कॉम्बेट करने के लिये सिफारिश की गई थी कि there should be a public tribunal और यह जो सिफारिश थी उसको प्लानिंग सब-कमेटी ने भी एन्डोर्स किया था। उनकी रिकमन्डेशन में यह था कि एक डिपाटमेंटल ट्रिब्युनल अपॉइन्ट किया जाय। उनकी यह रिकमन्डेशन थी। उटी सेमीनार ने यह भी कहा है- In order to eliminate a wanton negligence in the disharge of their duties, a public tribunal should be set up." तो मैं सोच रहा था कि हमारे गवर्नर महोदय इस साल कम से कम इस दिशा में भी कुछ इन्डीकेशन देंगे और मैं समझता हूं कि यह उटी सेमीनर, at the highest level that seminar was held, वहां पर हिन्दुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, प्लानिंग कमीशन के मेम्बर्स और बहुत से इम्पोर्टेन्ट लोग थे। करीब करीब ३२-३३ आदमी, २ इम्पोर्टेन्ट आदमी उसमें थे, उनकी after a week's discussion एक कन्सीडर्ड रिकमन्डेशन थी। यह इनएफीशिएन्सी, करप्शन, failure to discharge their duties properly उसको हैन्डल करने के लिये उन्होंने पब्लिक ट्रिब्युनल रिकमन्ड किया था और प्लानिंग सब कमेटी ने एप्रूव किया था और यह कहा था कि it will not be bound by the recommendations of the Public Service Commission. यानी पब्लिक सर्विस कमीशन की सिफारिश लागू नहीं होगी, it will be an independent and soverign body. और वह जो राय देगी उससे गवर्नमेंट बाउन्ड रहेगी। तो आज सबसे ज्यादा कन्सर्न देश में है failure of the administrative machinery to ries upto the occasion. क्योंकि हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का एक ढांचा है, हमने वेलफेयर स्टेट एडॉप्ट किया, हमारी एक वेलफेयर स्टेट बनाने की भावना है, उसको अपनाने के लिये जो पहले एक लॉ एन्ड ऑर्डर की गवर्नमेंट थी, जिसका काम केवल लॉ एन्ड ऑर्डर ही मेन्टेन करने का था, वह अब तक ढांचा चला आ रहा है, देश के सब लोग मानते हैं, मैं भी मानता हूं कि उसमें परिवर्तन होना चाहिये। हमारे डवेलपमेन्ट के काम हैं, लीप्स एन्ड बाउन्ड से विकास के काम बढ़े हैं और उनको लीप्स एण्ड बाउन्डस से क्रियान्वित करने के लिए उस सम्बन्ध में रेस्पोन्सिबिलिटी, इनीशियेटिव जो होना चाहिये, जब तक एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचे में परिवर्तन न करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। इस दिशा में कई कमेटियों की सिफारिशें आ चुकी हैं, रिपोर्टें कई कमेटियों की आ चुकी हैं। सरकार ने ऑर्गेनाइजेशन एन्ड मैथड्स डिपार्टमेंट सेट अप किया, उनके बावजूद भी उस ढांचे में कोई चेन्ज नहीं आयी इसलिए सेमीनार ने यह सिफारिश की है. Now there are only two ways of removing it, एक तो यह था कि fixed specific responsibility for specific jobs on Government officials. इसको अपनाना और दूसरी बात यह थी कि वह ऑफिशियल उस रेस्पोन्सिबिलीटी को फील करता है या नहीं, उसके लिए एक ट्रिब्युनल अपॉइन्ट किया जाय। देश की जो सबसे बड़ी समस्या है वह मैन पॉवर और रिसोर्सेज़ की नहीं है जितनी समस्या इम्पलीमेन्टेशन ऑफ ऑवर डवेलपमेन्टवर्क्स की है। यह सब हम जानते हैं कि डवेलपमेन्ट के लिए फन्ड्स हम क्रीयेट करते हैं उसका एक कन्सी-

(श्री पी० के० चौधरी)

ट्रेवल अमाउन्ट वेस्ट किया है, लैप्स भी होता है और वेस्ट भी जाता है और प्रोग्राम समय पर इम्प्लीमेन्ट होकर पूरा नहीं होता है कई प्रोग्राम्स हैं, डेम्स, हाईड्रोइलेक्ट्रिसिटी आदि। कहीं पर भी हम इसके लिए रेस्पोन्सिबिलिटी फिक्स नहीं कर पाये। भाखरा में मिस्हेप हो गया, the responsibility has not been fixed on anybody; कमेटी बैठ गयी।

इस तरह से कहीं पर हुए हैं तो किसी जगह ऐसा कोई जरिया नहीं कि हम ऑफिसर पर कोई रेस्पोन्सिबिलिटी फिक्स कर सकें। इसलिए महसूस किया गया कि आगे जो थर्ड योजना है उसका एक्सपेन्डीचर वोल्यूम सेकिंड प्लान से डबल होगा। The quantum of the work will be double; डबल से कम नहीं हो सकता है। राजस्थान में तो २॥। गुना एक्सपेन्डीचर होगा और ऑल इन्डिया बेसिस पर लेते हैं तो डबल से कम नहीं होगा। जो प्रोग्राम और पोलिसी हम अपनाते हैं उसको इम्प्लीमेन्ट नहीं करते हैं, क्योंकि एक पॉलिसी डिक्लेयर कर देना, प्रोग्राम बना लेना ही काफी नहीं है जब तक कि उसको सक्सेसफुली इम्पलीमेन्ट नहीं कर देते।

तीसरी बात जो उटी सेमीनार में कही गयी थी उसकी ओर मैं मुख्य मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता चाहता हूं। वह है ministerial responsibilty and authority. हम काफी उम्मीद लगा कर बैठे थे कि चीफ मिनिस्टर महोदय ने जब केबिनेट का एक्सटेन्शन किया था, तो वे पोर्टफोलियोज़ का डिस्ट्रिब्यूशन इस तरह से करेंगे कि जो सेमीनार की रिकमन्डेशन्स हैं उनको ध्यान में रख कर करेंगे। पोर्टफोलियोज़ का रीडिस्ट्रिब्युशन किया but have they gone to more competent hands? जो रीऑर्गेनिजेशन हुआ है वह एक हाथ से दूसरे हाथ किया है but not to more competent hands. उटी सेमीनार ने एक सिफारिश की थी कि मिनिस्टिरियल रेस्पोन्सिबिलटी उसका डिस्ट्रिब्युशन किस प्रकार से चीफ मिनिस्टर्स एन्ड प्राइम-मिनिस्टर को करना चाहिये; उटी सेमीनार की रिपोर्ट है उसका पेज मैं पढ़ कर सुनाता हूँ :—

"An important point to which this Seminar draw attention was that no bureaucracy worked in isolation or in a vacuum, and that efforts for the improvement with purposeful instruction and training such as has been recommended, might bring about the general level of performance and consciousness would be influenced to a very large extent by the kind of ministerial authority under which they are called upon to work. While it was obvious that the choice of Ministers in a democratic pattern would not be made entirely in a manner compared to the recruitment of services. A Minister who was unequal to his administrative responsibilities or who was not prepared to get the best out of his official advisers on account of a domineering personality, excessive confidence in himself or other reason, would seriously demoralise the official machinery working under him. It was very essential that within the limits imposed by the democratic system, utmost care must be taken, according to the views expressed at the seminar, to selec t

Page No.45

(श्री पी० के० चौधरी)

Ministers who would have specific or atleast general competence to deal not only with men and affairs but also with specific subjects that were entruɩted to them. Such care in the selection of persons responsible for governance at the high level can, the Semnar considered, have a ameliorting effect on the whole machinery of the administration. The allocation of subjects amongst Ministers should be regrouped for better efficiency, and the members of the legislatures should train themselves in specific subjects."

तो मेरे कहने का मतलब यह था कि मैं सोच रहा था कि मुख्य मंत्री महोदय को मौका मिला है पोर्टफोलियों के रि एलोकेशन का ही; the portfolio which has he given up. इसका रि-एलोकेशन हुआ है, अपने पास के पोर्टफोलियो का रि-एलोकेशन किया है क्या जिनको वे पोर्टफोलियो दिये गये हैं वे मिनिस्टर ज्यादा कोम्पीटेन्ट थे ? Certainly he is not more competent, He will not be able to discharge these functions more efficlently. यह मेरी राय है और मैं समझता हूं कि सदन की भी यही राय होगी।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : सदन की राय के लिये कैसे कह सकते हैं ?

श्री पी० के० चौधरी : आपकी नहीं हो सकती, I know what I am saying. मैं यही कहना चाहता हूं कि जो उटी सेमीनार की सिफारिश है उसकी तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सर्विसेज़ पर असर डालने के लिये यह सोचना ज़रूरी है कि जिन मिनिस्टरों को पोर्टफोलियो दिये जांय he must also be competent and fully equipqed to improve the administration and give correct guidance to the services. मैं समझता हूं, मेरी राय में इस प्रकार से नहीं हुआ है, इसके अनुसार रि-डिस्ट्रिब्यूशन नहीं हुआ it has not been done keeping that in view. Even in his colleagues he could have re-distibuted it mare efficiently, keeping an eye on efficiency. दूसरी बात यह निवेदन करना चाहता हूं आज हम देखते हैं नॉन प्लान एक्सपेन्डिचर काफी बढ़ता जा रहा है फाइनेन्स इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट को भी देखें तो हमें पता चलेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन पर पचास प्रतिशत एक्सपेन्डीचर होता है। उटी सेमीनार ने भी इस बारे में यह सिफारिश की थी, कोई न कोई ऐसी मशीनरी सेट-अप करनी चाहिये जो नॉन प्लान एक्सपेन्डीचर होता है उसको चैक अप करने की। जिस प्रकार प्लान एक्सपेन्डीचर बढ़ता जाता है उसी प्रकार नॉन प्लान्ड एक्सपेन्डीचर भी बढ़ता जा रहा है। इसके लिए यह जरूरी है कि इसका ऑडिट कराया जाय। यह जो खर्चा बढ़ता जा रहा है उसको चैक करना जरूरी है, इसकी उटी सेमीनार ने सिफारिश की थी। उसके लिये गवर्नमेन्ट को मशीनरी सेट अप करनी चाहिये। मैं समझता था कि इसका कुछ इन्डीकेशन हमें राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में मिलेगा कि इस दिशा में गवर्नमेन्ट क्या कदम उठाने जा रही है ऐसी चीज में ? I am completely disillusioned and my expectations have not been fulfilled. दूसरी बात सभापति महोदय, मैं एग्रीकल्चर फैक्टस एन्ड फिगर्स की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारा जो प्रोग्राम है

(श्री पी. के. चौधरी)

उसके लिये गवर्नर महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है। हमारे थर्ड प्लान की जो एडीशनल ग्रान्ट थी ८.१२ लाख टन उसमें हमने इस साल जैसा कि उनके अभिभाषण में कहा गया है–"It is a matter of gratification that in the fourth year of the Second Five Year Plan we will be able to exceed the target of 8.12 lakh tons of additional food production fixed for the Second Plan period. It is estimated that by the end of March, 1961, we would have produced almost 12 lakh tons of additional food grains." सभापति महोदय, इस दिशा में हमारे देश में जो प्लान का प्रोग्राम है उसके अन्तर्गत फूड प्रोडक्शन में जो फिगर्स दिये जाते हैं वे काफी महत्व रखते हैं सारे प्लान प्रोग्राम के लिये और हमारा थर्ड फाइव ईयर प्लान भी इसी बेसिस पर बनने वाला है। फूड की एग्ज़िस्टिंग पोजीशन क्या है, आयन्दा पांच सालों में हम कितना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, much depends upon the data of the food production. सभापति महोदय, गवर्नर-महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है, आठ लाख टन फूड प्रोडक्शन हो गया। यानी सेकिन्ड फाइव ईयर प्लान के चौथे वर्ष में यह टार्गेट आठ लाख टन तक पहुँच जायगा। इन दी ईयर १६६०–६१ में चार लाख टन एडीशनल प्रोडक्शन कर लेंगे। इस तरह से बारह लाख टन हो जायगा इसको मैं रिफ्यूट करता हूं, वह भी गवर्नरमेंट के दिये हुए आंकड़ों के आधार पर। मैं आपका ध्यान प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ दी सेकिन्ड फाइव ईयर प्लान १६५८–५६ के पेज ४ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें फूड प्रोडक्शन के फिगर्स दिये हुए हैं। १६५५-५६ में ३१ लाख टन था, उसके ऊपर एडीशनल प्रोडक्शन ८ लाख टन हुआ इस तरह से ३६ लाख टन मानना चाहिये, यह टार्गेट प्रोडक्शन होना चाहिये। लेकिन हमारे पास जो फिगर्स हैं, एक्चुअल प्रोडक्शन के फिगर्स हैं उसके अनुसार १६५६-५७ में ३२ लाख टन रहा। १६५८–५६ में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ३५ लाख टन हुआ। गवर्नर महोदय ने पिछली साल कहा था हमारे यहां फूड प्रोडक्शन में ढाई लाख टन की और वृद्धि होगी, इस तरह से ३५ लाख टन हो गया। इस साल १६५६–६० में ३५ लाख टन से ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो सकता। हमने आठ लाख टन की जगह पांच लाख टन अनाज ज्यादा पैदा किया है, क्या हम इन स्टेटिसटिक्स को मानें या सरकार ने जो प्लान फ्रेम किया है उसमें जो फूड प्रोडक्शन के फिगर्स दिये हैं उसमें लिखा गया है कि १६५७-५८ में ३६ लाख टन और १६५८–५६ में ५० लाख टन। इस तरह से ग्यारह लाख टन एक साल में बढ़ गया।

तो मैं नहीं समझ पाया कि फूड ग्रेन के जो फिगर्स दिये जाते हैं उसमें इतनी डिसक्रीपेन्सी क्यों गवर्नर भाषण में, ? कुछ और आपके दूसरे प्रकाशन है, उसमें इतना फर्क क्यों ? मेरे पास पिछले तीन सालों के अभिभाषण हैं, उनके अनुसार मैं आपसे अर्ज करूं कि सन् ५८ के अभिभाषण में उन्होंने बताया है कि सन् १६५६–५७ के साल में सिर्फ ४१ हज़ार टन ही अनाज की पैदावार बढ़ा सके। उसके बाद ५८–५६ में हमने उम्मीद की उससे एक लाख टन ज्यादा हो गया और सन् १६५६–६० में आठ लाख टन हुआ। ये सारे फीगर्स हम मिलाते हैं तो

(श्री पी. के. चौधरी)

८ लाख टन से ज्यादा पैदावार में होती है; यहां ३६ लाख टन होता है in the fourth year of the Second Five Year Plan. १९५८—५९ और १९५९—६० के आंकड़े ले लीजिये । हमारेजो प्लान फ्रेम के आंकड़े हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट के फीगर्स को ले लिया जाय और इस साल के अभिभाषण में जो फीगर्स दिये हैं उनको ले लिया जाय तो हम देखते हैं कि तीनों आकड़ों में काफी डिफरेन्स मिलेगा, जहां जिसकी जैसी मर्जी आती है एक गुलाबी पिक्चर हमारे सामने रख दी जाती है ।

अब प्रोग्रेस रिपोर्ट में इस बात को माना है कि ५७।५८ में हमारा प्रोडक्शन लोएस्ट था फोर फेल्योर आफ रेन्स एट्सेट्रा । यानी ५४ में हमारा प्रोडक्शन ३५ लाख टन था जो घटकर ३० लाख टन आ गया । तो मैं निवेदन कर रहा था कि यह जो डिफरेन्स है फुड स्टेटिस्टिक्स में और जिस पर आप अपनी प्लानिंग की मंजिल बनाते हैं उससे आगे धोखा होगा । अब यह गलत डाटा और फिगर्स चाहे एग्रीकल्चर विभाग देता हो, चाहे रेवेन्यू विभाग देता हो स्टेटिस्टिक्स विभाग को; but in that plan the data abont the food production will be absolutely deficient. फूड प्रोडक्शन कम होती है, ज्यादा होती है इसकी चिन्ता नहीं । इसको तो हम भुगत लेंगे । पर उसी के बेसिस पर हम जो अपनी तीसरी योजना की प्लान बनाते हैं तो हमारे अगले पांच साल भी उस रोंग बेसिस पर हमारे खड़े होंगे । हमारा प्लान का एडिफिस स्ट्रक्चर बहुत ही गलत और डैट्रिमेंटल होगा, जिसके लिये आगे हमारे लिये डिफिकल्टी आ सकती ह । तो फूड प्रोडक्शन के जो आंकड़े दिये है मैं उनके रिफ्यूट करता हूं, चैलेन्ज करता हूं और गवर्नरमेंट के रिकार्ड से चैलेन्ज करता हूं और साथ ही आशा करता हूं कि सरकार इसको सुधारने की कोशिश करेगी जिससे आगे चलकर हम दिक्कत से बचें ।

दूसरी बात सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा वह है इन्डस्ट्रियल प्रोग्रेस की और इन्डस्ट्रियल कन्सर्नस की । जहां तक इन्डस्ट्रियल पॉलिसी का सवाल है गवर्नर महोदय ने उसका जिक्र करना भी जरूरी नहीं समझा ।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष,पदासीन)

जब कि हिन्दुतान में इसकी सबसे बड़ी जरूरत आज महसूस की जा रही है ।Industrialisation is the first and foremost of the planners and public sector. इन्डस्ट्रियल कन्सर्नस की प्रगति पिछले साल की भी एन्करेजिंग नहीं है । हम देखते हैं कि पांच महीनों से पिछले सेशन से भीलवाड़ा टैक्सटाइल मिल बन्द पड़ी है । लेबर मिनिस्टर साहब वहां पधारे थे और लेबर से वादा करके आये थे कि बैठे रहिये तनख्वाह दिलावेंगे । पांच छः महिने हो गये नहीं मिली तनख्वाह । विजयनगर की शुगर मिल, पांच लाख का लोन जिसमें से तीन लाख की सरकार से सिक्योरिटी ली है फाइनेन्सियल कोरपोरेशन ने, दिया गया । वह शुगर मिल बन्द पड़ी है । एन. बी. सी. को देख लिजिये । इसमें भी लम्बे अर्से तक हड़ताल चली है । इसके सम्बन्ध में सेन्टर के मिनिस्टर भी आ चुके हैं; अनऑफिशियल या ऑफिशियल में नहीं कह सकता, पर आये हैं जरूर । प्रेस का झगड़ा चला । डिप्रेसिंग है पिछले

(श्री पी० के० चौधरी)

साल का हाल। कन्सीलियेशन की मशीनरी टोटली फेल्योर रही टू राइज टू दी ओकेज़न, फेल कर गई। It has failed to pay its part effectively. तो मैं चाहता था कि कि गवर्नर महोदय इस बात को मन्जूर करते और इसका इन्डीकेशन देते अपने भाषण में कि अगले साल इस इन्डस्ट्रियल कन्सर्न को ऊपर उठाने के लिये क्या कदम सरकार उठाना चाहता है। इसका कुछ इन्डीकेशन ज रूर मिलना चाहिये था।

(माननीय सदस्य के कुछ कागज देखने पर)

श्री उपाध्यक्ष : I fear, other Hon'ble Member may not stand.

श्री पी. के. चौधरी : So Sir, I am just finding it out. इसमें इन्डस्ट्रियल कन्सर्न्स के बारे में दो एक पैराग्राफ दिये हैं। पिछले साल ८ पैराग्राफ थे। उससे पिछले साल ६ थे। इस साल सिर्फ दो ही पैराग्राफ हैं। पैराग्राफ हैं जरूर, पर इसमें सब्सटेन्स कुछ भ नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : बहुत है। ढूंढने की जरूरत है।

(हंसी)

श्री पी. के. चौधरी : इसमें लिखा है कि "Para-21. Arrangement for starting a Nylone Factory at Kotah and a Spinning Mill at Udaipur have been made.' अब पिछले साल भी यही कहा गया था। Arrangements have been made. हम तो चाहते थे कि प्रोग्रेस क्या हुई, यह बताते; not the repeliticn of the same statament. यह कहा गया था ५८ में कि नाइलोन फैक्ट्री का इन्तजाम सरकार कर रही है। इस साल भी वही बात है। हम जानना चाहते हैं कि यह जो अरेन्जमेन्ट किया गया था, ५८-५६ में दोनों फैक्टरियों का स्टार्ट करने का उसमें क्या प्रोडक्शन हुआ; वे स्टार्ट हो गई या क्या हुआ? That we wanted from the address of the Governor. It is the repetition of the very same statement.

दूसरी बात, इसमें कहा है कि सवाई माधोपुर में डीज़ल लोकोमोटिव चालू करने के लिये भी steps are being taken. पिछले साल भी यही कहा गया था। नेशनल इन्जीनियरिंग कम्पनी ने डीज़ल लोकोमोटिव कारखाने का चलाने का लाइसेन्स भारत सरकार से प्राप्त कर लिया है, भरतपुर वैगन फैक्ट्री ने व्यवस्था कर ली है। इस साल पता नहीं क्यों नहीं कुछ कहा इसके बारे में। गवर्नर महोदय ने पिछले साल कहा था वेगन फैक्ट्री चालू करने का। It is there in the last year. मैं पढ़कर सुना देता हूं। This is a repetition. He is nodding his head.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : भरतपुर फैक्टरी ने सवाई माधोपुर में शुरू करने का नहीं कहा था। अलग से चल तो रहा है।

श्री पी. के. चौधरी : हां, अलग से कहा था। भरतपुर वेगन फैक्टरी ने उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है और जयपुर की नेशनल इन्जीनियरिंग कम्पनी ने दूसरी वैगन फैक्ट्री खोलने का लाइसेन्स प्राप्त कर लिया है और इस कम्पनी ने हाल ही में सवाई माधोपुर में डीज़ल लोकोमोटिव प्लान्ट स्थापित

Page No.49

(श्री पी. के. चौधरी)

करने के लिये भारत सरकार को दर्खास्त की है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : It is not Bharatpur, but National Engineering Company.

श्री पी. के. चौधरी : एक के लिये लाइसेन्स प्राप्त कर लिया है और दूसरी के लिये दर्खास्त की थी। अब गवर्नर महोदय ने इतना ही कहा है कि सवाई माधोपुर में स्टेप्स आर बीइंग टेकन। वेगन फैक्ट्री के लिये क्या किया, इसका जिक्र नहीं है। सवाई माधोपुर में वैगन फैक्टरी के लिये; या तो वह कम्पलीट हो गया या हवा हो गया।

(हंसी)

These two things might have taken to it. हम तो गवर्नर महोदय आते हैं और जो एड्रेस देते हैं उसको माईन्यूटली पढ़ते हैं और सीरियसली उसके बारे में सोचते हैं And we take it on the face very seriously. इसके बाद अगले साल, उस पिछले साल कही गई बात को छू हुई देखते हैं तो इससे तकलीफ होती है। इसमें भी स्टेटमेन्ट दिया था। पिछले साल दरख्वास्त दी और कहा गया कि डीज़ल लोकोमोटिव के लिये स्टेप्स ले लिये !

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : दोनों में फर्क पड़ा ?

श्री पी. के. चौधरी : आपके रिप्लाई में वह फ़र्क समझा दें। We want to know the progres. इसी तरह से हनुमानगढ़ में भी यह जिक्र आया जो ५८ में आया फर्टीलाइज़र फैक्ट्री का।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मेरा मतलब यह था कि पांच साल से हम इसके लिये कोशिश कर रहे थे, पर इस साल और आगे बढ़े हैं।

श्री पी. के. चौधरी : काफी इन्डीकेशन इस बात के हैं। आगे इन्डस्ट्रियल प्रोग्रेस का रिव्यू हम गवर्नर महोदय से जानने की उम्मीद करते थे, पर वह रिव्यू हमको नहीं मिला। यह हमारे अफसोस की बात है और मैं समझता हूं कि वित्त मन्त्री अपने जवाब में इसका एक रिव्यू देंगे। एक बात मैं साथ साथ यहां पर कहना चाहता हूँ और खास तौर पर माननीय मुख्य मन्त्री से कहना चाहता हूं। गवर्नर महोदय ने अपने भाषण में कहा है कि सन् १९५९ में राज्य से ८४,६०० टन आइरन ओर निर्यात किया गया। अब हमने माननीय मुख्य मन्त्री महोदय के सामने जिले की तरफ से मेमोरेन्डम रखा था कि जयपुर में काफी आइरन ओर मिलता है जिसको कि हम आज जापान को एक्सपोर्ट करते हैं और हमने कहा था कि यहां पर स्माल स्केल पर स्टील प्लान्ट होना चाहिए। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि मैंने अभी दो-चार दिनों में अखबारों में पढ़ा था कि भारत में जापानी मिशन आया हुआ है और वह मद्रास जा रहा है। वह मद्रास इसी आइरन ओर के सिलसिले में बातचीत करने के लिए जा रहा है। मैं चाहता हूं कि पिग आइरन प्लान्ट छोटे स्केल पर खोल सकें तो अच्छा रहेगा। पिग आइरन के लिए लिगनाइट कोल की आवश्यकता होती है और इसी के लिए वह मिशन जांच करने के लिए आया हुआ है। अगर माननीय मुख्य मन्त्री जी

(श्री पी. के. चौधरी)

का जरिया हो तो प्लानिंग कमीशन से मिलकर या किसी और के थ्रू इस काम को करवा सकते हैं। फिर मेरे ख्याल से आप अभी छः सात तारीख को दिल्ली भी जाने वाले हैं, मैंने प्रोग्राम देखा है। तो यह जो जापानी मिशन है, जो मद्रास में स्माल स्टील प्लान्ट को लगाने की सोच रहा है विथ दी यूज ऑफ लिगनाइट और जो कि हमारे यहां पर भी काफ़ी मात्रा में है, तो इसके लिए कुछ करें, यह मेरा सुझाव है।

अब एक बात और है कि पिछली साल और उसके पहले भी हर दफा स्त्री शिक्षा के लिए काफी बातें कही गई थीं, लेकिन इस साल स्त्री शिक्षा का कोई जिक्र नहीं है और जहां तक स्त्री शिक्षा का सवाल है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको कम्पेरेटिव फिगर्स देना चाहता हूं। हमारी जो बालिकाओं का एज ग्रुप ६ से ११ का है उसमें १-४-५६ को लड़कों का प्रतिशत ५३ पर्सेंट है और लड़कियों का प्रतिशत ९.५ पर्सेन्ट है। सन् १९६०–६१ का टार्गेट लड़कों का ४९ परसेन्ट और लड़कियों का १० पर्सेन्ट और जो एज ग्रुप ११ से १४ का है उसमें ११.३ और लड़कियों का २.५ और १९६०–६१ में २१.३ और २.६ पर्सेन्ट है। अब आप चाहते हैं कि स्त्री शिक्षा की उन्नति हो क्योंकि हमने गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया की कुछ रिपोर्ट्स देखी हैं तो नेफा और जम्मू कश्मीर के बाद सबसे कम स्त्री शिक्षा राजस्थान में है, यानी नीचे से स्त्री शिक्षा के बारे में नेफा और जम्मू कश्मीर के ऊपर राजस्थान का ही नम्बर आता है स्त्री शिक्षा की दृष्टि से। क्योंकि हम देखते हैं कि राजस्थान सरकार out of long territories in India, North east frontiers and the Jammu and Kashmir. १९५१ के चुनाव के समय सारे हिन्दुस्तान में २१ लाख की लेडीज़ के नाम कैन्सिल कर दिए थे और राजस्थान में ही ५ लाख कैन्सिल हुए थे। हम जब केबिनेट की तरफ़ देखते हैं तो वहां पर भी हम देखते हैं we are less chivalrous. तो मेरा निवेदन है कि स्त्री शिक्षा के साथ साथ I may say that not a single lady representative, with regrets, I would say, has been included. They should consider it at highest level.

श्री उपाध्यक्ष : Why don't you leave it to the Lady Members.

श्री पी० के० चौधरी : The entire House will agree with me alongwith the Chief Minister. मैं चाहूंगा कि इस सेशन के दरमियान ही एक महिला को इस केबिनेट में जगह दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक कोऑपरेटिव का सवाल है गवर्नर महोदय ने अपने भाषण में यह कहा है कि पिछले साल १९५९ में एक हज़ार के करीब सर्विस कोऑपरेटिव्ज राजस्थान में बनी हैं और यह कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का पब्लिकेशन है उसमें बताया है, they give the number as 4,700.— यह फिगर्स हमारे सामने आती हैं और गवर्नर महोदय के भाषण में यही है मेरी समझ में नहीं आता कि which we should take correct. कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के प्रोपेगेन्डा करने के लिए ४५०० बता दिया या गवर्नर महोदय ने हमको गलत फिगर्स दीं। One figure from the Government should come. यह जो ४५०० कोऑपरेटिव बता दी तो मुझे मालूम है कि यह सर्विस कोऑप-

(श्री पी. के. चौधरी)

रेटिव कैसे बनीं। रातों रात जो कि मार्केटिंग सोसाइटी या दूसरी सोसाइटीज़ थीं उनके बोर्ड बदलकर उन पर सर्विस कोऑपरेटिव लिख दिया। लेकिन फिर भी there must be some consistency in the figures supplied by the Government उससे आगे मैं इस सर्विस कोऑपरेटिव के सिलसिले में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। कोऑपरेटिव फार्मिंग के बारे में बताया है कि वह ५४२ हैं। अब कितनी संख्या उनकी बताई है, उससे मेरा झगड़ा नहीं है। मेरा झगड़ा तो यह है कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी कोऑपरेटिव फार्मिंग की ज़मीन है वह लगभग ११ हज़ार एकड़ होगी। लेकिन अफ़सोस की बात है कि आज तक मुश्किल से एक-दो कोऑपरेटिव फार्म में ही प्लोइंग हुआ होगा। अब इसका कारण एक और है कि इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के पास काफी फण्ड नहीं हैं और उनके पास जो जमीन है वह भी बारानी है और बारानी लैंड को रिक्लेम करने के लिए उनके शेयर्स हैं बीस बीस रुपये के। अब बैंक से जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का वर्तमान कानून है उसका सिर्फ शोर्ट टर्म लोन मिलता है 10 times of their share value. अब मान लो एक सोसाइटी के अन्दर एक हज़ार एकड़ ज़मीन है और अब उसकी मेग्ज़ीमम क्रेडिट लिमिट है शार्ट टर्म का वह मुश्किल से जाकर 10 times of their share value है। यानी मुश्किल से एक सोसाइटी को चार-पांच हज़ार रुपये मिलते हैं और इतने कम अमाउन्ट में इतनी बड़ी लैण्ड को कल्टीवेट करना इम्पॉसीबल है। यह तो मैंने कोऑपरेटिव फार्मिंग का फिगर दिया है, लेकिन मुझे सन्देह है कि जयपुर में ७२ फार्म्स के लिए डेफीनेटली कहा गया है कि मुश्किल से दो चार को छोड़कर जैसी ज़मीन उनके पास पहले थी वैसी ही पड़ी है। उसमें प्रोडक्शन कुछ भी नहीं हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, बस इससे आगे मैं और ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं गवर्नर महोदय ने जो अभिभाषण किया है उस के ऊपर कृतज्ञता का प्रस्ताव रखा गया है, उसका समर्थन करता हूं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कल से बहस चल रही है, और धन्यवाद का प्रस्ताव अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है ...

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : नसीराबाद से।

श्री मुरलीधर व्यास : नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है। परन्तु पहले उन्होंने इस धन्यवाद के प्रस्ताव को करने के उसमें वाकई जो वस्तुस्थिति है उसमें से कुछ सत्यों की खोज की होती और उसके साथ ही साथ जो कमियां हैं उनको रखा होता तो ऐसा मालूम पड़ता कि उन्होंने धन्यवाद का प्रस्ताव वाकई में एक दृष्टिकोण से रखा है। परन्तु जब सारी बातों को उन्होंने इस प्रकार से रखा कि ऐसा मालूम पड़ने लगा कि राजस्थान में तो बिल्कुल ही रामराज्य चल रहा है। कहीं पर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है....

एक माननीय सदस्य : रामराज्य तो अब आयेगा।

श्री मुरलीधर व्यास : रामराज्य की कल्पना महात्मा गांधी की कल्पना है। मैं

(श्री मुरलीधर व्यास)

महात्मा गांधी की कल्पना की बात कह रहा हूं। वह कल्पना है । इस प्रकार से मैंने सोचा कि वाकई में राजस्थान में इस प्रकार की व्यवस्था है और बिल्कुल कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था हमारे यहां पर पहुंच गई है।

मैं यह समझता हूँ कि राज्यपाल महोदय ने जो कुछ भी भाषण दिया वह एक परम्परा के आधार के ऊपर तो जरूर है। उसके साथ ही साथ परम्परा यह है कि राज्यपाल महोदय के भाषण में हम हमारे राज्य में गतवर्ष में जो कुछ भी हमने निर्णय किये थे उसमें कहां कहां तक पहुँचे हैं और उसके साथ ही साथ हम आगे जो अगले वर्ष के लिए ऐसे कौन से कार्यों में जो हमारी कमियां हैं उनको दूर करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, इसका एक प्रकार से उसके अन्दर दर्पण रहता है जिसको देखकर राज्य की भावी नीति का अन्दाज़ लगा सकते हैं। परन्तु जो पुराने राज्यपाल महोदय के २ भाषण हमने पढ़े हैं उसके बाद में अब का भाषण पढ़ा, और जैसा कि हमारे फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि दो सालों के बाद पुराने भाषणों से यह भाषण सुना तो यह विशेष, प्रेरणाप्रद नहीं था । मैं भी ऐसा ही महसूस करता हूँ कि वाकई में विशेष प्रेरणा ही नही थी, और मैं तो यह भी महसूस करता हूं कि राज्यपाल महोदय, स्वयं भी अपने अभिभाषण के प्रारम्भ में, ऐसा महसूस होता था, ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हमारे काम में कहीं न कहीं इस प्रकार की कमियां हैं....

एक माननीय सदस्य : यह आपकी साइकोलोजीकल स्टडी है।

(हंसी)

श्री मुरलीधर व्यास : उनकी लाइनों से मैं अन्दाज़ लगाता हूं जो उन्होंने इस प्रकार से कही हैं, "पिछले वर्ष में राज्य सरकार तथा यहां के लोग राज्य की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति सुधारने के प्रत्यन में निरन्तर जुट रहे हैं और उसके बाद में, उत्पादन के तरीके में तकनीकी ज्ञान का फायदा उठाने तथा अपनाने की जरूरत लगातार महसूस की जाती रही है।" फिर उसके बाद में आगे जाते हैं तो यह है कि किस प्रकार से क्या गेन किया है, परन्तु निरन्तर बढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। निरन्तर सोच ही रहे हैं, इस प्रकार की स्थिति नहीं मालूम पड़ती है कि हमने कोई गेन किया हो, इस प्रकार की स्थिति नहीं है मालूम पड़ती है, मैंने यह अन्दाज़ा लगाया है, हो सकता है कि वह गलत हो। परन्तु मैं ऐसा महसूस कर पाया हूं कि वे स्वयं ऐसा महसूस कर रहे है लगातार राज्यपाल महोदय और उन्होंने यह माना है कि न ठीक ही तरह की व्यवस्था है, और हम उसको वैसे ही मान लें कि ठीक है जैसा कि आप मानते हैं कि अपना सारा प्रशासन ठीक तरीके से चल रहा है, व्यवस्था अच्छी है, व्यवस्था होने के बाद में राज्य में मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो ऐसा महसूस होता है कि या तो मंत्री मंडल के विस्तार में सरकार यह महसूस करती है कि हमारे काम में कुछ इस प्रकार की कमियां हैं जिनको पूरा नहीं कर पाते हैं, और काम का इस प्रकार से विभाजन करना चाहिए जिससे कि कुछ काम जो कम रहता है वह पूरा कर सकें। परन्तु जब यह बात नहीं है, सब कुछ ठीक

Page No.53

(श्री मुरलीधर व्यास)

है तो ऐसा भी मैं महसूस करता हूं कि मंत्री-मंडल का विस्तार एक ऐसा विषय है जो आम जनता से संबंध रखता है। मैंने इसके ऊपर एक स्थगन प्रताव भी प्रस्तुत किया था, परन्तु अध्यक्ष महोदय ने उसको यह कह कर कि इतने महत्व का नहीं है और उसके साथ ही साथ राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इस पर विचार रख सकते हैं, यह बात कही है। मैं महसूस करता हूँ कि यह वाकई में महत्व का प्रश्न है। किसी राज्य में मंत्री मंडल का विस्तार होता है तो उसके पीछे सारी जनता के फायदे की चीज़ होनी चाहिए और अगर वह नहीं होती है और सिर्फ यों ही मंत्रिमंडल का विस्तार अपने व्यक्तिगत स्थिति को मद्देमज़र रखते हुए या और किसी दृष्टिकोण से विस्तार होता है, तो मैं समझता हूं कि वह ठीक नहीं है और मैं यह महसूस करता हूं कि राजस्थान राज्य के मंत्रीमंडल का विस्तार किया गया है वह विस्तार एक आवश्यक रूप से किया गया है, और अगर आवश्यकता जनता के दृष्टिकोण से होती तो यह ३ साल पहले भी हो जाता। जब कि ३ साल तक मंत्रीमंडल का विस्तार नहीं हुआ, उतने ही मंत्रियों ने काम किया और अब उसका विस्तार करते हैं....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : सत्ता का विकेन्द्रीकरण इसी वर्ष में हुआ इसलिये जरूरत ज्यादा पड़ गई है।

(हंसी)

श्री मुरलीधर व्यास : सत्ता का विकेन्द्रीकरण हुआ तो मैं समझता हूं कि सत्ता नीचे चली गई है। अब तो जरूरत नहीं है। आपको क्या करना चाहिये ? अपने आप में सत्ता का विकेन्द्रीकरण करके मंत्री-मंडल को बढ़ाते हैं, प्रशासन को बढ़ाते हैं, और काम बढ़ाते है तो मैं समझता हूं कि सारा विकेन्द्रीकरण डूब जाने वाला है।....

श्री उपाध्यक्ष : यह मिनिस्ट्री की ओर से रिप्लाई नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद (सरदारशहर) : यह एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से रिप्लाई है।

(हंसी)

श्री मुरलीधर व्यास : यह जो तथ्य रखा गया है, ठीक नहीं है। आज हमको जनतन्त्र के प्रति आस्था पैदा करनी है, और इसके साथ साथ कदम उठाना है, लेकिन ऐसे कदम उठाते हैं तो जनता में प्रजातन्त्र के प्रति कुछ आकर्षण नहीं होता है। आज मनमाने तरीके से मन्त्रीमंडल का विस्तार कर लेते हैं। आप किसी हरिजन को मन्त्रीमंडल में लेना चाहते थे, किसी महिला को मन्त्रीमंडल में रखना चाहते थे। जैसा कि गत समय में रखा था, उसके लिए इस प्रकार से लाते और उसके साथ साथ दो मन्त्रियों को कम करते तो हम वह आधार मान जाते कि हमने किसी मूल उद्देश्य की पूर्ति की। परन्तु जब अपने कुनबे को पहले से दुगुना कर दिया है, और हमारे साथी कुछ तो यह कह रहे हैं कि तिगुना करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी और को लेकर। परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि यह जो कुछ हुआ है वह जनता के लिये नहीं हुआ है, व्यक्तिगत बात को लेकर हुआ है। किसी दल विशेष ने अपनी दलीय परिस्थितियों के लिये किया है, तो मैं कहता हूं कि यह सब से बुरा काम राजस्थान की जनता के लिये हुआ है।

एक माननीय सदस्य : अंगूर खट्टे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : यह काम ठीक नहीं हुआ। राज्यपाल महोदय ने इसके लिये कोई बात नहीं कही है। परन्तु मैं समझता हूँ कि यह ऐसा महत्वपूर्ण विषय था जिसके ऊपर कुछ न कुछ प्रकाश डालना जरूरी था।

अब दूसरी बात मैं यह महसूस करता हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का आखिर तरीका क्या होना चाहिये कि जिससे हम यह समझ सकें कि किस प्रकार के हमारे यहां कार्य हो रहे हैं और वे इतने साफ और स्पष्ट होने चाहिये, हो सकता है कि उनमें कुछ कमियां भी हों, तो उन कमियों को सुधारने के बारे में प्रस्ताव रख सकते हैं। इन कमियों को भी सफाई के साथ रखना चाहिये और साथ ही साथ किस प्रकार से उनको दूर करना चाहते हैं इनको भी साफ तौर से रखना चाहिये था और भविष्य में क्या कार्यक्रम हो, इसको भी रखना चाहिये और योजना के आधार पर होना चाहिए और यह बताना चाहिये कि आप इन कर्त्तव्यों को किस प्रकार से पालन करना चाहते हैं। ये सारी बातें सफाई के साथ रखनी चाहिये।

आज जो हमारी योजना थी उसमें कहां तक सफलता मिली, जिस मूल उद्देश्य से हमने इसे प्रारम्भ किया था उसका दिग्दर्शन होना चाहिए था। लेकिन ये सारी बातें इसमें नहीं हैं। मैं समझता हूं चाहे कोई भी सरकार कहीं की भी हो, उसका जो कर्त्तव्य होता है उसका पालन वह कहां तक करती है, उसका दिग्दर्शन होना चाहिये। जो जनतांत्रिक सरकार होती है उसकी जिम्मेदारियां भी बहुत सी होती हैं उनको एक एक को यदि लें तो आखिर डेमोक्रेसी है तो सरकार की मुख्य जिम्मेदारियां क्या हैं ? जो मुख्य जिम्मेदारियों हैं उनमें से मुख्य है सुरक्षा, जनता को न्याय किस प्रकार से मिलता है, लॉ एण्ड ऑर्डर किस प्रकार से मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है या नहीं, आम लोगों को रोजी देने में कहां तक कामयाब हुए हैं, देश में उत्पादन कहां तक बढ़ पाया है और बढ़े हुए मूल्यों में लोगों को रोटी किस प्रकार से दे रहे हैं ये मुख्य जिम्मेदारियां सरकार की होती है। और राज्यपाल महोदय का जो भाषण होता है उसमें यह बताना चाहिए कि इन जिम्मेदारियों को सरकार ने कहां तक निभाया है और आगे किस प्रकार से निभाने जा रहे हैं, इसका दिग्दर्शन होना चाहिए। लेकिन ठीक बात है, मान लिया उन्होंने कह दिया कि लॉ एण्ड ऑर्डर और सुरक्षा ठीक रही, पहले चलती थी वैसी ही रही। इस पर या तो यह अन्दाज लगाना पड़ेगा कि पहले ठीक थी या नहीं और उसमें सुधार हुआ है या नहीं। सुरक्षा के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि वह पहले से ज्यादा बदतर होती जा रही है। आज किसी भी मामले में राज्य में हर आदमी की सुरक्षा के बारे में कोई जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि मैं ऐसे उदाहरण देखता हूं कि लोग सरकार के पास पहुँच कर कहते हैं कि साहब मेरी जान खतरे में है मुझे कोई कत्ल कर देगा, वह सरकार के अधिकारियों के पास जावे और वहां जाने के बाद भी यह समझिये कि उसका क़त्ल हो जाय तो भी क्या आप यह कहेंगे कि सरकार ने सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाई है ? यों तो उसकी जिम्मेदारी यह है कि स्वयं निभावे और दूसरों से कहलवाने का मौका न दे लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सुरक्षा के मामले में

(श्री मुरलीधर व्यास)

लोग उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारी रक्षा करिये और उसके बावजूद भी सरकार उनकी रक्षा नहीं कर सकी। मैं ऐसे उदाहरण इस साल के भी कई दे सकता हूं। गत दो महीने पहले बूंदी गया था, वहां खुले आम एक महिला लगातार एस. पी. और कलेक्टर के पास गई और उसी तारीख को वहां कमिश्नर आये हुए थे; उनके पास भी गई और उनसे कहा कि मेरी जान को खतरा है। सुबह से वह बराबर जाकर अधिकारियों से यह कहती गई, लेकिन आखिर हुआ कुछ नहीं। किसी ने कहा कि दरख्वास्त दे दो लेकिन इतनी बात कहने के बाद भी सरकारी अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया और नतीजा यह हुआ कि दिन दहाड़े ३ बजे एक आदमी ने नंगी तलवार से पोस्ट ऑफिस के सामने उसकी गर्दन को उसके धड़ से अलग कर दिया। यह बात गलत नहीं है, इसका पता लगाया जा सकता है। लेकिन आखिर सरकार की जिम्मेदारी कहां तक होती है ? पुराने जमाने में ऐसी घटना पर आश्चर्य प्रकट करते थे लेकिन आज के राज्य में इस प्रकार की घटना घटती है तो क्या असर पड़ता है। आप इसका पता लगा लीजिये, यह घटना हुई या नहीं, वह महिला बड़े बड़े अधिकारियों के पास गई या नहीं और उसके वहां जाने के बाद भी उसका कत्ल कर किया गया, दिन दहाड़े नंगी तलवार से....

श्री चन्दनमल बैद : बन्द तलवार से कत्ल नहीं होता।

श्री मुरलीधर व्यास : और इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण आपके चूरू के पास रतनगढ़ का देखिये बीरबल नामके हलवाई का। वह भी सुबह से सभी अफसरों के दरवाजे खटखटाता रहा और कहता रहा कि मेरी मौत होने वाली है, बचाइये; लेकिन उस बीरबल हलवाई को भी उसी प्रकार से मार डाला गया, अस्पताल में पहुंचा, लेकिन मौत किस कारण से हुई उसका मुआयना तक नहीं हुआ। ऐसी कई घटनायें हो जाती हैं। यदि आप कहें तो मैं १०–२० बतला सकता हूं। यदि एक दो घटनायें भी ऐसी होती हैं तो आपको अन्दाजा लगाना चाहिये कि राज्य में सुरक्षा की व्यवस्था किस प्रकार की है ; वैसे ही कह दें तो मालूम न होगा लेकिन कहने के बाद भी उनकी रक्षा नहीं की गई तो मैं कहता हूं कि जिम्मेदारी नहीं निभाई गई।

लॉ एण्ड ऑर्डर की बात होती है तो कहते हैं कि लॉ एण्ड ऑर्डर मेन्टेन कर रहे हैं। मैंने गये समय सरदार शहर के शहीद स्मारक की बात कही थी और उसके बारे में एक स्थगन प्रस्ताव भी रखा था; जिसके लिये इजाजत नहीं दी गई और मुझे इस हाउस से हटा दिया गया। मैंने कहा था कि शहीद स्मारक नहीं मिटना चाहिए लेकिन सरकार की ओर से इस बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं कहा गया। यदि वे यह कहते कि कार्यवाही हो रही है तो भी मैं समझता कि सरकार जागरूक है। मैंने वहां जाकर देखा तो मुझे मालूम हुआ कि वहां के लोगों ने जाकर पुलिस अधिकारियों को सूचना दी कि वहां पर लॉ एण्ड ऑर्डर को तोड़ा जा रहा है, मनमाने तरीके से हाथ में हथियार लेकर शहीद स्मारक को तोड़ने वाले हैं, यह बात अधिकारियों को कह दी गई लेकिन उसके बाद भी अधिकारियों ने उसकी परवाह नहीं की और वे लोग वहां पहुँचे भी, लेकिन

(श्री मुरलीधर व्यास)

उनकी देखरेख में शहीद स्मारक तोड़ दिया गया। शहीद स्मारक ही नहीं तोड़ा गया बल्कि सर्दी की रात्रि में ६–१० बजे वहां पर जो हरिजनों के बच्चे पढ़ते थे और वह स्थान ऊंचे रेतीले स्थान पर वह था, १० बजे रात्रि को छात्रों को वहां से निकाल कर बाहर किया गया और उस रात्रि में उनका सामान और किताबें जला दी गई और छोटे छोटे १०–१२ साल के बच्चों को वहां से बाहर निकाल दिया गया और शहीद स्मारक को तोड़ा गया, किताबें जलाई गईं....

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री) : But now the matter is subjudice.

श्री श्रीभानसिंह : But the facts can be stated. He is not commenting on the merits of the case, he is saying about the facts of the case.

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री): सब जुडिस है इसलिये न कहा जाय तो अच्छा हो।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं यह कहना चाहता हूं कि यह घटना लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी को निभाने जैसी है या नहीं। लॉ एंड ऑर्डर आपको स्वतः ही मेन्टेन करना चाहिये लेकिन कहने के बाद भी नहीं हुआ तो इसे क्या कहा जाय? इस घटना से सारा हिन्दुस्तान हिल उठा। दिल्ली के केन्द्रीय मंत्रियों ने पूछा कि शहीद स्मारक की क्या बात है और उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ वह बुरा हुआ। लेकिन इस प्रकार की घटना यदि कहने के बाद भी हो जाती है और वे लोग रात्रि में बच्चों की किताबें जला देते हैं तो मैं कहता हूं कि यह घटना बहुत बुरी हुई। मैं मानता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने कुछ कार्यवाही करने को कहा, मैं गृह मंत्रीजी की बात नहीं कहता क्योंकि उनके पास कोई बात पहुंचे तो भी कई दिनों तक यों ही पड़ी रहती है। इस पर भी वे कहते हैं कि यह सबजुडिस है, लेकिन मैं इतना कहने का तो अधिकारी हूं कि लॉ एंड ऑर्डर की आपकी जिम्मेदारी है। उनके कहने के बावजूद भी कुछ नहीं करते हैं तो जिम्मेदारी किसकी है? मैं उदाहरण इसलिये देना चाहता हूं कि आखिर आप यह कहते हैं कि शान्ति से काम चल रहा है, इतने डाकुओं का सफाया कर दिया गया। लेकिन इससे बढ़कर कोई बात नहीं हो सकती। आप कहते हैं कि हमने डाकुओं का सफाया किया लेकिन मैं कहता हूं कि चार महीनों पहले की बात है, जगमालसिंह डाकू जिसके बारे में आप कहते हैं कि वह पाकिस्तान में भाग गया है वह आज भी आता है और चला जाता है। कई मोटरें भर कर उसके पास माल गया, कस्तूरिया गांव में उसके डर से आज भी वहां एक भी आदमी नहीं रहता। आप कहते हैं कि वहां से डाकू निकल गया तो फिर क्यों नहीं वहां लोग बसते? लेकिन आज भी वहां पर डाकू उस क्षेत्र में घूमते हैं, फिर भी आप कहते हैं कि डाकुओं का सफाया कर दिया गया है। इस प्रकार से यह जिम्मेदारी सुरक्षा की कही, लॉ एन्ड ऑर्डर की बात कही। तीसरी बात मैं कहूंगा, जो आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, न्याय की जिम्मेदारी। आज न्याय के मामले में, यह ठीक बात है, कि हम मौन बैठे हैं, बोल नहीं सकते; पर आज न्याय किस प्रकार हो रहा है, हर इलाके में चले जाइये, आज न्याय बिकता है। आज कानून के कई फैसलों के मैं उदाहरण दे सकता हूं। आप किसी क्षेत्र में चले जाइये, आपको पता चलेगा, आज

(श्री मुरलीधर व्यास)

न्याय के बारे में जो सुरक्षा चाहिये आदमी को वह नहीं है। आज न्याय बिकने लग गया है। इसके कई छोटे मोटे उदाहरण हैं, इसलिए आपको गम्भीरता से सोचना पड़ेगा। मैं कहूंगा बरसिंहपुर में एक जेठाराम नाम का आदमी है। उसने सात आदमियों की कत्ल की। उसका मामला अदालत में आया, और सब जानते थे कि उसने कत्ल की लेकिन वह बरी हो गया। वह आदमी सात आदमियों के कत्ल करने के बाद बरी हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्या कारण है? दूसरे मामले और अन्य मामलों में होता क्या है....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : अदालत से बरी हो गया?

श्री मुरलीधर व्यास : जी हां, अदालत से बरी हो गया। मैं कहना चाहता हूं, ऐसा केस एक नहीं है, हर मामले के अन्दर पुलिस के कर्मचारी जब मामला होता है तो उसे ऐसा बना देते हैं, इस प्रकार से वह बन जाता है ताकि आगे जाकर आदमी छूट जाता है........

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Vyas, I don't think, it will be desirable to throw some reflections on the judiciary.

श्री मुरलीधर व्यास : वैसे न्याय के सम्बन्ध में........

श्री उपाध्यक्ष : After all in the ordinary course that acquittal has been made.

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं कहता कि रोंग फैसले हुए लेकिन मेरा अधिकार यह तो है कि जो जनता की न्याय के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति है। उसको हम हमेशा न्याय के नाम पर कह कर छिपाने की कोशिश करें तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि जनतंत्र में एक और दरवाजा है जिसको आखिर तौर पर खड़खड़ाना चाहते हैं, जब वह करप्ट हो जाता है तो हम जनतंत्र की रक्षा नहीं कर सकते। आज वह दरवाजा करप्ट हो चुका है; इसलिये हमें गम्भीरता से सोचना पड़ेगा। अगर नहीं सोचेंगे तो आप माने या न मानें यह हर दिल और दिमाग की बात है वह दरवाजा जिस पर आखिरी तौर पर जाने का अधिकार है, वह दरवाजा भी भ्रष्टाचार का स्थान बन जाता है जिससे न्याय इस प्रकार से हो तो उस पर गम्भीरता से सोचना पड़ेगा। इसलिए राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और इसलिए ही मैं उसका ध्यान खींचना चाहता हूं। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि आप न्याय कीजिये। मैं कहना चाहता हूं कि कौनसे मामले पुलिस की लापरवाही से बिगड़ते हैं, खराब हो जाते हैं, उनकी छानबीन की जाय, कौन कौन पुलिस अधिकारी इन मामलों को खराब करते हैं आदमियों के साथ मिल कर, इसकी छानबीन कीजिये। आखिर मामले बिगड़ते क्यों हैं; इसके बारे में सोचना पड़ेगा। एक आदमी जो जनतन्त्र में मानता है कि आखिरी रास्ता है वहां उसे न्याय नहीं मिले तो आपकी सरकार क्या करना चाहती है? मैं कहना चाहता हूं कि ये सरकार की जिम्मेदारियां हैं।

ठीक है, न्याय के मामले में जाने दीजिये, मैं कहना चाहता हूं चौथी पांचवीं जिम्मेदारी होती है कि वह अनाज के मामले में नियन्त्रित भावों पर अनाज दे सके। अनाज के भावों का नियन्त्रण कर सके, सरकार की यह जिम्मेदारी है। आपने

(श्री मुरलीधर व्यास)

स्टेट ट्रेडिंग की बात कही। लगातार ४ साल से, ४ साल से यह स्थिति चली आ रही है। आदमी को, जनता को बंधे भावों में अनाज मिल सके, इसके लिए क्या किया है? आज अगर आपको योजना कामयाब बनानी है- तो आप यह नोट कीजिये। मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी योजना तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक सरकार बंधे हुए भाव पर जो प्राथमिक आवश्यकता है उसकी पूर्ति नहीं करती है। यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसके बारे में क्या गवर्नर महोदय ने कहा? गत भाषण में कहा था कि कुछ वर्षा से फसल खराब हो गई थी परन्तु फिर भी अनाज के भाव इस प्रकार से निश्चित किये। फिर स्टेट ट्रेडिंग की बात कही थी कि सरकार अनाज लेकर भाव बांधेगी; यह कहा था। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके पास क्या प्लानिंग है, आप जनता को इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि सरकार इस साल इस प्रकार की व्यवस्था करेगी? आपने कहा कि आठ लाख टन अनाज़ का जो हमारा लक्ष्य था वह १२ लाख टन तक दूसरी पंचवर्षीय योजना में पहुँच जायेगा। मैं इन आंकड़ों को मान भी लूं कि आपके ये आंकड़े हैं और इस प्रकार से अनाज की पैदावार बढ़ेगी, इस प्रकार से होगा लेकिन आपने भावों को बांध कर जनता को अनाज वितरित करने की क्या व्यवस्था की? आपने स्टेट ट्रेडिंग का सोचा था, आपने कन्ज्यूमर कॉओपरेटिव सोसाइटीज के लिए सोचा था। ये सरकार की जिम्मेदारियां हैं और जो भी सरकार इस प्रकार से हो जिसके सामने ऐसे मामले आते हैं तो उसको एक दृढ़ता के साथ नीति को रखना पड़ेगा। ऐसे मामले में कोई उत्तरदायित्व नहीं है; आपने कोई बात नहीं कही है।

मैं कहना चाहता हूँ बेकारी की बात को आपका प्लानिंग क्या था? आपने पहली पंचवर्षीय योजना में ५० करोड़ रुपया खर्च किया, हिन्दुस्तान में २४ करोड़ खर्च हुआ। दूसरी पंचवर्षीय योजना में ४८ करोड़ खर्चा हुआ, १०५ करोड़ रुपया खर्च हुआ। पहले अनाज के लिए रखा था कि अनाज के मामले में आत्म निर्भर करेंगे। दूसरी पंचवर्षीय योजना में कहा कि उद्योग का विकास करके बेकारी की समस्या को हल करेंगे। आपने जनता को क्या कहा था? शुरू में आपने कहा कि अनाज के भाव कम होंगे, आदमियों में बेकारी नहीं रहेगी। मैं कहना चाहता हूँ कि आज इसके बारे में गवर्नर महोदय के भाषण में क्या है? जो भाषण १० साल के बाद होता है, जब एक पंचवर्षीय योजना खत्म हो जाती है, वहां क्या कहना चाहते हैं। आज इन दोनो मामलों में आप नाकामयाब हैं। आपने दो मुद्दे, सबसे बड़े जो योजना में रखे थे कि अनाज का उत्पादन बढ़ा कर इस प्रकार से भाव स्थिर करेंगे जिससे आदमी के जीवन में स्थायित्व आसके, वह नहीं आया है। इसी प्रकार दूसरी पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य था कि उद्योगों का विकास करके बेकारी की समस्या को हल करेंगे। आप बेकारी की समस्या को कहां तक हल कर पाये हैं? वह दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आपके पास फिगर्स होने चाहिए। इसी प्रकार से हमारे राज्य में इतनी बेकारी थी, इस प्रकार से यह काम करके इतनी बेकारी को कम कर दिया है, इतने बेकार हमारे पास और रहे हैं, इसके लिए यह योजना है। आखिर राज्य सरकार का इतना खर्चा है, करोड़ों रुपयों का खर्चा है, अरबों रुपयों का खर्चा है वह लोगों की कर्जदार बन जायेगी। ११० करोड़ रुपये की दूसरी पंचवर्षीय योजना तक

(श्री मुरलीधर व्यास)

कर्जदार बन जायेगी केन्द्रीय सरकार की। इतना रुपया खर्च करने के बाद, १० साल के बाद इन चीजों के बारे में, सफाई के बारे में कुछ नहीं कह सकते। फिर आप कितना ही कहें कि राज्यपाल महोदय को उनके अभिभाषण के लिये धन्यवाद दें. हमारे मंत्री लोग कहें, ठीक बात है, अच्छा काम है लेकिन राजस्थान की डेढ़ करोड़ जनता इस बात को स्वीकार नहीं कर सकती। मैं चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय के भाषण में कम से कम आगे तो इस मामले में संकेत आना चाहिए, कोई प्लान आना चाहिए। प्लानिंग के बारे में आंकड़ों के आधार पर बात होनी चाहिए. यह स्पष्ट होना चाहिए कि यह काम इस प्रकार से किया। आज इस मामले में हम बिल्कुल नाकामयाब हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह मुख्य ज़िम्मेदारी जो सरकार की आज थी वह इतने वर्षों के बाद भी नहीं निभा सकी। इसमें जो कमियां हैं, और जो बातें हैं, ठीक बातें हैं, उनको देखें। आज इन कमियों को देखना पड़ेगा। हम मानते हैं कि हमारा इतना पैसा खर्च होने के बाद भी आखिर क्या बात थी, क्या कमियां हैं, उसको गहराई से देखना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी बात देखते की यह है कि हमारे राज्य के अन्दर जो खर्चा हम करते हैं उस खर्चे का सदुपयोग हो रहा है या नहीं, राज्य का काम किस प्रकार से चल रहा है?

जैसा कि अभी फुलेरा से आने वाले सदस्य ने कहा कि जो जिम्मेदारी जिस आदमी के ऊपर निश्चित हो जानी चाहिए, वह ज़िम्मेदारी किसकी होगी, उसको वह पूरा बराबर करेगा। इसी प्रकार से दूसरे मामले के अन्दर एक काम जो एक जगह चलाया जाता है वह कितने दिनों में समाप्त हो जाना चाहिए, यह होना चाहिए। इसके साथ ही साथ ऊपर के लोगों को भी काम को करने में स्फूर्ति रखनी चाहिए जिससे काम हो सके। परन्तु मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि यह नहीं होता। सबसे बड़ा कारण इसका यह है कि नीचे से लेकर ऊपर तक जो विभाग हैं वे स्वयं भ्रष्टाचार में बंधे हुए हैं, दबे हुए हैं। हमारे देश में यह भ्रष्टाचार का कलंक इस सीमा तक छाया हुआ है, नीचे से लेकर ऊपर तक जबर्दस्त फैला हुआ है कि हम उसको समाप्त नहीं कर पाते हैं। यह सबसे बड़ा कारण है कि हमारी योजनायें नाकामयाब होती हैं। कल श्री भैरोंसिंहजी ने एक बात रखी थी कि किस प्रकार से कितनी चीजों के किस भाव में टेन्डर थे, बाद में पांच रुपये की चीज १३० रुपये में खरीदी जायेगी। अनेक चीजें इस प्रकार की आई कि इस प्रकार से धन का दुरुपयोग होता है। उसी वक्त सरकार को खुले रूप से कहना चाहिए था कि ऐसे मामले में फौरन जांच करायेंगे, ऐसे अधिकारी की फौरन जांच करके बाद में मंत्री महोदय को जवाब देना चाहिए कि यह कार्यवाही कर दी है ताकि हम कहते कि सरकार ने किसी मुद्दे पर कार्यवाही की। किन्तु दुःख इस बात का है। हम देख रहे हैं लगातार वर्षों से इस जनतंत्र में कई बुनियादी महत्वपूर्ण मसले लाये जाते हैं, इस सदन में रखे जाते हैं; लेकिन ऊपर के लोग उसे दबाने की कोशिश करते हैं। यह एक कारण है कि आज इतना रुपया खर्च होने के बाद हम उन्नति नहीं कर पाते हैं और हर मुद्दे में इस प्रकार से दबाया जाता है। विकास की योजनाएं होती हैं, रुपये खर्च करते हैं। मैंने गत समय में बस्सी फार्म के बारे में बताया था कि अनाज के गोडाउन से

Page No.60

(श्री मुरलीधर व्यास)

बोरियां चली गई। हालांकि बाद में मुख्य मंत्री ने जांच करवाई पर यहां जबाब दिया गया कि कुछ हुआ ही नहीं, उसके बाद तो आधा घंटा की बहस की बात आई थी पर आज भी कहना चाहता हूं कि उस मामले को वहीं दफना दिया गया। इस प्रकार की मनोवृत्ति के कारण हमारे देश के धन का दुरुपयोग हो रहा है।

(२ म. प.)

आपके फार्म हैं जहां सांड तैयार किये जाते हैं। राजस्थान में इस प्रकार के तीन फार्म हैं। तीनों का खर्चा ४ लाख रुपया का होता है और एक साल में मुश्किल से ४० सांड तैयार करते हैं। तीन फार्मों पर ४० सांडों के पीछे ४ लाख रुपया खर्च होता है तो इसका हिसाब लगाया जाय एक सांड के पीछे ७॥ हजार रुपया खर्च होता है। आप कोई भी विकास कार्य करते हैं तो उसके पीछे योजना नहीं है कि उसका लाभ कहां तक है, जो पैसा उसमें लगाया जा रहा है उससे लाभ कितना है और नुकसान कितना है। आप अपने डिपार्टमेंट का बजट देखिये ये तीनों फार्म्स हैं इनका चार लाख का खर्चा है और हिसाब लगाया जाय तो एक सांड पर करीब साढ़े सात हजार रुपया खर्च आता है। इसी तरह पोल्टरीज चलती हैं। आप ३०० एकड़ जमीन देते हैं, दूसरे साधन देते हैं। औजार देते हैं पर आपको सोचना पड़ेगा कि आपकी योजना किस आधार पर जा रही है? अभी हाल में 'हिन्दुस्तान' अखबार के फ्रंट पेज पर आया कि बीकानेर में २० बकरी और ३० भेड़ हैं जिन पर खर्चा ३हजार रुपया आता है। उस पर हैडिंग था कि 'हाथी पालन या बकरी पालन'। इसी तरह पोल्टरी (कुक्कुट पालन) का मामला है। कुक्कुट का हिसाब लगाइये तो एक अंडे की कीमत ४० रुपया पड़ती है। आप यह सब किस लिये चलाना चाहते हैं? विकास में जो आपका धन लग रहा है उस खर्चे को आर्थिक दृष्टि से, तुलनात्मक दृष्टि से देखिये कि इस काम से जनता को कितना लाभ हो रहा है, जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं उससे हमें लाभ हो रहा है या नुकसान हो रहा है। यह आप नहीं देखेंगे और इसी प्रकार से दुरुपयोग होता गया जिस तरह कि आज हो रहा है तो जनता पर भार बढ़ता जायेगा, मंहगाई बढ़ती जायेगी और आखिर एक दिन ऐसी विकट समस्या सामने आकर खड़ी हो जायेगी कि उसको कोई सम्भाल नहीं सकेगा।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो विकास के रास्ते हैं उनमें जो खर्चा होता है उनकी आपको परीक्षा करनी पड़ेगी कि जो हमने खर्चा लगाया उससे हमने क्या प्राप्त किया, हमें उससे क्या मुनाफा हुआ। इस तरह हर चीज को नहीं तोलेंगे तो आने वाले समय में हम कर्ज के भार से दब जायेंगे। अभी हमने अरबों रुपया खर्च किया है-करीब ११० अरब रुपया केन्द्रीय सरकार का कर्जा हो गया है। ऐसी हालत में हम जो खर्चा करें उसकी यह स्थिति है तो यह उचित नहीं है। राज्यपाल महोदय के भाषण के फैक्टस इस आधार पर होने चाहिए थे कि हमने जो योजनाओं में लक्ष्य निर्धारित किये थे, उसमें हम कहां तक कामयाब हुए हैं। अपने यहां एम्पोरियम चलाते हैं और अखबारों में पढ़ते हैं कि ४० हजार का घाटा रहा। पहले साल में डेढ लाख का घाटा रहा, ऐसी दूकानदारी करके आप जनता का क्या फायदा करते हैं? यह दूकानदारी चलने वाली नहीं है; इस पर गम्भीरता

(श्री मुरलीधर व्यास)

से सोचना पड़ेगा। सरकार की जिम्मेवारी क्या होती है और उसको कहां तक सरकार निभा पाई है इस चीज का दिग्दर्शन किया जाना चाहिये था। आगे हम चाहते हैं कि हर चीज इस तरह मिले कि जो अर्थ शास्त्र पर टिकी हुई हो जो। अर्थ शास्त्र पर टिकता नहीं उसको कामयाबी नहीं मिलती। आपका हर कदम अर्थ शास्त्र पर टिका हुआ होना चाहिये।

हमारे यहां अच्छी बातें भी हुई। राज्यपाल महोदय ने इस बात की घोषणा की कि पंचायतों के अन्दर जो न्याय विभाग है उसको अलग। करेंगे यह बहुत अच्छा कदम है पर सबसे बड़ा राज्य का कदम होना चाहिये कि न्याय विभाग पूर्णत: अलग होना चाहिये। यह एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो हम वर्षों से कहते आये हैं, पर राजस्थान सरकार अभी तक इस पर फैसला नहीं करती है कि हमारा न्याय विभाग बिल्कुल अलग रहेगा। पंचायतों के साथ ही साथ जो दूसरी बात प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में कही कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर देंगे। यह बड़ा अच्छा कदम है, पर साथ ही यह भी कहूंगा कि आपका आज भी फैसला होना चाहिये कि जहां आपने स्कूलें खोल दी हैं, उन स्कूलों की क्या हालत है, जो स्कूलें आज खुली हुई हैं वहां पर तो प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर सकते हैं पर आज गांवों की स्कूलों में क्या हो रहा है कि बच्चों की पढ़ाई की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। कहीं बच्चे आते हैं तो मास्टर नहीं आते और कहीं मास्टर आते हैं तो बच्चे नहीं आते। इस स्थिति को ठीक करने के लिये एक ही रास्ता है कि जहां इतना खर्चा करते हैं वहां यह कर देना चाहिये कि जहां स्कूलें हैं वहां अनिवार्य शिक्षा कर देनी चाहिये; इससे जनता को ज्यादा लाभ मिलेगा।

यह भी कहा गया कि विकेन्द्रीकरण का काम बहुत अच्छा किया। मैं मानता हूँ कि विकेन्द्रीकरण का काम बहुत अच्छा हुआ पर इस विकेन्द्रीकरण में खास चीजों की कमियें दीख रही हैं। यह विकेन्द्रीकरण राजनैतिक किया है। किसी हद तक आर्थिक विकेन्द्रीकरण कर सकते हैं कि नहीं इसकी छानबीन करनी होगी।

विकेन्द्रीकरण के बाद भी जैसी स्थिति है, जैसा हरिभाऊजी से हमने सुना कि विकेन्द्रीकरण के बाद भी झगड़े हमारे पास आते हैं, झगड़ों की संख्या बढ़ती जा रही है तो हमें सोचना पड़ेगा कि झगड़े बढ़ क्यों रहे हैं? और इसके साथ ही साथ इन पंचायतों को किस प्रकार से स्वावलम्बी बना सकते हैं ताकि वे एक स्वावलम्बी इकाई के रूप में रहे और महात्मा गांधी का स्वप्न पूरा हो सके। हमें इसकी गम्भीरता पर सोचना होगा। इसके अलावा हमें यह भी सोचना होगा कि भविष्य में इसकी क्या रूपरेखा होगी। इसके लिये जब तक हम सामाजिक व्यवस्था के साथ साथ आर्थिक सुधार नहीं करेंगे तब तक इसकी दशा में कोई सुधार नहीं हो सकेगा। इस विकेन्द्रीकरण के साथ साथ आर्थिक विकेन्द्रीकरण भी होना जरूरी है और यह तय होना चाहिये कि एक तहसील पंचायत या प्रांत तक कौन कौन से काम किस किस क्षेत्र में करें। ऐसी कोई योजना नहीं बनाएंगे तो हम उनको पराधीन बनादेंगे।

इसके साथ ही साथ एक बात जो इस प्रकार की है कि जैसा अभी कहा गया कि बीकानेर, हनुमानगढ़ में फर्टीलाइजिंग फैक्ट्री खोलने की बात है। मैं जानता हूं कि यह बात कई दिनों से

(श्री मुरलीधर व्यास)

कही जा रही है। मैं यह कहूंगा कि फ़र्टीलाइजिंग फैक्ट्री अवश्य होनी चाहिये और वह ऐसे स्थान पर होनी चाहिये जहां उसकी उपयोगिता ज्यादा हो और वह अपने अस्तित्व को कायम रख सके। क्योंकि आज हर प्रान्त यह सोच रहा है कि उसके यहां पर फर्टीलाइजिंग फैक्ट्री का होना जरूरी है और राजस्थान में भी वह होनी चाहिये। इसके लिये ही फर्टीलाइज़िंग फैक्ट्री हो, कोई मतभेद नहीं हो सकता लेकिन स्थान के बारे में मेरा मतभेद है क्योंकि मैं इस बात को मानता हूं कि इसके लिए वह स्थान ज्यादा उपयोगी होता है जहां पर उसके लिए मेटीरियल मिलता हो और उसके साथ साथ दूसरी सुविधाएं भी जो उस फैक्ट्री के लिये जरूरी हैं मिलनी चाहिये। इसके साथ साथ हमें तुलनात्मक दृष्टि से यह भी देखना होगा कि जो मजदूर काम करते हैं, यह सस्ता मिलेता है या नहीं ? क्योंकि कहीं पर भी फर्टीलाइजिंग फैक्ट्री के लिये कोई लाखों रुपया लगावेगा और जब दूसरी जगह पर भी इस प्रकार की फैक्ट्रीज़ खुलेंगी तो हिन्दुस्तान में उन फैक्ट्रीज़ से उनका कम्पीटीशन होगा और वही फैक्ट्री पनप सकेगी जो कम पैसों में सामान दे सकेगी। मेरा ऐसा अनुमान है कि हनुमानगढ़ में आर्थिक दृष्टि से भविष्य में कम्पीटीशन में वह नहीं टिक सकेगी। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यह इलाका कृषि प्रधान इलाका बनने वाला है। यह बीकानेर के पास ही है मगर यहां पर मजदूर बहुत महंगा मिलता है और एक, एक मजदूर ४-४ रुपये या ५-५ रुपयों से कम में वहां पर नहीं मिलता। इसके अलावा जिप्सम आदि भी दूर से मंगाना होगा। कोयला और अन्य कच्चा माल जो बीकानेर में मिल सकता है वह हनुमानगढ़ में मंगाना पड़ता है। इसलिये मैं ऐसा समझता हूं कि फर्टीलाइज़िंग फैक्ट्री हनुमानगढ़ के स्थान पर न होकर बीकानेर में होनी चाहिये। भले ही कोई इसको बुरा समझे मगर मेरे लिये मैं यह कहना चाहता हूं कि हनुमानगढ़ और बीकानेर बराबर हैं, लेकिन कच्चे माल की सहूलियत की दृष्टि से हनुमानगढ़ से बीकानेर ज्यादा उपयुक्त है।

एक माननीय सदस्य : सरदारशहर में होनी चाहिये।

श्री मुरलीधर व्यास : सरदारशहर में जिप्सम और कोयला नहीं होता। क्योंकि वहां बीकानेर में जिप्सम भी होता है और कोयला भी है और बिजली भी आ रही है; भाखरा की बिजली। पानी का अभाव जरूर है मगर वहां पर पानी काफी तादाद में है और आपकी योजना में पानी लाने की योजना है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जब कोई फैक्ट्री बनती है तो करोड़ों रुपये लगते हैं और जिस समय सारे प्रान्तों में इस प्रकार की फैक्ट्रीज़ होंगी तो कम्पीटीशन होगा। इसलिये चीज़ ऐसी बननी चाहिये कि कम्पीटीशन में हम टीक सकें तो उचित रहेगा और यही देखना है कि हम किस प्रकार कम्पीटीशन में कहां पर टिक सकते हैं। इसलिये मैं यह समझता हूं कि वही स्थान ज्यादा इसके लिये उपयुक्त होगा जहां पर मजदूर सस्ते मिल सकते हों और कच्चा माल आसानी से मिल सकता हो।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : आपने कहा था कि मजदूरों को पूरा पैसा मिलना चाहिये और आप कहते हैं कि मजदूर सस्ते मिलने चाहिये।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं अभी भी यह कहना चाहता हूं कि मजदूरों को पूरा पैसा मिलना चाहिये मगर वास्तव में बात यह है कि जहां पर आपको मजदूर नहीं मिलेंगे तो आपको उनको ज्यादा पैसा देना होगा।

श्री उपाध्यक्ष : इस तथ्य पर आप काफी प्रकाश डाल चुके हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : दूसरी बात कॉलेज के शिक्षकों के वेतन के संबन्ध में है। जो शिक्षक वर्ग हैं उनको ऊंचा उठाने के लिये प्रयत्न किया गया है और उनको ऊपर के वर्ग के साथ लिया गया है। मैं समझता हूं कि यह बहुत अच्छा कदम है। लेकिन इसके साथ साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर ऊपर के वर्ग को हम उनके साथ लेते हैं और नीचे के प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हैं उनको पिछड़े हुए ही रहने देते हैं तो यह प्रगति में बाधक होता है। शिक्षा के क्षेत्र में पहला मौका आवे तो नीचे के वर्गों को चान्स मिलने चाहिये। यह आपका समाजवादी दृष्टिकोण है और आपको इसको रखना होगा। पहले भी आपने नहीं रखा। ऊपर के लोग हैं। उनके ग्रेड पहले से ही बहुत अच्छे हैं। वे आपने और भी ज्यादा अच्छे बना दिये हैं। अब शिक्षकों की बात आए तो उनको भी ऊपर उठाना चाहिये और नहीं उठाते हैं तो यह असमाजवादी तरीका है। अगर अब आप इस संबन्ध में कोई कदम उठाना चाहते हैं तो आपको चाहिये कि सबसे पहला कदम आपका यही होना चाहिये कि पैसे बढ़ाने के मामलों में सबसे पहले चपरासी को जो २५) या ३०) रुपये माहवार पाता है उसको प्रिफरेन्स मिलनी चाहिये और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। मगर आप इस तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं और यह कदम आपने जो अच्छे ग्रेड वालों को ज्यादा अच्छे ग्रेड दिये और कम वेतनवालों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है यह गलत कदम होगा। मैं समझता हूं कि आपको उनके मुद्दे पर ध्यान देना होगा।

उद्योग और विकास के मामलों में काफी प्रकाश डाला गया है और मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता। मगर यह कहूंगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हम इस तरफ आगे नहीं बढ़ पाये। हम उल्टे पीछे जा रहे हैं। पुराने जमाने की चीजें जो उपयोगी थीं उनको हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं और वे बन्द होती जा रही हैं, हम योजनाओं में नाकामयाब होते जा रहे हैं। पिछले समय जब भीलवाड़ा में मिल को बन्द किया था तो उस समय चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि उसको सरकार खुद चलाएगी और मजदूरों को काम दिलाएगी। मगर मैं यह कहूंगा कि इतनी जिम्मेदारी की बात कहने पर भी आज मजदूरों की क्या हालत है यह वे लोग जानते हैं, वे बेकार हैं। ऐसी परिस्थिति में उनकी रक्षा करने वाला कौन हो सकता है? तो मैं समझता हूं कि आज यह जो समय है वह उद्योग विकास पर एक बहुत गहराई से देखने की चीज़ है। इसके लिये हमें बेकारी की समस्या को दूर करना होगा। बीकानेर की ग्लास फैक्ट्री १० साल से बन्द है। पंडितजी ने कहा था कि पिछड़े इलाकों में जहां पर बेकारी ज्यादा है वहां पर उनको काम दिलाने की सबसे पहले व्यवस्था होनी चाहिये। मगर उसके लिये कुछ भी नहीं हो रहा है। उधर अकाल पड़ते हैं और जोधपुर, बाड़मेर आदि इलाकों के लोग दिल्ली आदि दूसरे स्थानों में जाते हैं और वहां पर भी उनको काम नहीं मिलता....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अभी तो आप कह रहे थे कि फर्टीलाइजिंग फैक्ट्री में मजदूर मिलना मुश्किल है और यहां आप कहते हैं कि लोग बाहर जाते हैं !

श्री मुरलीधर व्यास : मैं यह कहता हूं कि आर्थिक दृष्टिकोण से फर्टीलाइजिंग फैक्ट्री ऐसे स्थान पर होनी चाहिये जहां मजदूर सस्ता हो, कच्चा माल उपलब्ध हो, बिजली मिल सकती हो। जहां पर जिप्सम नहीं होगा वहां पर दूर से मंगाने में वह माल महंगा मिलेगा। यह मेरा दृष्टिकोण है। जिन इलाकों में हर तीसरे साल अकाल पड़ता रहता है वहां पर लोगों को बड़ी मुश्किलात पेश आती है। आज इतने वर्षों के बाद भी वहां की यह स्थिति है कि वहां के लोग दिल्ली आदि दूसरे शहरों में जाकर बेकार बैठे रहते हैं और उनको काम नहीं मिलता। हिन्दुस्तान के पत्रों में आपने पढ़ा होगा कि दिल्ली की गंदी बस्तियों में राजस्थान के लोग और तिब्बत के लोग पड़े हैं।

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभनगर-मु०) : अगर कोई अपने आप चला जावे तो उसका क्या करें ?

श्री चन्दनमल बैद (सरदार शहर) : आपके भाईबन्ध ही ज्यादा गये हुए हैं।

श्री हरिप्रसाद यादव : (अश्रव्य)

श्री मुरलीधर व्यास : हमें इस पर गंभीरता से सोचना होगा और इसके साथ साथ मैं नगरपालिका के लिये एक दो शब्द कहना चाहता हूं। मैं यह कहूंगा कि आपने कहा कि एक लाख से कम की नगरपालिकाएं हैं वे जिला परिषद् में आ जावेंगी। मैं यह कहूंगा कि एक लाख से ज्यादा तो ४ या ५ ही ऐसी म्यूनिसिपैलिटीज़ रह जावेंगी बाकी सब के सदस्य उसमें आ जावेंगे। इन चार, पांच म्यूनिसिपैलिटीज़ को रखने का क्या मतलब है, यह समझ में नहीं आता; इसके पीछे क्या आधार है समझ में नहीं आता ! मैं समझता हूं कि यह कदम अच्छा है। लेकिन इससे एक लाख से अधिक आबादी वाली नगर-पालिकाओं को अलग रखा है, इसमें जयपुर, जोधपुर आदि दो, चार नगरपालिकाओं को छोड़ कर सभी आ सकेंगी। जयपुर तो अब लाखों तक पहुंच गया है। आबादी बढ़ रही है।

श्री उपाध्यक्ष : I hope you are now concluding it.

श्री मुरलीधर व्यास : फिर भी आपने चार स्थानों को क्यों छोड़ा है ? यह अच्छी बात नहीं है। म्यूनिसिपैलिटीज़ में कुछ लिखे पढ़े लोग हो सकते हैं जो मदद दे सकते हैं। तो यह जो कदम है, चार ही शहरों को क्यों छोड़ा जावेगा यह मेरी समझ में नहीं आया। मैं समझता हूं कि उस पर विचार किया जावेगा।

जहां तक राज्यपाल महोदय के भाषण का सवाल है, मेरा यह व्यक्तिगत विचार है कि कुछ मुद्दे की बातें जरूरी कही गई हैं लेकिन आखिर जो मूलभूत बातें हैं, किसी आदमी को आंकड़ों के आधार पर जो चीज़ देनी चाहिये जिस आधार पर कहा जा सके कि यह काम इस प्रकार से किया है उस काम को कहने में राज्यपाल महोदय, मैं यह कहूं कि बिल्कुल असमर्थ रहे हैं या यूं कहूं कि नाकामयाब रहे हैं, आगे हो जावेंगे तो आगे धन्यवाद के पात्र होंगे लेकिन आज की स्थिति में वे धन्यवाद के पात्र नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : रावल श्री नरेन्द्रसिंह।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि यह होता है और यह कुदरती बात है राज्यपाल महोदय को, जैसा उनका औपचारिक भाषण है उस पर उनको धन्यवाद दिया जावे और धन्यवाद जहां दिया जाता है वहां पांच, सात मिनट की हो।वह चीज़ होती है, पर यहां लेकिन फिर भी चार दिन इसके लिए निर्धारित होते हैं और दलीलें आपस में होकर इसका सारा निचोड़ छनता है इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। मेरा निवेदन है कि मेरे साथी, फुलेरा से आये जो माननीय सदस्य हैं ....

श्री चन्दनमल बैद (सरदारशहर) : आपके पड़ौसी हैं।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : जी हां, मेरे पड़ौसी हैं। उन्होंने आंकड़े और तीन, चार वर्ष की राज्यपाल महोदय की स्पीचें उपस्थित की थी कि पहले वाली और आगे वाली आशाओं में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है, मुझे इस बात को देखते हुए ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। जब मैं यह देखता हूं कि आज से दस वर्ष पहले की जो बातें हैं उन पर कोई प्रगति नहीं हुई व लाइट नहीं पड़ती है और कोई उन पर विचार भी नहीं होता है। हमको ख्याल होता है कि दो-तीन वर्ष के मामलों के लिए क्या अफसोस किया जाय ?

मैं तो यह कहूं कि यदि इस फ्लोर की इन ईंटों, पत्थरों और चूने में बोलने की शक्ति हो तो ऐसा मौका बराबर उपस्थित हुआ है कि हमारे मुख्य मंत्री महोदय से लेकर, दूसरों के लिए तो मैं क्या कहूं, ऐसा समय आया होगा कि जब मुख्य मन्त्री महोदय ने यह कहा था कि यह बात होकर रहेगी, बड़े जोरों के साथ और फोर्स के साथ कही थी लेकिन मैं यह कहूंगा कि वह पहले जैसी दशा ही है और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। माननीय सदस्य और दूसरे जो मंत्री-मंडल के सदस्य हैं वे इसको सोचेंगे और विचार करेंगे कि इसका क्या मतलब है और मैं यह क्यों कह रहा हूं ?

आज का युग है विकेन्द्रीकरण का। दूसरे कामों की भी अत्यन्त आवश्यकता है। अच्छे से अच्छे कार्यकर्त्ता हमारी इन कृषि कॉलेजों की मशीनरी में से निकलेंगे और आगे बढ़ेंगे और देश की सेवा करके ये उसे सम्मुन्नत करेंगे, इसके लिए सबसे ज्यादा कोई आवश्यक चीज़ हो सकती है तो वे कृषि संस्थायें हैं और वे एग्रीकल्चर कॉलेज़ेज हो सकते हैं। पहले एक कृषि कॉलेज़ के वास्ते यह समझा जाता था कि गवर्नमेंट के द्वारा यह संचालित हुआ अवश्य है और आगे इसकी जरूरत नहीं है। आज दो-दो, तीन-तीन चलते हुए भी जब कि वे अग्रसर हो रहे हैं और ऐसी परिस्थिति में होते हुए भी वे शब्द मुख्य मंत्री द्वारा बार बार दोहराये गये थे उनके ऊपर आज हमको देखना पड़ेगा और यह कहना पड़ेगा कि जो राजनीति के महानुभाव होते हैं उनके शब्द और शीशम के बीज़ कभी कभी फला करते हैं। उनके द्वारा कहे हुए शब्दों का खास कम महत्व रहता है। मैं निवेदन करूंगा कि अगर इसके लिए देखा जाय तो १२ वर्ष से चल रहे जोबनेर एग्रीकल्चर कॉलेज के वास्ते कई विभीषिकायें और चीजें सामने आयीं। यहां पर बैठे हुए, क्या इधर के और क्या उधर के, माननीय सदस्यों ने अत्यन्त बल के साथ

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

जोर दिया था कि कोई संस्था जो चलती हुई हो वह क्यों क्षतिग्रस्त हो और इसके लिए जब जब मौका पड़ा मुख्य मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया और यह कहा कि दोनों संस्थायें चल रही हैं। लेकिन बार बार प्रतिवर्ष इसका सवाल आता है। मुझे कहना पड़ेगा इसके लिए। अभी ज़िला कांग्रेस की मीटिंग जोबनेर में हुई थी वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी इसके लिए कहा....

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि सम्मेलन में क्या क्या हुआ और क्या बातें कहीं गई उनको निवेदन नहीं करेंगे।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : He has just said that a resolution was passed.

श्री चन्दनमल वैद : रामराज्य की बातें कहें, कांग्रेस की क्यों कहते हैं ?

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : रामराज्य का तो चोगा पहन कर बैठे महात्मा गांधीजी व उनके शिष्य, लेकिन क्या से क्या हो गये इसके लिए क्या अर्ज करूं।

(हंसी)

यह रामराज्य का सिद्धान्त है....

श्री उपाध्यक्ष : आसन इधर है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मेरा निवेदन यह कि मैं यह पूछना चाहूंगा कि प्रत्येक मनुष्य की जहां कुछ ऐसी स्थिति रही हो, जहां सहायता मिली हो उसके वास्ते अगर नहीं कहा जाय तो उसकी यह बड़ी गलती है और जो त्रुटि रही हो उस पर लाइट डालने की आवश्यकता है। मैं यह कहूंगा कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से समय समय पर सहायता मिली है और उसके प्रयास से वह संस्था आज भी थोड़ी सी कायम रह सकी है। आज भी सवाल उठ रहा है कि सन् ६१ के अन्दर वे चीजें नहीं हो रही हैं और नहीं हुई तो युनिवर्सिटी ने यह घोषणा की है कि जोबनेर कृषि कॉलेज बन्द कर दिया जावेगा और उसके लिए स्थान नहीं रहेगा। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि क्या मैं यह पूछने के वास्ते तत्पर हो सकता हूं उन महानुभावों को और उन मंत्री महोदय को कि जहां १२ वर्ष से चलती हुई संस्था को, जैसे उदयपुर की संस्था है उससे मुझको कोई क्षोभ नहीं है, देखा जाय तो दूसरे प्रांत है उनमें यह हो रहा है कि वहां की मिट्टी एक तरह की है और वहां के वातावरण में यह हो रहा है कि यदि एक एग्रीकल्चर कॉलेज गवर्नमेंट के द्वारा संचालित हो रहा है तो वह उनके लिए काफी हो सकता है, राजस्थान में तो दो प्रकार की भूमि हैं, इसे क्यों क्षतिग्रस्त किया जाय ? कुछ हिस्सों में राजस्थान में ब्लैक कॉटन सॉइल है और दूसरे एरिया में सैण्डी सॉइल है। दो तरह की भूमि राजस्थान में बराबर है और दो कॉलेज के होते हुए भी, एक उदयपुर और दूसरा जोबनेर और तीसरा अजमेर मंडी में भी अग्रसर हो रहा है, तो ये संस्थायें आज भी रहती रहें, जितने कार्यकर्त्ता ये पैदा कर सकेंगी वे भी कई वर्षों तक हमारे यहां की स्थिति के हिसाब से कम रहेंगे।

तो इस बात के वास्ते निवेदन करूंगा कि जहां एक जगह मेरी डिक्शनेरी में 'ऐनवी' शब्द

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

नहीं होगा वहां ऐम्यूलेशन (Emulation) हो सकता है। ऐम्यूलेशन के वास्ते मैं जरूर निवेदन करूंगा हर एक कार्यकर्त्ता के आगे अग्रसर होने के वास्ते जो सेवा हम कर सकते हैं वह हमें करनी चाहिये। जो बारह वर्ष से चली आ रही संस्था है, उसके वास्ते न तो प्रथम पंच वर्षीय योजना में उसको स्थान मिला न दूसरी पंच वर्षीय योजना में उसको स्थान मिला और अब तीसरी पंच वर्षीय योजना सैन्ट्रल में है; क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं इसके अन्दर, आप लोग जिन्होंने वचन दिये हैं, आश्वासन दिये हैं क्या स्थान देने की कोशिश कर सकेंगे ? एक तरह से देखा जाये तो चार वर्ष पहले जो संस्था खड़ी हुई थी उसको प्रथम योजना में खेंच कर मरोड़ कर स्थान दिया गया। इसके अलावा मैं मेरे लिये नहीं कहता मेरी कॉन्स्टिटयूएन्सी की सवा लाख आदमियों के नुमायन्दे के नाते वहां के कार्यकर्ताओं की ओर से जो उत्तरदायित्व मुझ पर पड़ता है उसके लिये मुझे कहने की आवश्यकता महसूस हुई है कि फिर कहीं ऐसी परिस्थिति पैदा न हो जाय जैसी कि अभी अभी जिला बोर्ड की मीटिंग में हुई, कोई परिस्थिति ऐसी पैदा न हो जाय, मैं कोई धमकी नहीं दे रहा हूं, धमकी देने का हमारा शुरू से ही कोई लक्ष्य नहीं रहा है। जो कुछ मेरे भाव हैं वह चेयर की मार्फत मन्त्री मंडल के सामने जो विधान है उसके अनुसार जनता के प्रतिनिधि के रूप में जो मुझे कहना है वह मैं निवेदन कर रहा हूं। इसके बारे मेंजैसे भी विचार हों उसको सोच लिया जाय। मुझे इस बात का भी दुख है कि कृषि जैसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कुछ भी नहीं कहा गया। इस वास्ते मेरी ओर से मंत्री मंडल से निवेदन है कि जहां फाइव ईयर प्लान्स के अन्तर्गत लाखों रुपया हमें मिलता है सहायता के रूप में व उदयपुर को विशेष मिलता है तो वह एक को मिले दूसरे को न मिले, इस तरह की एक पांत में दुभांत नहीं बर्दाश्त होगी।

तीसरा टी० सी०एम० में भी उदयपुर को करोड़ों रुपये की सहायता मिलती है। जब जोबनेर कॉलेज का सवाल आता है तो उसको टी० सी० एम० में भी नहीं लिया गया। यह जो कार्य हो रहा है उसके मुकाबले थोड़ा सा इस कॉलेज की ओर भी आप ध्यान दें....

श्री उपाध्यक्ष : आगे बजट पर भी कहने के लिये रखिये।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : जोबनेर के बारे में मैं इसलिये अर्ज नहीं कर रहा हूं कि मैं उसकी वकालत करता हूं। मैं चेयर को बड़ी नम्रता के साथ यह कहूँगा कि मेरे सामने बैठे हुए मेरे माननीय मित्र जो मावली से पधारे हैं उन्होंने कल अपने भाषण में विद्यापीठ के वास्ते भी काफी कहा था....

श्री जनार्दनराय नागर : (मावली) वनस्थली विद्यापीठ के वास्ते कहा था।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : वनस्थली विद्यापीठ भी हमारी डॉटर इन्स्टीट्यूशन है

(हंसी)

कोई कह सकता है कि हीरालालजी शास्त्री जोबनेर में पैदा नहीं हुये थे ? जिस कन्या के स्मारक के रूप में वह विद्यापीठ बना है क्या वह जोबनेर में पैदा नहीं हुई है ? इस नाते यदि मैं उसको डॉटर इन्स्टिटयूशन कहता हूं तो क्या हर्ज है ?

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

आप कल घंटा घंटा भर बोले हैं। मैं तो चेयर से नम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि मेरे थोड़े से उद्‌गार हैं और वे भी बुढ़ापे के उद्‌गार हैं आगे समय आये या नहीं आये ; आज अगर ईंट और पत्थर में बोलने की शक्ति होती तो शायद वे मेरी इस कथन की वकालात करते....

श्री उपाध्यक्ष : आने वाले समय में बोलेंगे।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : दो साल तक तो मैं अपनी वकालात करने की, उनको इजाजत नहीं देता और आयन्दा मैं खड़ा भी नहीं होऊंगा। मेरा तो यही निवेदन था कि जहां तक भी हो सके मैं अपनी संस्था को बचा सकूं, बचाऊं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने बड़ी मुस्कराहट के साथ बड़े बड़े उद्‌गार इस बारे में प्रगट किये थे और उन्होंने आश्वासन भी दिया था, मैं उनसे फिर निवेदन करूंगा कि वे अपने आश्वासन को ख्याल में रक्खें। इस संस्था को आपने टी० सी० एम० में नहीं लिया, फाइव ईयर प्लान में नहीं लिया; मैं तो इस बात को बार बार कहता हूं कि किसी भी मंत्री महोदय ने और एक भी ऑफिसर ने वहां की, जोबनेर की पोटेन्शीयेलिटी को नहीं देखा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आप उनको करप्शन में रगड़ दो।

श्री नरेन्द्रसिंह : मैं तो केवल मेम्बर हूं, मेरे से ऊपर चेयरमैन महोदय हैं, मैं उनकी इजाज़त के खिलाफ कैसे कुछ कर सकता हूं और वैसे भी यह एन्टीकरप्शन की चीज़ नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने जोबनेर के वास्ते वकालात इस वास्ते कर रहा हूं हब्बूलवतनी की सबब से वहां के नेटिव लैन्ड का होने की वजह से। हमारे मुख्य मंत्री महोदय जो मेरे से बहुत बड़े आदमी हैं उनको आशीर्वाद तो मैं क्या दे सकता हूं मैंने उनको उपटंक अवश्य दिया है, पद दिया है; हॉलाकि पद देने के वस्ते मैं काबिल तो नहीं; फिर भी मैं बीस वर्ष तक तो मिनिस्टर रहा हूं, पन्द्रह साल तक एज्युकेशन मिनिस्टर रहा हूं, सात वर्ष तक चीफ मिनिस्टर रहा हूं; इस तरह से मुख्य मंत्री महोदय के प्रीडीसेसर के नाते उनको एक पद जरूर देता हूं वह यह कि आप भी मेवाड़ के दूसरे भामाशाह हैं, आपका थोड़ा कृपा कटाक्ष हमारी ओर भी हो जाय

(वित्त मंत्री महोदय के सदन में प्रवेश करने पर)

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : भामाशाह तो अब आये हैं।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कहता कि आप जहां सुविधायें दे रहे हैं वहां न दें, लेकिन मैं इस बात की चेष्टा करूंगा, कि इस संस्था के साथ भी समानता का बर्ताव हो।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : आप सुखाड़ियाजी से मुस्कराहट मांगिये, न कि कटाक्ष।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : आप तो कल इनके खिलाफ काफी बोल चुके हैं।

श्री चन्दनमल वैद : ये तो पीठ के पीछे बोले हैं, आप तो सामने ही बोल रहे हैं।

Page No.69

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : अब तक जितने भी माननीय सदस्य बोले हैं उन सब से कम समय मैंने लिया है। मैं हब्बूल वतनी के वस्ते अपने वतन से प्रेम होने के नाते कह रहा हूं। एक बात जरूर निवेदन करूंगा। मेरा कभी स्ट्रगल में विश्वास नहीं रहा और न मैं इस ओर जाना ही चाहता हूं लेकिन इतना अवश्य निवेदन करूंगा कि पांच वर्ष से स्थापित संस्था के अन्दर पोस्ट ग्रेजुएट की क्लासें खोल दी जाती हैं, उसके अलावा जो संस्था बारह वर्ष से चली आ रही है वहां पोस्ट ग्रेजुएट की क्लास नहीं खुलती। मैंने स्टेट को कहा था कि वहां सिर्फ तीन सबजक्ट ठीक हो सकते है; एग्रीकलचर केमिस्ट्री एक एटोमोलोजी और एग्रीकलचर केमिस्ट्री एनीमल हसबेन्ड्री। ये तीनों सबजेक्ट यहां रखकर बाकी सब उदयपुर भेज दिये जायं। उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन यस नहीं हुआ, इस पर भी हम नहीं कर सके। आखिर क्षोभ हमें जरूर होगा व फिर स्ट्रगल (struggle) जरूर करेंगे।

इसके लिये यह कहा गया कि युनिवर्सिटी कमीशन भेजकर यह तय करे कि जोबनेर इसके लिये उपयुक्त स्थान है या नहीं। इसके लिये भारतवर्ष के तीन कृषि महाधुरीण एक डॉ० कुमारे, जो अब सेन्टर में है....

श्री उपाध्यक्ष : इनका मत तो प्रोसीडिंग में आ चुका है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : यह कभी नहीं आया।

दूसरे जो थे श्री खण्डे जो यू.पी. में प्रिन्सिपल थे और तीसरे पंजाब एग्रीकल्चरल कॉलेज़ के प्रिन्सिपल डॉक्टर मधोक ने भी यह कहा है ! "We have seen the institution, and every inch of it, and we can safely say that not only one agricultural college, but several agricultural colleges can easily run in the potentialities which are there."

Moreover, they have also told this thing that "Few agricultural colleges in India and a few in the world have so much potentialities and so much resources which can be found here. There is an extensive five thousand acre farm. One score of type of land & about 100 wells of abundant water and the water level only 10 feet deep and the Kalakh Sagar is in the middle of the land having 3 miles water length, one mile breadth and 26 deep". तो मेरा तो यह अर्ज करना है कि इस पर मन्त्री महोदय सोचें। मुख्यमन्त्रीजी तो क्या एक भी मंत्री वहां नहीं पहुँचे अब तक। जो अब नये आये हुए हैं उनसे भी आशा करुंगा कि वे पधार कर एक बार वहां की स्थिति को तो देखें। मैं चाहता हूं इन्साफ हो।

भी दूसरे व्यू थे। पर यह भी इतना लम्बा हो गया कि जिससे दूसरी बातें बता नहीं सका हूँ। इन तीन-चार चीजों पर हमारे महामन्त्री महोदय भी प्रकाश डालेंगे। पर तीसरी ओर मदद दे दी गई तो फाइव-इयर्स की उदयपुर को ही क्या बड़ी बात है ! और यह जनता को कभी बर्दाश्त नहीं होगी।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो धन्यवाद का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत हुआ है उसके समर्थन में मैं कुछ कहना चाहता हूं।

सबसे पहले मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी !

(डॉ० बहादुरसिंह)

को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उनके द्वारा राज्य में एक स्थायी शासन स्थापना की ओर कदम बढ़ाया गया है और वह काफी उसमें सफल हुए हैं।

उनको मैं इसके लिये फिर बधाई देता हूं कि उनके द्वारा जो विभागों का वितरण किया गया वह भी एक प्रजातान्त्रिक पद्धति की ओर अग्रसर कदम था क्योंकि विधान सभा में किसी प्रकार की सदन में जो जो भावनाएं थीं उनकी उन्होंने कदर की और विभागों का वितरण किया।

मैं यह जो माननीय राज्यपाल महोदय ने सदन में भाषण दिया उसको राज्य का एक प्रकार का लेखा-जोखा मानता हूं कि गत वर्ष हमने क्या किया और आगे क्या करना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में जो संक्षिप्त विवरण हमारे सामने है उस पर विचार करना है।

मैं राजस्वमन्त्री को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पिछले वर्ष किसानों और जनता के हित के काफी बड़े काम किये। उनके द्वारा सबसे बड़ा काम राज्यपाल महोदय ने उसका जिक्र किया है या नहीं, पर मैं जिक्र करना चाहता हूं क्योंकि, मेरे यहां जो सबसे बड़ी प्रोब्लम थी जमीन्दारी की वह समाप्त हो गई। पर मुझे मालूम हुआ है कि अभी गंगानगर में बाकी रह गया है। मैं आशा करता हूँ....

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : इसके लिये आप क्यों तकलीफ पा रहे हैं ?

(हंसी)

डॉ० बहादुरसिंह : जिस प्रकार के वे विचार रखते हैं और व्यवहार करते हैं किसानों के हित के लिये वे सख्त से सख्त कदम उनके हित के लिए उठाते हैं और उठाये हैं। सीलिंग का सबसे बड़ा काम उन्होंने पूरा किया ; हालांकि अभी राष्ट्रपति की स्वीकृति उसे प्राप्त नहीं है पर आशा करता हूं कि सीलिंग का कानून राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होते ही फौरन लागू कर दिया जावेगा। इसके अलावा मृत्युभोज का कानून भी पास किया गया। इस तरह किसानों के हित के कई कदम उठाये गये हैं।

दूसरे, राज्य में सत्ता का विकेन्द्रीकरण हुआ और मैं समझता हूं कि राजस्थान राज्य ऐसा पहला राज्य था जिसने इस प्रकार का कदम उठाया और दूसरों का मार्ग प्रदर्शन किया। साथ साथ राजस्थान में मार्ग-दर्शन किया मन्त्री मण्डल का विस्तार करके और उसमें आयुर्वेद का एक पृथक मन्त्री देकर। इसमें सिवाय केरल के राजस्थान ही दूसरा राज्य है जिसने आयुर्वेद को एक पृथक मंत्री दिया है। लेकिन आयुर्वेद के मन्त्री की नियुक्ति के साथ साथ मैं माननीय मुख्य-मन्त्रीजी को यह निवेदन करना चाहूंगा कि उनका कर्त्तव्य यहीं समाप्त नहीं हो जाए। अगर आप प्लानिंग फ्रेम थर्ड ईयर को देखें और इसके अन्दर जो हेल्थ सेक्टर में कुल १४६ लाख की व्यवस्था है ; यह आयुर्वेद और दूसरी पद्धतियों को दिया गया है। मैं कहना चाहता हूँ कि १४६ लाख में कितनी रोगी शय्याओं की व्यवस्था करना चाहते हैं। कहां कहां अनुसन्धान करना चाहते हैं ? आप क्या व्यवस्था करना चाहते हैं ? आपने अलग मन्त्री देकर आयुर्वेद के साथ जो प्रेम प्रदर्शित किया है वह वाकई

(डॉ० बहादुरसिंह)

प्रशंसनीय है और आयुर्वेद जगत राजस्थान के मुख्य मन्त्री जी की सराहना करता है कि आपने हमें एक अलग मन्त्री दिया।

(हियर-हियर)

हालांकि हैल्थ मिनिस्टर आयुर्वेद के अनन्य भक्त थे इसलिये हमें और खुशी होगी अगर वे अधिक प्रोग्रेस कर सकें। मैं चाहूंगा कि हैल्थ सैक्टर में आयुर्वेद सैक्टर की अलग व्यवस्था की जावे और उन मन्त्री महोदय का जैसा पहले प्रेम था वैसा बराबर रहे।

आयुर्वेद कॉलिज की व्यवस्था के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं। आयुर्वेद कॉलिज में यहां आपके आज न तो व्यवस्था है शरीरच्छेद की और न व्यवस्था है क्रियात्मक शारीरिक विज्ञान के साधनों की। यह मुख्य समस्या है, और बातें अलग हैं। इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है।

आयुर्वेद की परीक्षाओं की व्यवस्था में भी अव्यवस्था है। मैं इसकी आलोचना करता हूं और इसलिये करता हूं कि आपने किसी कानून के बगैर ये परीक्षाएं चला रक्खी हैं जिन्हें कोई मान्यता नहीं देता। दूसरे राज्यों में इसके स्नातकों को कोई मान्यता नहीं, कोई स्तर नहीं; हालांकि इसमें विद्यार्थियों को अपने पांच, छः साल खराब करने पड़ते हैं। तो यह स्थिति बहुत विषमता की परिचायक है। इस तरफ सरकार को अविलम्ब ध्यान देना चाहिए। इसका असर आज यह हो रहा है कि इण्डियन मैडीसिन बोर्ड यू. पी. या विश्व विद्यालयों के दूसरे मान्यता प्राप्त व्यक्ति यहां आकर सर्विस कर लेते हैं और उनको सर्विस मिल जाती है जब कि यहां वाले यों ही रह जाते हैं। यहां के भिषगाचार्य को दूसरी जगह नहीं लेते, चाहे वह कितनी कोशिश करे। इस तरह से आयुर्वेद की परीक्षाओं की व्यवस्था के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वह इस सम्बन्ध में स्थिति को सुधारे।

जहां तक फाइव ईयर प्लान का सम्बन्ध है इसमें शक नहीं कि राज्य ने बड़े कदम उठाये हैं, करीब ६६ प्रतिशत से भी अधिक खर्चा किया है। किसी भी व्यक्ति को किसी व्यवस्था के लिये पैसा अलॉट कर देना आसान है पर उसके अनुसार अगर वह सारी व्यवस्था कर दे तो निश्चय ही वह बधाई का पात्र है, इसमें शक नहीं। पैसे को व्यवस्थित तौर पर खर्च कर देना, यह भी बहुत बड़ा काम है। तो मैं सरकार को पिछली जो पंचवर्षीय योजनायें हैं और उनमें जो खर्च किया है उसके लिये बधाई देता हूं और आगे जो तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये कदम उठाना चाहते हैं उसमें बहुत सोचकर कदम उठाना चाहते हैं, इसके लिए व्यवस्था की गई है और राज्य ने टेकनी-इकोनोमिक सर्वे कराने की योजना बनाई है वह भी सराहनीय योजना है।

(२. ५० म. प.)

(श्रीसतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

आज हमारे देश के अन्दर दो पंचवर्षीय योजना चली गईं और अब तीसरी पंचवर्षीय योजना हमारे सामने है। जब तक यह मालूम नहीं हो कि हमारी स्थिति क्या है और हमारे यहां क्या क्या पैदा हो सकता है, पूर्ण सर्वे इस बात का नहीं होगा और जब तक हमारे सामने सर्वे की रिपोर्ट नहीं होगी तब तक कोई कदम नहीं उठाया जा सकता।

Page No.72

(डॉ० बहादुरसिंह)

इसलिये जो सर्वे के बारे में राज्य सरकार ने निर्णय किया है उसके लिये मैं बधाई देता हूं कि आपके दिमाग में एक चीज़ है कि आप पंचवर्षीय योजना को वाकई में सफल बनाना चाहते हैं।

इसी तरह से औद्योगिक प्रगति के बारे में मैं माननीय मुख्य मन्त्री महोदय को अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने मेरे क्षेत्र में एक औद्योगिक बस्ती खोलने के लिये जो राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में भी बताया है कि धौलपुर के अन्दर औद्योगिक बस्ती खोली जायेगी मैं हृदय से उनको बधाई देता हूं और धौलपुर के सब-डिविज़न की से भी कि आपने छोटी स्टेट के बारे में कुछ ख्याल रखा। इसके लिए उद्योग मन्त्री भी बधाई के पात्र हैं कि वहां जाकर वह विश्वास दिला आये थे और उस विश्वास की पूर्ति हमारे राज्यपाल महोदय के द्वारा उन्होंने कराई। मैं आज उनका हृदय से स्वागत करता हूं...

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : वर्तमान का या भूतपूर्व का ?

डा० बहादुरसिंह : दोनों का ही। लेकिन मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं माननीय मुख्य मन्त्री जी से कि धौलपुर एक भूतपूर्व स्टेट है और यह महसूस किया जाता रहा है कि राजस्थान में हमारी उपेक्षा हुई। लेकिन अब शुभ चिन्ह हमें नज़र आते हैं। इसलिये इन शुभ चिन्हों में इतना और निवेदन करना चाहता हूं कि धौलपुर को एक डिग्री कॉलेज़ और दे दें तो अच्छा रहे। अगर एक डिग्री कॉलेज स्थापित कर दें और इसी बजट में ऐसी व्यवस्था कर दें कि डिग्री कॉलेज हो तो मैं समझता हूं कि उनका छोटे राज्यों के प्रति बहुत बड़ा कदम होगा और यह जो भावना विद्यमान है कि छोटे राज्यों की उपेक्षा हो रही है वह भी बहुत कुछ दूर हो जायेगी।

मैं अब गृह मंत्री महोदय से विशेष निवेदन करना चाहता हूं कि उनके द्वारा जो धौलपुर की लॉ एण्ड ऑर्डर की व्यवस्था है वह काफी सुधरी है। जो प्रमुख डाकू गैंग थे वह भी करीब करीब समाप्त हो गये हैं। लेकिन गृहमंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि उनके विभाग को जो बदनाम किया जाता है उसका कारण उसी के कर्मचारी हैं। इसके लिये मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं, वह है धौलपुर के सर्किल इन्स्पेक्टर का। यह एक ऐसा मामला है कि चूरू डिस्ट्रिक्ट के अन्दर एक कत्ल हुआ और जो कत्ल हुआ वह केस था स्टेट पुलिस डिस्ट्रिक्ट चूरू वर्सेस कल्याण मुकन्दसिंह इसी प्रकार से पांच सात लोगों के नाम हैं। तो होता यह है कि आज इस केस के फरार लोग बसेड़ी थाने में मौजूद हैं और वहां का थानेदार उनको शेल्टर देता है। बात यह है कि इनके भाई-बन्द हैं। तो इससे होता यह है कि जो छोटे छोटे कर्मचारी हैं वे अनड्यू फायदा उठाते हैं और इससे विभाग बदनाम होता है। इसको कहने की मेरी मन्शा यह थी कि इस प्रकार के जो लोग हैं उनको बराबर वाच करना चाहिये और उनको अधिक से अधिक सजा देनी चाहिये। दूसरी समस्या जो अभी तक गृह मंत्री जी को, हालांकि उन्होंने समाप्त कर दी, लेकिन दूसरी समस्या उनके सामने और आयेगी और वह होगी नये पैदा होने वाले गैंगों की। धौलपुर खास तौर से इस प्रकार की जगह

(डॉ॰ बहादुरसिंह)

रही है कि जहां हमेशा डकैत रहते हैं। क्योंकि तीन स्टेटों की टेरीटरी मिलती है; मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और राजस्थान। यदि आप इस इलाके का डवेलेपमेन्ट करायें तो विशेष तौर पर पी॰डब्ल्यू॰डी॰मंत्री महोदय से काम लेना पड़ेगा और कुछ काम समाज कल्याण मंत्री महोदय से लेना पड़ेगा और जो पुलिस फोर्स में पैसा खर्च किया जाता था, वह अब उस इलाके के डवेलपमेन्ट लिए खर्च करना चाहिये। वहां पर कुछ ऐसे डकैत हैं जो कि अभी हाल ही में छूट कर आये हैं। तो उनको बसाने के लिये मैं माननीय राजस्व मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उन्हें आप जमीन दें। जिस प्रकार से सांकड़ा में इस प्रकार की व्यवस्था कायम की है उसी प्रकार की व्यवस्था वहां पर भी कायम होनी चाहिये। एक्सक्राइम करने वाले लोग हैं उनकी मनोवृत्ति बदलने के लिये वहां पैसा खर्च करना चाहिये जिससे उनकी सांस्कृतिक और आर्थिक उन्नति हो। क्योंकि वहां पर छोटे छोटे बंध बनाये जा सकते हैं और इसके लिये मैंने पहले भी कहा था। उनका सर्वे भी करायें मगर यह छोटे छोटे बंध हैं, जिनका निर्माण होने से हमारी अनेक समस्यायें हल हो सकती हैं। अगर आपके पास योजना में पैसा नहीं है तो लॉ एण्ड आॅर्डर के हैड में से कुछ व्यवस्था करिये ताकि उस इलाके लोग जो कि एक डिस्टर्ब्ड एरिया है, वहां लोगों का विकास हो सके। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वहां इस सम्बन्ध में आप कुछ सर्वे करायें या इसके लिये समाज कल्याण विभाग को अग्रसर करें ताकि वहां पर कार्य हो सके और लोग आगे बढ़ सकें।

अब अंत में जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे मैं पुनः आयुर्वेद के पक्ष में निवेदन करना चाहता हूं। वे आयुर्वेद के हित के लिये और जो आयुर्वेद के वैद्य हैं जिनको आप बहुत ही न्यूनतम वेतन दे रहे हैं उनकी हालत सुधारने के लिये आयुर्वेद की ओर विशेष ध्यान देना ही होगा। हालांकि आपने बोर्ड बनाया, जिसके आप चेयरमैन थे और उस बोर्ड ने निर्णय किया कि वैद्यों की तनख्वाह कम से कम १२० रुपये होगी। हमारे अर्थ मंत्री भी आयुर्वेद के प्रेमी हैं तो पता नहीं वे उनका वेतन क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं? इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आयुर्वेद के लिए जो मंत्रिमण्डल के सदस्य हैं और जो सभी आयुर्वेद प्रेमी हैं और उन वैद्यों के लिए जिनको आप बहुत कम तनख्वाह दे रहे हैं और उन उप-वैद्यों को कम तनख्वाह देकर आप चाहते हैं कि ग्रामीण जनता स्वास्थ्य लाभ करे, यह कैसे होगा? क्योंकि गांव के लोग आयुर्वेद में अधिक विश्वास करते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि गांवों में वैद्य लोग तो अपने आपको एडजस्ट कर लेते हैं और डॉक्टरों के लिए न तो वहां पर सिनेमा हैं और न घूमने के लिये पक्की सड़कें हैं; लेकिन हमारे जो अर्थ मंत्री महोदय हैं वह थोड़ा संकोच करना बंद कर दें तो निश्चिततः आयुर्वेद राजस्था में पनप सकता है। यह ठीक है कि वह प्राकृतिक चिकित्सा प्रेमी बन गये हैं तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि वैद्यों के वेतन के बारे में और आयुर्वेद के औषधालयों के बारे में और जो तीसरी पंचवर्षीय योजना हम बनाने जा रहे हैं उसमें हैल्थ सेक्टर में जो रकम रखी है वह इस बात का द्योतक है कि बाहर जब यह जायेगी, जब दूसरी स्टेट उस को देखेगी कि आयुर्वेद के अन्दर मंत्री तो अलग हैं लेकिन योजना के लिये पैसा नहीं

Page No.74

(डॉ० बहादुरसिंह)

है तो मंत्री बेचारे अकेले क्या करेंगे क्योंकि वह शिड्यूल्ड ट्राइब्स के तो वह पहले ही हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं ...

श्री लादूराम सुलणिया (दूदू-सु): On a point of order, Sir, क्या यह सच है कि शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को कोई अधिकार नहीं है !

(विराम)

क्या उनको किसी प्रकार के अधिकार नहीं हैं ?

डॉ० बहादुरसिंह : आयुर्वेद के बारे में में, पिछड़ी जाति और पिछड़े लोगों के बारे में अलग से रकम मन्जूर करते हैं उस दृष्टि से आयुर्वेद बेचारा है, इसलिए इसके लिए विशेष रकम मन्जूर करके तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए आगे बढ़ेंगे।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री सभापति (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल) : श्री हरिप्रसाद, आप ५ मिनिट से ज्यादा नहीं बोलेंगे। तीन पत्र आपके यहां पर आये हैं इसलिए समय दे दिया है। आपने उनमें लिखा है कि समाज की भलाई के लिए समय दिया जाय, तो समाज की भलाई आप ५ मिनिट में ही कर दें।

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभनगर सु०) : माननीय सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कल से जो बहस सुनी और भाई श्री ज्वालाप्रसादजी ने प्रस्ताव रखा उसका समर्थन करते हुए मेरे पूर्व वक्ताओं ने उस पर काफी प्रकाश डाला। जब इस सदन के माननीय सदस्यों में से एक भाई जो बोल चुके थे उसी बात को रिपीट करते करते कल ३ माननीय सदस्यों ने सारा ५ घन्टों का समय ले लिया।

(हंसी)

जब ५ मिनिट भैरोंसिंहजी के बढ़ा दिये गये थे तो मेरे भी बढ़ा देंगे।

तो, माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले इस सदन के नेता महोदय को धन्यवाद दूंगा जिनके अपने हाथों में डवेलपमेंट विभाग भी है। विकास विभाग में जो हमारे राजस्थान राज्य ने विकास किया है, जो राजस्थान राज्य में प्रगति हुई है वह आप सब के सामने है। हमारे यहां नदी, नाले, वन, हाईस्कूल, सड़कें और कई तरह तरह के निर्माण किये गये हैं।

अब मैं आपसे निवेदन करूं कि राज्यपाल महोदय ने अपना ३७ प्रश्नों का लेख हमारे सामने रखा है तो ३७ प्रश्नों के लेख में

(हंसी)

श्री सभापति : यह लेख नहीं, भाषण है।

श्री हरिप्रसाद यादव : ३८वें प्रश्न में हमारे समाज कल्याण विभाग के बारे में प्रकाश डाला है, और माननीय राज्यपाल महोदय ने उसमें बताया कि हरिजनों की प्रगति संतोषजनक है। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं कि हरिजनों की राजनैतिक स्थिति सुधरी है, परन्तु आर्थिक ढांचे को देखते हुए राजस्थान के हरिजनों में इतना अभाव है कि जहां उनको जमीन देने का सवाल आता है तो हमारे सवर्ण भाई उनको दबा जाते हैं, ७–७ वर्ष तक हरिजनों को मुकदमे लड़ने पड़ते हैं

(श्री हरिप्रसाद यादव)

जिससे उनके घरों में जो जेवर हैं उनको मुकदमें के खर्चे के लिए बेचकर आर्थिक ढांचे से बर्बाद हो जाते हैं, जिससे उन लोगों में असन्तोष रहा है।

अब मैं दूसरी ओर जाता हूँ। हमारे भारत के शेड्यूल्ड कास्टस के कमिश्नर श्री श्रीकान्त भाई हैं, उनकी रिपोर्ट छपकर सारे हिन्दुस्तान की प्रादेशिक सरकारें हैं उनके पास भेजी गई हैं। उसको जब हम देखते हैं और पढ़ते हैं और दूसरी विधान सभाओं में उस रिपोर्ट पर प्रकाश डाला जाता और उस पर बहस होकर और आंकड़ों पर बहस होती है कि कहां कहां पर भीलों और आदिवासियों और हरिजनों की स्थिति में कितना कितना सुधार हुआ है और कहां पर नहीं हुआ है, वह रिपोर्ट माननीय सदस्यों के पास आती है तो उससे पता लगता है कि कितना सुधार हुआ है और कितना नहीं हुआ है।

कई माननीय सदस्य : यह बात तो पोइन्ट की कही है।

श्री हरिप्रसाद यादव : जब समाज कल्याण विभाग के मंत्री ने जो समाज कल्याण बोर्ड बनाया है उसकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। समाज कल्याण बोर्ड में जो फैसले किये गये हैं उन फैसलों पर समाज कल्याण बोर्ड के डाइरेक्टर साहब ने कोई अमल नहीं किया। मैं आपसे निवेदन करूं कि समाज कल्याण बोर्ड में एम. पी., एम. एल. ए. और सेक्रेटेरियेट के सभी विभागों के सेक्रेटरी हैं वे भी आते हैं। मैं उसका सदस्य हूं। उसमें बहस होती है, उसकी कागजी कार्यवाही लिखकर रजिस्टर तक ही सीमित है, न कि उसके दायरे में सुधार हुआ है, जब माननीय वित्त मंत्रीजी जो कि समाज कल्याण विभाग के मंत्री भी थे वे समाज कल्याण बोर्ड की बैठकें बुलाने में असमर्थ रहे। मैं निवेदन करूंगा कि वैसे ही कम बैठकें हुई हैं और उनमें भी जो फैसले किये गये हैं उनमें भी अनुशासन की कार्यवाही उन कर्मचारियों पर नहीं की गई जिनके बस्तों में कागज़ फाइल हैं। मैं अपने क्षेत्र बल्लभनगर की बात करता हूँ। भोपालसागर तहसील में अकोला में जवाहरनगर बस्ती के नाम से ५० परिवारों को बसाया गया था। उन्होंने अन्तगत नक्शे बनाकर समाज कल्याण विभाग के दे दिये और डाइरेक्टर साहब ने जो उनको सुझाव दिये थे उनके मुताबिक ५० परिवारों के नक्शे पूरे फाइनल कार्यवाही के लिये कागज़ात फाइल में हैं; ७ वर्ष से बराबर - जहां पर कई नई बस्तियां बस गई वहां पर उन लोगों ने कुआं खोदा जिसके, लिए राजस्थान ग्राम जल बोर्ड से १०००) रु० मिले, परन्तु समाज कल्याण विभाग को कई बार चिट्ठियां लिखीं; उन लोगों, ने बेचारों ने दरख्वास्तें दीं, लेकिन उन हरिजनों की बस्ती में पीने के पानी का अभाव भी हम लोग दूर नहीं कर सके, तो जहां पर समाज कल्याण की संतोषजनक प्रगति राज्यपाल महोदय ने बताई है वह कहां तक ठीक है।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

अब मैं दूसरे विभाग के बारे में कहना चाहता हूं। पी. डब्लू. डी. की सड़कें हैं। मेरा भूपालसागर का एरिया शूगरकेन का एरिया है। वहां पर भारत सरकार से भी एप्रोच रोड के लिए पैसा मिला है और राजस्थान सरकार के मंत्रीजी थे श्री नाथूरामजी मिर्धा उनसे भी कहा कि जो सड़कें बनवाई हैं उन सड़कों का यह हाल है कि भूपालसागर से कपासन

(श्री हरिप्रसाद यादव)

की जो रोड बनी उसमें ६, ६ इंच के गड्ढे है पड़ गये है कोई आदमी अब सड़क पर साइकिल नहीं चला सकता है वहां मोटर जाती है तो ट्यूब और टायर खराब हो जाते हैं। हम बसों और ट्रकों के लिए कहते है तो ठेकेदार कहते हैं कि तुम्हारे यहां परमिट लाकर क्या करें, रोड खराब हैं; इधर उधर से माल लाकर क्या करें, हमारे ट्यूब टायर खराब हो जाते हैं; मैं निवेदन करूं कि एक तरफ तो हमारे विकास को रोक दिया है और वह सारी सुविधाओं से वंचित रहते है, और पी० डब्लू० डी० से बिल पास कर दिया जाता है। शिकायत लेकर जाते हैं तो कहते हैं कि तुम्हारे मंत्री को रिपोर्ट कर दो। इन्जीनियर को लिखते हैं तो यह कहते है कि मंत्री को रिपोर्ट कर दो। मैं आपको बताऊं कि जहां शूगर फेक्ट्री है, और वहां ६, ७ महीने बराबर गाड़ियों से गन्ना आता है, और जहां राज्य लाखों रुपये लगाकर सड़कें बनाती है, और उसमें ६–१० इंच के गड्ढे हो जाते है। इन्जीनियर के पास जाते है तो कहते हैं कि पी० डब्लू०डी० में ऐसा ही काम होता है। जाओ, आगे जाकर शिकायत कर दो। इस प्रकार का इन्जीनियर जवाब देते हैं। जब हमारे हैड क्वार्टर पर मंत्री मंडल की बैठक हुई थीं तभी मैंने माननीय मुख्य मंत्री महोदय और मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया था।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

अब दूसरे सिंचाई विभाग की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। सिंचाई विभाग में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भोपलासागर तालाब से ५ नहरें बनाने का प्रावधान था और मैंने गत बजट अधिवेशन में एक प्रश्न भी पूछा था तो माननीय सिंचाई मंत्रीजी ने कहा था कि वहां पर सामान की सुविधा नहीं है, शूगर फैक्ट्री की वजह से मज़दूर नहीं मिलते है, वह नहर नहीं बन सकती है। वहां पर एक बहुत बड़ा तालाब है और उससे १० हजार बीघा जमीन पर उससे सिंचाई होती है। वहां पर चावल और गन्ना पैदा होता है। आपको शूगर तैयार करके देते हैं तो ऐसे एरिया में आपको ऐसे बड़े तालाब से नहर बनाने की जरूरत है, तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।

दूसरी ओर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मोरगड़ा टैन्क के लिए २० लाख का प्रावधान था। तो भोपाल सागर के इतने बड़े एरिया में जहां शूगर केन पैदा होता है वहां पर तालाब की आवश्यकता थी। वहां पर जमीन हजारों बीघा पड़त है, कपासिन तहसील और भूपालसागर तहसील के बीच में जो नाली निकलती है उसमें काफी पानी था उस पर बान्ध बान्धने के लिए द्वितीय पंचवर्षीय याजना में जो प्रावधान था तो माननीय सिंचाई मंत्रीजी ने कहा कि वहां की मिट्टी खराब है तो मैं निवेदन करूं कि जहां जसवाना टैन्क में ६०,०००) हमारी सरकार ने खर्च किये है उसके लिए मिट्टी डालते हैं तो उसी काली मिट्टी से २० लाख का टैन्क बना सकते थे और वहां पर काफी दिनों तक इस बात की सुविधा नहीं रही कि शूगर फेक्ट्री को शुगर केन मिलता जावे। हमारी सरकार ने शुगर फेक्ट्री प्लान्ट बनाने के लिए पूंजीपतियों को रुपये दिये और रुपये देकर प्लान्ट लगाते है और उसको माल नहीं मिलता है तो मिल बंद हो जायगी और मजदूरों को रोजी नहीं मिलेगी या बोनस कम मिलेगा।

(श्री हरिप्रसाद यादव)

एक तरफ तो फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि मजदूरों के लिए यह होना चाहिये वह होना चाहिये, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जहां पर बड़े बड़े शहर हैं जैसे जयपुर शहर है वहां और! दूसरे बड़े बड़े शहरों पर पैसा खर्च किया जाता है और जब हम गांवों के लिये इस सदन में बोलना चाहते हैं तो सभापति महोदय, डिप्टी स्पीकर साहब कहते हैं कि ५ मिनिट का समय तुम्हारे लिये है

(हंसी)

श्री सभापति (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल) : आपने मांगा उसके अनुसार संक्षेप में समय दे दिया।

श्री हरिप्रसाद यादव : राज्यपाल महोदय ने जो आइटम लिखे हैं उन्हीं पर तो बोल रहा हूं।

श्री सभापति : आप दूसरे झगड़े में न फंसिये।

श्री हरिप्रसाद यादव : जहां पर ७ रु०, ८ रु० या १० रू० रेवेन्यू की इन्कम मिलेगी, ऐसी सूरत में हमारे यहां भूपालसागर में ५ नहरों के बनाने की आवश्यकता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी फिगर था।

अब मैं निवेदन करूं कि जहां पी० डब्लू० डी० विभाग द्वारा सड़कें बनाई जा रही हैं वहां माइनर रोड्स की ओर भी ध्यान देना चाहिये। जो कटोली रोड जा रही है उसके बारे में हमने मंत्रीजी को लिखा था और जब हमारे हैड क्वार्टर पर मंत्री मंडल की बैठक हुई थी वहां भी हमने निवेदन किया था कि फतेहगढ़ अकोला रोड बनना जरूरी है और जो भूपालसगार सड़क बन रही है उससे लाखों रुपयों की बचत होगी। अकोला सड़क....

श्री सभापति : यह तो बजट भाषण है, नीति के सम्बन्ध में कुछ कहिये।

श्री हरिप्रसाद यादव : नीति पर भी आ रहा हूं।

श्री सभापति : अब आयेंगे क्या ?

श्री हरिप्रसाद यादव: जी हां। यहां हमारे राज्यपाल महोदय ने कहा था कि मसूरी में विधान सभाइयों के लिये ट्रेनिंग सेन्टर खोला जा रहा है उससे काफी सुधार होगा और हमारे कई विधान सभाइयों को एक दूसरे के संपर्क से लाभ होगा, लेकिन मैं निवेदन करूं कि वहां अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग ही जा सकते हैं। एक लेटर मेरे पास भी आया था जिसमें लिखा था कि अंग्रेजी पढ़े लिखे, अंग्रेजी में भाषण देने वाले और बोलने समझने वाले लोग ही जाने चाहिये। तो मैं कहता हूं, इससे क्या लाभ होगा जब कि इस सदन के १०० में से ७५ सदस्य ऐसे हैं जो राजस्थानी भाषा और हिन्दी भाषा ही जानते हैं। तो यह जो आइटम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में लिखा वह मेरी समझ में नहीं आया। राज्यपाल महोदय ने गत अधिवेशन में काफी लंबा भाषण दिया था लेकिन इस वर्ष के भाषण में परिवर्तन ज़रूर आया और कागज़ का लाभ हुआ इसलिये मैं धन्यवाद दूंगा। दूसरी और समाज कल्याण मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि हमारे समाज कल्याण बोर्ड ने फैसला

(श्री हरिप्रसाद यादव)

दिया था कि हरिजन और आदिवासी लड़के लड़कियों को हरएक स्कूल में प्रवेश दिया जाय। लेकिन आज कोई भी स्कूल इन लड़के लड़कियों को लेने को तैयार नहीं है। इसके उदाहरण स्वरूप बताना चाहता हूं कि हमारे ही सदस्य धर्मपालजी ने एक एप्लीकेशन दी थी, जिस पर समाज कल्याण विभाग के सेक्रेटरी साहब ने कह दिया कि नहीं लिया जायगा। मैं कहूं कि जहां समाज सुधार और प्रगति का सवाल है वहां सभी सदस्य अपना हृदय परिवर्तन कर दें तो आगे सवर्ण और हरिजन का सवाल ही खत्म हो जाता है और तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो करोड़ों रुपये समाज कल्याण के नाम से खर्च होने वाले हैं वे बच जायेंगे। तो आपकी और हमारी सब की जिम्मेदारी है कि भेदभाव न रखें। मैं निवेदन करूंगा कि समाज के दो अंग हैं एक सवर्ण और दूसरा हरिजन। हरिजन भी उसी शरीर के अंग हैं। यदि शरीर की एक अंगुली काट दी जाय तो सारे शरीर को समान रूप से कष्ट होगा, पैर काटते हैं तो भी दर्द होगा। इसलिये सवर्ण भाइयों को चाहिये कि जो लंबे लंबे भाषण देने वाले पूर्व वक्ता हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने क्षेत्र में समाज सुधार करें क्योंकि हम यहां सुधार करने आये हैं। यहां लोक कलाकारों की तरह ढाई तीन घंटों तक बोलते रहने से काम नहीं चलता......

श्री सभापति : Order! Order please!!

श्री हरिप्रसाद यादव : मुझे पूरा करने दीजिये। जब आपको खबर नहीं है तो उनको खबर कैसी होगी ? मैं जल्दी ही खत्म करूंगा।.......

श्री सभापति : आप बैठ जाइये।

(विराम)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में पिछले वर्ष हमारे राज्य ने क्या क्या बातें की, उसका उल्लेख करते हुए प्रारम्भ में ही यह कहा कि राज्य में प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण की योजना लागू हुई है। उसके बाद भाषण में यह बात लिखी है कि उसके लिये मूल्यांकन समिति का निर्माण करेंगे। इस योजना के सम्बन्ध में मुझे विशेष रूप से निवेदन करना है क्योंकि इस अभिभाषण में इस बात का संकेत आया है कि इस सत्र में या दूसरी बैठक में कुछ संशोधन विधेयक पेश किये जायेंगे। उनको पेश करने से पहले यहां विचार करना चाहिये। अक्टूबर में यह योजना लागू हुई और हमारे लिये यह परीक्षण काल था। हमने परीक्षा की कि किस प्रकार से यह लागू हो। कोई झगड़ा टंटा हुए बिना ही यह योजना लागू हुई यह धन्यवाद की बात है। लेकिन अब हम इस पर अमल कर रहे हैं और उस आधार पर जो अनुभव हुए हैं उनके आधार पर इसमें परिवर्तन करना चाहते हैं, उस पर विचार करना चाहिये। जितने भी नगरपालिकाओं के अध्यक्ष हैं, जो नगरपालिकाएं एक लाख की जनसंख्या से कम की हैं, उनको भी ज़िला परिषद् का सदस्य बनाया जायगा और नगरों को भी इस योजना के अन्तर्गत लेंगे तो जितनी विकास की योजनाएं हैं उनका समन्वय करने की बात कही गई है। जब हमें इसमें परिवर्तन करने का कहें तो हमें

Page No.79

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

यह देखना चाहिये कि इसके दो शब्द हैं लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण । विकेन्द्रीकरण हुआ है, लेकिन साथ में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण नहीं किया तो विकेन्द्रीकरण की मंशा समाप्त हो जायगी । अब तक जो समितियां बनीं, सब-कमेटियां बनीं और जिस ढंग से वे काम कर रही हैं वे देखने को मिली हैं, उनमें इस प्रकार का अनुभव आया है कि मान लीजिये समिति में २५ मेम्बर हैं और उनमें से १३ एक राय के हो जाते हैं और बाकी के १२ मेम्बर दूसरी राय के हैं, समिति के पास जो रुपये आते हैं उनको वे अलॉट करते हैं, वहां यह नहीं देखा जाता कि प्रत्येक पंचायत को मिलना चाहिये । बहुत सी समितियों के अन्दर इस प्रकार से हुआ है, पंचायत समितियों में सरपंच बैठते हैं, वैसे यह बात ठीक है कि दलों के आधार पर वहां चुनाव नहीं लड़े लेकिन चुनाव लड़ने के बाद दल वहां पर हैं और दल होने के बाद बहुत सी पंचायत, जिनका विकास होना चाहिए, जिनका विकास करने का विधेयक द्वारा अधिकार दिया है, लेकिन यह योजना जिस ढंग से लागू हुई है, उस ढंग के कारण सब पंचायतों को विकास करने का अवसर नहीं मिलता है । मैंने देखा है कि आबादी के आधार पर रुपया बांटा जाता है । पहले जिला परिषद् में रुपया गया, वहां से आबादी के आधार पर पंचायत समितियों में रुपया बांटा जाता है । जब रुपया वहां जाता है, तो वहां सरपंच बैठते हैं और उनमें जिनका बहुमत होता है, वे रुपया जिसको चाहते हैं उसको दे देते हैं । कल लालसोट से आने वाले सदस्य ने शिकायत की थी कि पांच छः पंचायतें हैं जिनके पास विकास के लिए एक पैसा नहीं है, उनको पैसा नहीं मिला । तो जब आप विधेयक में परिवर्तन करने जा रहे हैं तो इस प्रकार की योजना बनायें जिससे वास्तव में प्रत्येक पंचायत को समान अवसर मिले । इसके साथ ही जो कमेटियां बनती हैं, उनमें भी सबको समान अवसर नहीं मिलता है क्योंकि जो कमेटियों का निर्वाचन होता है, वह बहुमत के आधार पर होता है । जिस समय विधेयक बना था उस समय यह मांग की थी कि अगर प्रपोर्शनेट रिप्रेजेन्टशन सिस्टम लागू नहीं किया तो केवल एक दल आ जायगा । फिर यह कोई एग्ज़ीक्यूटिव बोडी नहीं है । उस समय एक सदस्य ने कहा था कि इस प्रकार तो केबिनेट में भी प्रपोर्शनेट रिप्रजेन्टेशन होना चाहिए । मैं समझता हूँ कि केबिनेट और पंचायत में अंतर रखना चाहिए क्योंकि पंचायतों में प्रत्यक्ष में बैठ कर काम करना पड़ता है, अगर वहां किसी एक पक्ष की उपेक्षा हो जाय तो विकास का कार्य रुकेगा । जब आप एक बात कहते हैं कि जन सहयोग लेना चाहिये, सब लोगों को साथ लेकर चलना चाहिए, तो सबका प्रतिनिधित्व पंचायत समितियों में और कमेटियों में आये, इसके लिए यह आवश्यक है कि जब आप विधेयक में संशोधन लायें तो इस प्रकार की व्यवस्था करें कि प्रपोर्शनेट रिप्रजेन्टेशन सिस्टम वहां अवश्य लागू हो । इसी प्रकार की बात नगरपालिकाओं में भी है । वहां देखा है कि अगर एक वोट से भी अध्यक्ष जीत गया तो उसके बाद उस नगरपालिका की एक कमेटी में भी विरोधी दल को नहीं लेते क्योंकि वहां कशमकश ज्यादा चलती है, इसलिए विरोधी दल की वहां आवाज़ नहीं होती है । जैसा मैंने कहा कि जब आप डिसेन्ट्रलाइजेशन कर रहे हैं, तो आप डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रला-

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

इजेशन करें, इस ढंग की व्यवस्था करें। अभी हम इस चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन के अवसर पर हमारे मुख्य सचिव इस योजना का अध्ययन करने के लिए विदेशों में गये, वे यूगोस्लाविया में भी गये। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि वहां डेमोक्रेसी नहीं है, वहां डिसेन्ट्रला-इज़ेशन जरूर है, लेकिन वह कम्युनिस्ट कन्ट्री है, वहां का ढांचा इस प्रकार का है कि एक पार्टी का रूल है; जिस प्रकार की व्यवस्था वह करती है, उसी प्रकार चलता है। हमारे देश का ढांचा दूसरे ढंग का है। हमने संविधान के द्वारा दूसरे ढांचे को स्वीकार किया है, जिसके लिए कांग्रेस दल, प्रजा-समाजवादी दल, जन संघ आदि सब एक मत हैं कि हम अपने देश में प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण लागू करना चाहते हैं। जब सब दल इस बात के लिए दृढ़ संकल्प हैं तो इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए, जब विधेयक में परिवर्तन करें, तो सारी बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात इसके अन्दर कही गई है कि जिन नगर-पालिकाओं की एक लाख से कम की आबादी है, उनके अध्यक्ष जिला परिषद् के सदस्य बनाये जायेंगे। आखिर एक जिला है, जैसे झुंझुनू जिला है, उसके अन्दर सात पंचायत समितियां हैं, सात एम. एल. ए. हैं, इस प्रकार १४ होते हैं। वहां की नगरपालिकाओं की संख्या ११ है, इन नगरपालिकाओं की जनसंख्या कितनी है; किसी की ११ हजार की आबादी है, किसी की १२ हजार की आबादी है, किसी की १५ हजार की आबादी है, सबसे बड़ी नगरपालिका ३० हजार की आबादी की है, इस प्रकार ११ सदस्य और आ जाते हैं, ११ ये और १४ वे। इस प्रकार अर्बन पोपुलेशन का इतना बड़ा मत हो जाता है कि रूरल पोपुलेशन दब जाती है। हमारी जो योजना बनाई गई है और विशेष कर जो विकास की योजनायें बनाई हुई हैं, उनके अन्दर अगर अर्बन पोपुलेशन का पर्सेन्टेज़ आ गया, उसके बाद विकास योजनाओं का कार्य होगा, तो समन्वय किस प्रकार होगा? हम करना यह चाहते हैं कि नगर और गांवों के अन्दर भेद नहीं रहे, उनकी विकास योजनाओं में समन्वय रहे। जब यह करना चाहते हैं तो इस ढंग से जो करेक्टर रिप्रजेन्टे-शन का बनेगा, वह इस प्रकार का बनेगा कि अर्बन पोपुलेशन डोमीनेट करेगी। इसके साथ ही जो एम. एल. ए. होंगे, वे सातों ही गांवों से नहीं होंगे उनमें से आधे ऐसे होंगे जो शहर की पोपुलेशन को रिप्रेजेन्ट करते होंगे, तो इस ढंग से ढ़ांचा बन जायगा और जब ढांचा बन जायगा तो जो रुपया बंटेगा, वह बहुमत के हिसाब से बटेगा और इस ढंग से जब रुपया बंटेगा तो जो गांवों को ड्यू मिलना चाहिए वह किस ढंग से मिलेगा, यह बात स्पष्ट नहीं होती है। जब आप गांवों के अन्दर और शहरों के अन्दर सामुदायिक विकास योजनायें लागू करना चाहते हैं तो शहर में योजनायें लागू करने में एक दिक्कत अनुभव होती है क्योंकि गांवों को पैसा देना है; विकास योज-नाओं के लिए, स्कूल बनाने के लिए, दवाखाना बनाने के लए विकास समिति पैदा होती है, लेकिन शहर को पैसा नहीं मिलता है। इसलिए हमारी सरकार ने योजना बनाई कि सामुदायिक विकास योजना शहर में भी लागू हो; यह ठीक है लेकिन समन्वय की जो बात है, और जिस तरह से सरकार करना चाहती है, उस तरह समन्वय

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

नहीं होगा, इसमें बेलेन्स बिगड़ेगा और जब बेलेन्स बिगड़ेगा तो कैसी योजना लागू हो जिससे गांव और शहर का मतभेद दूर हो। जब डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइज़ेशन हम बनाना चाहते हैं और सबका रिप्रेजेन्टेशन रखना चाहते हैं तो पंचायतों में प्रपोशनेट रिप्रेजेन्टेशन के आधार पर चुनाव होना चाहिए। हमारे बड़े बड़े शहरों में कोरपोरेशन बने हैं, उनमें देखने को मिला है कि जब चुनाव होता है तो सारे दलों का रिप्रेजेन्टेशन मिल जाय, इसके लिए प्रपोशनेट रिप्रेजेन्टेशन इलेक्शन में अलाट करते हैं। इसी प्रकार हमें अपने प्रान्त में भी छोटे रूप में पंचायतों और नगरपालिकाओं में, जब डिसेन्ट्रलाइजेशन किया है, तो इस सिस्टम को टीक ढंग से लागू करें और एक परीक्षा करें। मैं समझता हूं कि यह सफल होगा और अधिक से अधिक जन सहयोग मिलने का अवसर मिलेगा। जब हम इस विधेयक में परिवर्तन लायें, जैसा कि मुझे लगता है कि इस सत्र में, अथवा जो ग्रीष्म में सत्र आयेगा, उसमें सरकार अवश्य लायेगी क्योंकि १९६१ में जो पंचायत समिति बनेगी, जिला परिषद् बनेगी, उससे पहले इस विधेयक को पूरा करना चाहती है सरकार। तो उस परिवर्तन को इस ढंग से करें, इसके लिए मेरा सुझाव है।

इसके साथ ही दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूँ। शिक्षा के बारे में सरकार ने बहुत कुछ बातें कहीं हैं। कुछ विशेष लोग, जो भाग भाग कर प्रशासनिक सेवाओं के अन्दर आ रहे थे, उनके कारण यह असर हुआ है कि शिक्षण संस्थाओं के प्रोफेसर्स और लेक्चरार, जो प्रशासनिक सेवाओं में आ रहे हैं, ऐसे लोगो पर रोक लगाई जाय, इसलिए उनकी तनख्वाह बढ़ा दी और प्रोफेसर्स और लेक्चरार्स को प्रशासनिक सेवाओं के समकक्ष लाने का प्रयास किया गया है। यह अच्छी बात है, बुरी बात मैं इसे नहीं कहता, यह की जानी चाहिए। उसके बाद शिक्षा की जो स्थिति है, उसको नीचे और देखें। सभापति महोदय, आज इस प्रकार की दुर्व्यवस्था है कि उसमें कोई योजनाबद्ध काम नहीं हो रहा है। यहां के विद्यार्थी जब आठवीं कक्षा पास करके हायर सैकेन्डरी स्टेज पर आते हैं, तो हायर सैकेन्डरी स्कूल्स के जो रिजल्ट्स हैं, उनको देखें। आज हायर सैकेन्डरी स्कूल्स के अध्यापक कहते हैं कि किस प्रकार पढ़ा कर अध्यापक विद्यार्थियों को भेज देते हैं, जो केरीकुलम हायर सैकेन्डरी स्कूल्स के लिए लागू किया है उसमें ये विद्यार्थी चल नहीं सकते। अगर किसी प्रकार चलाते हैं तो रिज़ल्ट ५० प्रतिशत के ऊपर नहीं जाता, इस साल ३० पर्सेन्ट के करीब रिजल्ट रहा है। वैसे सरकार को इस बात से सन्तोष होना चाहिए कि क्योंकि कम विद्यार्थी पास हुए हैं, इसलिए एम्प्लोयमेंट कम को देना पड़ेगा। जो विद्यार्थी फेल हो गये हैं, वे एक साल और पढ़ें, इस तरह एम्प्लोयमेंट की बात नहीं आवेगी। मैं समझता हूं कि यह दुर्भाग्य की बात है कि अधिक विद्यार्थी फेल होते हैं, असफल होते हैं। मैं कहता हूँ कि एक भी विद्यार्थी असफल क्यों हो? हम अध्यापकों को तनख्वाह देते हैं, विद्यार्थी का विकास करने के लिए रखा है। लेकिन आठवीं क्लास में शिक्षा का ढांचा दूसरी तरह का है, हायर सेकन्डरी में उसे बदलने का प्रावधान किया है। इसके साथ ही अध्यापकों का वेतन भी टीक है, लेकिन जो वहां केरीकुलम

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

लागू किया है, उसे नीचे वाले विद्यार्थी ऊपर आकर समझते नहीं हैं। इससे उनके अध्यापकों के सामने एक समस्या हो जाती है कि उन विद्यार्थियों को किस प्रकार पढ़ायें। इसलिए इन दोनों में समन्वय करने की आवश्यकता है; ६, १० व ११ के लिए जो केरीकुलम है और नीचे की क्लासेज़ के लिए जो केरीकुलम है उसमें समन्वय किया जाय। और साइड बाई साइड जो विद्यार्थी चढ़ते जा रहे हैं, वे चढ़ते जायं, उसमें दिक्कत नहीं आयेगी और वे उस पढ़ाई के अन्दर अजनबी फील नहीं करेंगे। आज जो विद्यार्थियों की अवस्था है, उस स्टेज पर जाकर विद्यार्थी अजनबीपन महसूस करते हैं, इसका परिणाम यह होता है विद्यार्थी अधिकांश मात्रा में फेल होते हैं। इसके साथ ही जो प्राथमिक शालाओं की अवस्था है, सरकार ने कहा है कि तीसरी योजना के अन्त तक ६ से ११ वर्ष के बच्चों के लिए सभी स्थानों पर निःशुल्क प्राइमरी शिक्षा का जो राष्ट्रीय लक्ष्य रखा गया है वह राज्य सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। यह अच्छी बात है और यह बधाई की बात है। इस योजना में और सरकारें अग्रसर हो रही हैं, हमारी राजस्थान सरकार भी अग्रसर होने जा रही है। यह योजना उस प्रकार की नहीं है, जैसी योजना लागू की थी पिछली साल, 'स्कूल चलो।' गांव-गांव के अन्दर बच्चों के जुलूस निकाले गये, विकास अधिकारी से लेकर कलेक्टर तक ने मिल कर जोर लगाया, यह अभियान चलाया, 'स्कूल चलो।' इसके बाद में स्कूलों में बच्चे भरे गये। लेकिन स्कूल के लिए मकान नहीं। अभी हमारे देश के प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि मकान न हों तो पेड़ के नीचे बैठ कर पढ़ें। वैसे पेड़ के नीचे भी बैठ कर पढ़े हैं, पेड़ के नीचे बैठ कर ऋषिकुल चले हैं, यह बुरी बात नहीं है, आज पेड़ के नीचे बैटकर पढ़ने की बात कही जा रही है! लेकिन इसके साथ ही प्राइमरी के स्कूल में दो अध्यापक होते हैं, एक अध्यापक होता है, वहां पर इतनी भीड़ भरती कर दी गई है। इसके बाद ही अधिकांश स्कूलों में यह अनुभव हुआ है कि बच्चे वापिस चले गये हैं। वे वापिस क्यों चले गये हैं, क्योंकि वहां डांटने वाला नहीं है, अध्यापक नहीं है या अध्यापक ऐसे नहीं हैं जो बच्चों को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकें, बच्चों को वहां ऐसा अनुभव हो कि वे घर में आये हैं। आज प्राथमिक शालाओं के जो अध्यापक हैं, उनका जो आर्थिक अवस्था है, उन आर्थिक अवस्थाओं के कारण व जो सर्विस कन्डीशन्स हैं, विशेष रूप से जो पंचायत समितियों के अध्यापक हैं, उनकी इस प्रकार की अवस्था है कि अधिकांश अध्यापक कहते हैं कि हमको ऑप्शन दिया गया, लेकिन यह नहीं बताया गया कि कहां रहना है। सरकार ने नहीं बताया कि शहरों में रहना चाहते हैं या पंचायत समितियों में जाकर करना चाहते हैं? को ऑप्शन का अधिकांश अध्यापकों को पता नहीं चला। आज यदि सारे अध्यापकों को पूछें कि पंचायत समितियों में रहना चाहते हैं या सरकारी स्कूलों में जाना चाहते हैं तो ५० प्रतिशत अध्यापक कहेंगे कि हम सरकारी स्कूलों में जाना चाहते हैं। आज सारा ढांचा अध्यापकों का बिगड़ गया है, उन लोगों के मनमाने ढंग से ट्रान्सफर किये जा रहे हैं, इस तरह के ट्रान्सफर्स करने के प्रधानों को पॉवर्स हैं कि नहीं, सस्पेन्ड करने के पॉवर्स हैं कि नहीं; पर आज प्रधान ट्रान्सफर्स कर रहे हैं, सस्पेन्ड कर रहे हैं और इससे अध्यापकों में अनि–

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

श्चितता फैल गई है । अभी जब केबिनेट हमारे जिले में आई तो केबिनेट के सामने यह बात रखी । हम यह नहीं चाहते हैं कि अध्यापक गांवों को छोड़ कर शहरों में चले जांय; पर जैसा कि इसमें कहा गया है कि सर्विसेज़ का और पंचायतों का बड़ा कोऑपरेशन रहा है, यह ठीक नहीं है; कोऑपरेशन नहीं रहा है, सर्विसेज के दिलों में असंतोष बढ़ा है और अनिश्चितता फैली है, इन सर्विसेज़ की स्थिति को सुधारना है, प्राथमिक शालाओं के अध्यापकों की हालत को सुधारना है। माध्यमिक शालाओं के अध्यापक शहरों में रहते हैं, पर गांवों में रहने वाले अध्यापकों को आप ५० रुपया देते हैं, उनसे आप यह चाहते हैं कि वे हमारे बच्चों को ठीक तरह से पढ़ायें, हमारे बच्चों को ठीक करें ! आज जयपुर में रहने वाले बड़े बड़े मन्त्रीगण और बड़े बड़े ऑफिसर्स के बच्चे सेंट जेवियर्स में पढ़ते हैं, पर गांवों के बच्चों का आपको अनुभव नहीं है । इसी का परिणाम है कि हमारी पीढ़ी आगे बढ़ती जा रही है, सातवीं-आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों से मिलने का काम पड़ता है तो देखते हैं कि वे शुद्ध हिन्दी तक नहीं पढ़ सकते । पांचवीं छठी क्लासों के विद्यार्थियों के पाठयक्रम में जो पुस्तकें रखी गई हैं वे इतनी हैं कि उनको वे लड़के समझ नहीं सकते, इतने विषय रखे हैं....

श्री **रामचन्द्र** (हग-सु.): ये सारे विषय बहुत ज्यादा आवश्यक हैं ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : आवश्यक हैं पर उनको समझने पढ़ने की योग्यता उनमें पैदा की जाय । आज व्यवस्था ऐसी है कि इसको इन सब विषयों को पढ़ने-समझने लायक बना नहीं रही है । हाई स्कूलों के अध्यापकों को पूछेंगे तो वे कहेंगे कि हमारे पास बड़ा रफ मेटीरियल आ रहा है ।

आज हमने इस प्रकार की व्यवस्था कर दी है कि थर्ड डिविजन में यदि कोई विद्यार्थी मैट्रिक पास हुआ है तो वह आगे नहीं जा सकता । दुर्भाग्य से कोई विद्यार्थी असफल हो जाता है तो फैल होने वाला मानेगा कि मैं सौभाग्यशाली हूं क्योंकि वह एक साल और मेहनत करके सैकिन्ड डिविजन ला सकता है और थर्ड डिविज़न पास होगा तो अपने आपको दुर्भाग्यशाली समझेगा । इस पर हमें गम्भीरता से विचार करना चाहिये और शिक्षा पद्धति को ठीक तरह से चलाना चाहिये । इस समय मैं इस पर विशेष नहीं कहूँगा । बजट आयेगा तो मैं निवेदन करूंगा कि नीचे वालों का वेतन बढ़ाइये; इससे हमारी जनता का ज्यादा भला होगा ।

इसके बाद एक बात और कहूंगा, वह उद्योग और सिंचाई के सम्बन्ध में है । सिंचाई के सम्बन्ध में सरकार कहेगी कि राजस्थान केनाल का काम सुचारु रूप से चल रहा है; चलाए, पर लघु सिंचाई योजना थी उसको क्रियान्वित करने में सरकार कितनी जागरूक है, इस पर हमें ध्यानपूर्वक देखना होगा । सीकर, झुंझुनूं इलाके में डेढ़ साल पहले एक कमेटी बनाई थी कि वह इस चीज़ की सिफारिश करे कि लघु सिंचाई योजना को किस तरह क्रियान्वित किया जाय, पर आज तक उस कमेटी की कोई सिफारिश, कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई हैं ।

अभी कोटा के काश्तकार मिले थे; उन्होंने कहा कि चम्बल से पानी ला रहे हैं पर काश्तकार इस शंका में हैं कि हमारी

Page No.84

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)
जमीनों के लिये यह पानी उपयोगी होगा कि नहीं, सरकार जितना पानी वहां की जमीनों के लिये देना चाहती है उतना पानी वहां की जमीनें ले सकेंगी भी कि नहीं।

एक छोटी सी बात और कह देना चाहता हूं, पंचायत समितियों में तकावी दी जाती है, उसमें बड़ा झगड़ा पैदा होता है। कुओं के लिये काश्तकार तकावी लेते हैं। जो तकावी दी जाती है उसमें से अधिकतर तकावी पुराने कुओं की मरम्मत के लिये ली जाती है। तकावी कमेटी के मेम्बर यह जानते हुए भी कि इन रुपयों का दुरुपयोग होगा, पुराने कुओं की मरम्मत के नाम पर इन रुपयों का दुरुपयोग होगा, तकावी देते हैं, तकावी कमेटी का मेम्बर होने के नाते मैंने खुद ने भी दिये हैं।

बैलों के लिये तकावी दी जाती है तो अधिक लोग अपने पुराने कर्ज चुकाने के लिये या और कामों के लिये पैसा लेते हैं और वास्तव में बैलों की जोड़ी नहीं खरीदते और हम हमारा डाटा बना लेते हैं कि इतनी तकावी बैलों को खरीदने के लिये और नये कुएं बनवाने के लिये दी है, तो हमारा इतना उत्पादन बढ़ेगा। पर वास्तव में उत्पादन बढ़ता नहीं। इस तरह तकावी में मिले रुपयों को लोग और ही कामों में लगा देते हैं। आज पंचायतों को रुपया बांट दिया है, हर पंचायत को उसकी पोपुलेशन वाइज़ रुपया बांट दिया है, पर जिस पंचायत के इलाके में ज्यादा पैदाइश हो सकती थी वहां पोपुलेशन कम होने से रुपया नहीं मिला है, बाकी ऐसे क्षेत्रों में मिल गया है जहां पर आवश्यकता नहीं है, तो ठीक तरह से तकावी दे सकें इस तरह का प्रबन्ध होना चाहिये।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

अब मैं थोड़ा सा कुटीर उद्योगों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ। मन्त्री महोदय ने अभी उत्तर में बताया था कि खादी ग्रामोद्योग के लिये कमेटी बना रखी है, उसमें एक्सपर्ट लोग हैं, वह कमेटी खादी का काम करती है। मैं यह नहीं कहता कि खादी कोई बुरी चीज़ है, मैं मानता हूँ कि खादी एक अच्छी चीज़ है और महात्मा गांधी ने जिस उद्देश्य से खादी को शुरू किया था वह बुरा नहीं था, पर आज खादी के नाम पर जयपुर से सीकर जाने वाली सड़क पर देखिये लाख लाख रुपयों की बिल्डिंगें बन रही हैं। चोमू-गोविन्दगढ़ में आप खादी बिल्डिंगों की भरमार लगाइये, क्योंकि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा खर्च किये जाने वाले रुपये पर जांच करने का किसी को अधिकार नहीं। वे करते क्या हैं, लाखों रुपयों के बड़े बड़े भवन बना रहे हैं। खादी एक सादी चीज़, उस खादी का एम्पोरियम मिर्जा इस्माइल रोड पर देखें, जयपुर की सबसे बढ़िया दुकान, बढ़िया फर्नीचर; तो इस तरह खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का अधिकांश रुपया कर्मचारियों के वेतन में, भवनों के निर्माण में और रिबेट में खर्च हो जाता है। रिबेट दी जाती है, प्रति रुपया ६ आना रिबेट दी जाती है, ६ आना रिबेट दे देंगे पर खादी खरीदें।

सन्त विनोबा ने कहा है कि खादी ऐसी चीज़ हो गई है, जैसे मरे हुये के इन्जेक्शन देना। संत विनोबाजी ने राजस्थान में कहा कि इतिहास कहता है कि खादी उद्योग ने ऐसा कार्य किया है कि किसी मरे हुये आदमी को इन्जेक्शन देकर जिला दिया हो। इसी प्रकार हमारी केन्द्रीय सरकार खादी उद्योग को अनुदान-धन देकर इन्जेक्शन देकर मुर्दे में जान डालने का प्रयत्न कर रही है।

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

इसके सम्बन्ध में यदि हम ढोल पीटें और यह कहें कि खादी उद्योग में काफी उन्नति की है तो यह उचित नहीं है। इस अभिभाषण में यह कहा गया हैं कि खादी और हाथ कर्घा उद्योग में लगातार तरक्की हुई है। मैं इस बात को मानता हूँ कि किस ढंग से इसकी तरक्की हुई हैं और किस तरह से इसमें रुपयों का दुरूपयोग हुआ है ? मैं यह कहूँगा कि यदि हम पिछले बजट को उठा कर देखें तो आपको मालूम होगा कि कुटीर उद्योग के लिये बहुत कम प्रावधान रखा गया हैं। मैं समझता हूं कि सब से कम पैसा उसी के लिये रखा गया। मुझे याद नहीं मगर पिछले साल के बजट को उठा कर आप देखें तो आपको भलीभांति मालूम होगा कि पिछले साल में सबसे कम रकम कोटेज इन्डस्ट्री में रखी गई है। इन्डस्ट्रीज़ ऑफिसर है, कार्यालय है, मगर उनको पैसे नहीं मिलते। कई लोग रंगाई का काम करना चाहते है, कई सिलाई का और कोई कपड़े आदि का, मगर उनको रुपया कर्ज के रूप में नहीं दिया जाता हैं। कोई लोहे का काम करे। लोग काम करने के लिये तैयार हैं, मगर सरकार बजट में इसके लिये पैसा नहीं रखती जिससे लोगों को लोन मिले और लोग अपना काम कर सकें, मगर खादी बोर्ड के लिये रुपये रख सकती है। आप पैसा देते है मगर किसको देते हैं। एक ही आइटम है और जो लोग इसको चलाते है वे सारे के सारे कांग्रेस के सदस्य हैं, जैसा कि माननीय सदस्य श्री मुरलीधर व्यास ने कहा है। तो इसका मतलब कहने का यही है कि सारा का सारा पैसा उन्हीं के पास जाता है। मैं इस बात को मानता हूं कि खादी पहिनना चाहिये। खादी का विकास होना चाहिये और इसको प्रोत्साहन मिलना चाहिये; इस सम्बन्ध में मैं दो राय नहीं रखता। लेकिन जो पैसा कुटीर उद्योग के लिये है वह तो उधर जाना ही चाहिये।

भारत सरकार ने कहा कि हमने हमारा जो साइकिलों का टार्गेट था वह पूरा कर लिया और जितनी साइकिलें पांच वर्षों में बननी चाहिये थी बना पाये हैं। हमने सिलाई के समान में काफी टार्गेट पूरा किया हैं। मगर मैं यह कहूंगा कि आपने क्या किया ? ये सिलाई की मशीनो आदि के पुर्जों का काम जो भी हुआ है और छोटे छोटे उद्योग धन्धे पनपे हैं वे पंजाब में जो हमारा पड़ौसी प्रान्त हैं पनपे हैं। वहां पर छोटे उद्योग धंधे किसी रूप में पनप रहे हैं उसी तरह से यहां भी होने चाहिये। वहां पर लोग करप्शन के लिये शिकायतें करते हैं कि वहां पर करप्शन बहुत है, मगर मैं यह कहूंगा कि छोटे उद्योग धन्धों को पनपाने के लिये ज्यादा काम हो रहा है, राजस्थान में नहीं हो रहा है। आज भाकरा से बिजली भी यहां पर आने वाली है और लाखों रुपयों की बिल्डिंग बनाई जाती हैं और उनका उद्घाटन होता है। मुख्य मंत्री अभी कुछ दिन पहले भी उसका उद्घाटन करके आये और रामगढ़ भी देख आये। मैं यह कहूंगा कि खादी उद्योग को जरूर पनपाया जाए, मगर खादी के पीछे जो सेन्टीमेंट है उसको आप पनपा रहे हैं। मैं यह कहूंगा कि अगर इसमें धन देते हैं तो कोई भला नहीं करेंगे क्योंकि उनके वेतन आदि में ज्यादा खर्च हो जाता हैं और खादी में कम देते हैं। आप बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ उदयपुर, कोटा और सवाई माधोपुर के पीतल की फेक्ट्री की बात करते है, उनको सुविधा

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

आपने दी, यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन मै यह कहूंगा कि अगर आप छोटे उद्योग धन्धों को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको छोटे छोटे उद्योग धन्धे करनेवालों को मदद देनी होगी और आगे बढाना होगा। इसलिए मैं यही निवेदन करूंगा कि राजस्थान सरकार को चाहिये कि आगामी आनेवाले बजट में कुटीर उद्योग में ज्यादा धन-राशि रखे वरना काम नहीं हो हो सकता। यदि हमने ज्यादा धनराशि इसमें रखी तो हम ज्यादा सफल होंगे। बस इतना ही कहने के बाद मैं अपना आसन ग्रहण करता हूं।

श्री आबिदअली (सवाई माधोपुर) : सभापति महोदय, आज जो राज्यपाल महोदय के भाषण पर बहस चल रही है उस पर सिद्धान्तों की बातें होनी चाहिये थीं; जो बातें भाषण में कही गई और गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी पर हमारी बहस होनी चाहिये थी। लेकिन कुछ लोग भावना में बह कर या किसी और पोलिटिकल या इन्डिफरेन्ट व्यूज़ की वजह से कई केसेज़ सदन के सामने आये उसमें बहुत ही डिस्पेशोनेट थे और जिस पर शुरू से काफी जोर दिया जा रहा है वह केस भी हाउस के सामने रखा गया। वह था नाथद्वारा का, हलॉकि नाथद्वारा के केस का राज्यपाल महोदय के भाषण से कोई सम्बन्ध नहीं। लेकिन फिर भी डिस्पेशौनेट होकर जो व्यू था कमिशन का उसको इग्नोर करके कई फैक्ट्स जोश में आकर सदन के सामने रखे गये कि राजस्व मंत्री और मुख्य मंत्री को, यह सर्टिफिकेट देने में प्रिन्सिपल्स ऑफ जस्टिस और इक्विटी को इग्नोर किया गया है, हालॉकि जो रिपोर्ट हमारे सामने हैं क्लीअरली इन्डीकेट करती हैं कि जस्टिस पर ही उसका आधार नहीं है बल्कि नाथद्वारा इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट पेश कर दी है जो मीरेलिटी पर बेस करती है और इक्विटी पर। जैसा कि इसके पेज १ पर बताया गया है। किसी मामले का फैसला किया जाता है तो फेक्ट्स इन इश्यू होते हैं, उन पर किया जाता है। अगर फैक्ट्स को अच्छी तरह से कन्सीडर नहीं किया जाता है तो तमाम मामला हौच पोच हो जाता है; तो इसमें फैक्ट्स कमिशन ने निकाले है जो आईटम न० ४ पर हैं। इसमें "if any part or portion of the valuables has been concealed or kept back, then by whom and who is responsible for such a happening' " तो अब यह रेस्पोन्सिबिलिटी डालना कहाँ तक उचित है ? जब रेस्पोन्सिबिलिटी डालने का प्रश्न पैदा हुआ उस समय आपको प्रोसीजर के मातहत एविडेन्स एक्यूमुलेट करके डौक्युमेंट पेश करने चाहिये थे जो आप उस समय कर सकते थे। और उनके आधार पर ही कमिशन का निर्णय होना चाहिये। इस इन्क्वायरीमें ४५ गवाहान पेश हुए जैसा कि इस रिपोर्ट से जाहिर होता है। यदि कोई बात चीफ मिनिस्टर और रेवेन्यू मिनिस्टर पर होती तो आपको उस समय पेश करनी चाहिये थी और यह भी कहना चाहिये था और पॉइन्ट आउट करना चाहिये था कि यहां गवाह को........किया जाता है जो राजस्व मंत्री व चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कह रहे हैं, अगर ऐसी बात होती तो यह बात मानते कि यह सर्टिफिकेट चीफ मिनिस्टर या रेवेन्यू मिनिस्टर को मिल गया, कहना उचित हो सकता था। मगर ऐसा न होते हुए भी ऐसा कहना, इससे एक अनपढ़ आदमी भावना में बह सकता है मगर जहां पर कानून बनाये जाते है उस सदन में आकर इस प्रकार

Page No.87

(श्री आबिदअली)

कहना उचित नहीं है। इसलिये मैं हाउस से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर चीफ मिनिस्टर और रेवेन्यू मिनिस्टर को इस लेवल पर पॉइन्ट आउट किया जाता है तो नहीं किया जा सकता। हमारी इन्टीग्रिटी डिमान्ड करती है कि जिस समय विटनैस हो रही थी उस समय यह पॉइन्ट आउट किया जाना चाहिये था तो इनफरेन्स निकाला जा सकता था। इसी तरह से इसमें २३६ डोक्युमेंट्स पेश हुए हैं। उनमें भी कोई ऐसा इन्फरेन्स नहीं निकलता है कि राजस्व मंत्री या चीफ मिनिस्टर नैगलीजेन्ट थे, ऐसी बात भी हमारे सामने नहीं आई।

मैं आपको बताऊं, जैसा मैंने आपको निवेदन किया कि कमिशन ने हमेशा प्रोसीजर और एविडेन्सेज़ का पूरा पूरा ध्यान रखा और उन्होंने मौका दिया। जो यहां सेट प्रिन्सिपल्स ऑफ एक्ट, ११४ में, हैं, उनके अनुसार इन्फरेन्स ड्रॉ नहीं करना है बल्कि हमें देखना है कि वास्तव में क्या एविडेन्स आते हैं।

इसके रेफरेन्सेज अगर मैं पढ़ कर सुनाऊंगा तो ज्यादा समय लगेगा। जगह जगह रिपोर्ट में मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर एक दो जगह बता दूं। उनको बहुत अच्छे शब्दों में कमीशन ने रखा है। पेज ३ के इस रिपोर्ट में कहा गया है कि :-

"A brief review of these relevant provisions shows that the Commission does not act as a court for all purposes; but it enjoys the powers of a civil court only in respect of matters specified in the varions provisions of the Act. The above provisions give an idea of the scope and ambit of the powers which a Commission functioning under the Act is entitled to exercise. It is clear that the proceeding before the Commission is not in the nature of a civil or criminal proceeding. So far as the enquiry is concerned, there are no parties to the proceeding. In a civil suit there is the plaintiff and the defendant. while in a criminal case there is the complainant and the accused. The court in the former case dismisses the suit or decrees the same, while in the latter the court has to adjudge whether the accused is guilty or innocent. In an inquiry of this nature the Commission has to elicit facts and ascertain the truth in respect of the subject matter of investigation. It is in the nature of a fact finding body, or which is not necessarily bound by any rules of procedure or even by the technicalities of the rules of evidence."

कमीशन ने इन्क्वायरी होल्ड की। जो एविडेन्सेज़ और डॉकुमेन्ट्स कमीशन के सामने प्रस्तुत की गईं उनको देखा-भला, फिर उसके बाद कोई रीज़न बाकी नहीं रहता है। जो डॉकुमेन्टस पेश किये गये थे वे रिलेवेन्ट थे और उसका रेफरेन्स किसी केबिनेट, रेवेन्यू मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर से हो सकता था तो कोई बात हो सकती थी। जो आरोप हाउस में लगाये गये थे, मुझे निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उनका रेफरेन्स किसी प्रकार से इन्क्वायरी में नहीं था। मैं यह मानता हूं और पहले ही मैं कह चुका हूं कि गवर्नर की स्पीच से नाथद्वारा कमीशन की रिपोर्ट की कोई रिलेवेंसी नहीं है और

(श्री आबिदअली)

दर असल पॉलिसी मेटर को ही डिस्कस करना है, लेकिन चूंकि यह प्रश्न उठाया गया और श्रीमाधोपुर से आये माननीय सदस्य ने अपने भाषण के दौरान में इस मुद्दे को उठाया था, इसलिये मैंने, एक लीगल प्रेक्टिशनर के नाते से भी एक मोरल चीज़ होनी चाहिये उसको मैंने यहां आपके सामने रखा है। यहां यह आरोप लगाया गया और यह बताया गया था कि गवर्नमेन्ट डाइरेक्टली इसमें इन्वोल्व्ड है। देखना यह है कि ओपोज़िशन की तरफ से जो यहां आरोप आये और क्या एटीट्यूड इस सम्बन्ध की इन्क्वायरी कराने में रहा तो उसका इस इन्क्वायरी रिपोर्ट में हवाला है। जैसा कि पेज ७ और ८ में दिया गया है, सभापति महोदय, इसमें खास इम्पोर्टेन्ट बात है चूंकि श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने ये तमाम बातें हाउस को बतायी हैं तो मैं आपके जरिये हाउस को बताना चाहूंगा कि इन्क्वायरी कमीशन की जो रिपोर्ट है उस सम्बन्ध में स्पष्ट हवाला है। इसमें अलग चेप्टर रखा है "इन्टरवीनस"

"After the investigation had proceeded and several witnesses had been examined, there appeared on the scene on 5th May, 1959, certain persons, who for the sake of cconvenience, have preferred to be described as intevenors in the proceedings. These persons are Shri Satish Chandra Agarwal and Shri Bhairon Singh. Both these gentlemen are members of the Rajasthan Legislative Assembly. It was claimed that at the instance of these gentlemen. who took part in the Legislative Assembly debates on a motion of non confidence in the Ministry, the Commission of Inquiry was set up, and, therefore, it was prayed that they may be associated with the conduct of the proceedings and participate in the same. The Commission allowed this prayer? But apart from putting questions to the witnessess and assisting the Commission in that respect the intervenors did not produce any evidence on their behalf or examine themselves in support of the points under investigation. The learned Advocate General has commented that although in the Legislative Assembly debates Shri Satish Chandra Agrawal made a tall claim that the valuables foun in the Gobhanaghar room were worth about 50 crores of rupees, which information he is alleged to have gathered from the jewellers of Jaipur, when the valuables came to be sold in the market, yet neither Shri Satish Chandra Agrawal has examined himself nor has he cared to secure the attendance of any of these jewellers in the witness box."

अब निवेदन करने का मतलब यह था फेयर ओपोर्चुनिटी नहीं है, चाहे लीगल ओपोर्चुनिटी मिलती या नहीं, यहां जिन लोगों ने आपत्ति हाउस में उठायी उनको कमीशन ने पूरा मौका दिया एविडेन्सेज़ देने का, और जो भी डॉक्युमेन्ट्स हों उनके पास वे आकर उनको प्रस्तुत करें। इस कमीशन की रिपोर्ट से यह साफ जाहिर है कि नएविडेन्सेज किस प्रकार से पेश की गई और न डॉक्युमेन्ट्स रेफर किये गये। इस हालत में कमीशन के

(श्री आबिदअली)

सामने जितना भी मेटिरियल था उसी बेसिस पर उसने अपना कन्क्ल्यूजन ड्रॉ किया। जो कोई रेस्पोन्सिबिलिटी मिनिस्टर पर आती है तो वह कोई डाइरेक्ट नहीं आती है। कानून यह कहता है कि सर्कम्स्टान्सेज से हम देखेंगे। यहां सर्कम्स्टान्सेज इतने मुकाम पर हैं कि कोई इन्फरेन्स नहीं निकल सकता that the Chief Minister was directly responsible through his negligence. कानून की दृष्टि से समझ सकते हैं कि इस हालत में किस प्रकार से चीफ मिनिस्टर, रेवेन्यू मिनिस्टर इस सम्बन्ध में रेस्पोन्सिबल हैं। हाईकोर्ट के जितने रूलिंग्स हैं, सरकमस्टन्शियल एविडेन्सेज़ में कोई भी, एक भी खामी है तो वह मुद्दा और आपत्ति नहीं ठहरती है। यह वेल सेटल्ड एविडेन्स है।

अब यह देखना है कि कमीशन जिस नतीजे पर पहुँचा है वह किस आधार पर पहुँचा है। इसलिए नाथद्वारा कमीशन पूरे बैक ग्राउन्ड को लेकर सामने आया और चीफ मिनिस्टर और रेवेन्यू मिनिस्टर के ऊपर जितने एलीगेशन्स नाथद्वारा के सम्बन्ध में लगाये थे उनको भी कमीशन ने डॉकुमेन्ट्स में रखा। यह भी बताया गया कि चीफ मिनिस्टर, जब वे चीफ मिनिस्टर नहीं थे और केवल सुखाड़ियाजी थे वे इस सम्बन्ध में पहले किस हद तक इन्ट्रेस्टेड थे। डॉकुमेन्ट्स से यह साफ हो गया है कि इससे सुखाड़ियाजी का कोई ताल्लुक नहीं था। जितने टेलीग्राम्स, चिट्ठियां बताई गई और नरेन्द्रपालसिंह जिनको इम्पोर्टेन्ट डॉकुमेन्ट्स बताता था उनको भी एविडेन्स में रखा गया। वे ही सुखाड़ियाजी, जो आज चीफ मिनिस्टर हैं, उस समय केवल यह चाहते थे कि नाथद्वारा की जो प्रजा है, यह कमीशन की रिपोर्ट में भी 'प्रजा' शब्द आया है, किसी तरह से सेटिस्फाइड हो और टेम्पल का मैनेजमेंट ठीक तरह से हो।

रिमूवल का जहां तक सम्बन्ध है सन् ५४ से और पहले जब कि हीरालालजी शास्त्री चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त के तमाम मिनिस्टर के मिनिट्स इसमें मेन्शन किये गये हैं। उन मिनिट्स और डॉकुमेन्ट्स को देखने के बाद डाइरेक्टली या इन्डाइरेक्टली, डाइरेक्टली भी रेस्पोन्सिबिलिटी किसी मिनिस्टर पर नहीं आती है। जिस प्रकार से इन बातों को हाउस में लाने की चेष्टा की है और आपत्तियां और आरोप उठाने की चेष्टा की है तो दर हकीकत भावना में नहीं बहना चाहिये। मैं अब अधिक समय नहीं लेना चाहता क्योंकि दूसरे माननीय सदस्य भी बोलने वाले हैं। इसमें यही इम्पोर्टेन्ट बात है कि तमाम कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ियेगा, आपको अन्दाज होगा कि कमीशन रियल फैक्ट्स प्रकाश में लाने के लिए कितना उत्सुक था? खुद चीफ मिनिस्टर या रेवेन्यू मिनिस्टर के स्टेटमेन्ट्स क्लीयरली इन्डीकेट करते हैं और एवीडेन्सेज प्रोड्यूस किये हैं कि ज्यों ही उनको इसकी जानकारी हुई उन्होंने फौरन एक्शन लिया।

श्री शिवचरणदास (मांडल) : On a point of order, Sir, माननीय सदस्य क्या राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोल रहे हैं या ट्रेज़री बेन्चेज़ की ओर से जवाब दे रहे हैं या उनके भाषण पर बोल रहे हैं।

श्री सभापति (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल) : He is dealing with the report; with certain allegations levelled with regard to the Nathdwara report. Yes, carry on.

श्री आबिदअली : यह मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि चूंकि यह बात हाउस में आ चुकी है इसलिये मैं भी अपने विचार रख रहा हूं।

तो इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी मिनिट्स कमीशन के सामने पेश किये गये हैं उन सब से यह इन्फरेन्स निकलता है कि the Government was very vigilent and the Revenue Minister was very vigilent. When the information was delivered to him or when he came to know of the actual situation, he immediately acted.

उनको ज्योंही इन्फोर्मेशन आयी है उसके तुरन्त बाद ही फौरन स्टेप लिया है। उसके ऊपर जो ऑफिसर नियुक्त किया गया था उसकी नैगलिजेन्स की वजह से या ओवर एक्शन की वजह से किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होती है, उसकी रेस्पोन्सिबिलिटी कन्सर्निंग मिनिस्टर पर कैसे दी जा सकती है। मान लीजिये आज मेरा सबोर्डिनेट कलर्क जो मेरे चेम्बर के अन्दर काम करता है वह किसी प्रकार का मिस एप्रोप्रियेशन करता है तावक्ते कि मेरा उससे किसी प्रकार का सम्बन्ध स्थापित न हो जाय मेरी उसमें क्या जिम्मेदारी आती है? इसलिये हमें तमाम इस प्रकार के रिएक्शन्स हैं उन सब को नहीं देखना है। इन्क्वायरी कमेटी के जितने भी डॉक्यूमेन्ट्स हैं, विटनेसेज़ हैं उन तमाम को देखने के बाद ही हमें किसी निर्णय पर पहुँचना चाहिये। इतना ही निवेदन कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

(४. २ म० प०)

श्री शंकरलाल (रायपुर) : माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसका मैं भी समर्थन करना चाहता हूँ किन्तु पूर्ण उत्साह और पूर्ण हृदय के साथ नहीं....

एक माननीय सदस्य : तो फिर जाने ही दीजिये।

श्री शंकरलाल : कारण यह है कि भाषण को जहां तक मैं समझ पाया हूं, राज्यपाल के अभिभाषण में राज्य का प्रत्येक लेखा जोखा होना चाहिये, उसका प्रतिबिम्ब होना चाहिये, वहां केवल विकास योजनाओं को ही बात इस अभिभाषण में कही गई है। राज्यपाल महोदय का अभिभाषण पढ़ने के बाद मुझे ऐसा महसूस होता है इसमें केवल एक विकास योजना को ही डिस्कस किया गया है। सभापति महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि किसी राज्य का विकास केवल विकास योजनाओं के जरिये नहीं माना जा सकता, इसी पर केवल निर्भर नहीं करता, केवल भौतिक विकास की योजनाओं के जरिये किसी राज्य की उन्नति नहीं हो सकती। मैं यह नहीं कहता कि हमें भौतिक विकास की ओर ध्यान नहीं देना चाहिये लेकिन उसके साथ साथ हमें जन-मानस के नैतिक चरित्र के विकास की ओर भी ध्यान देना चाहिये। हमें इस नज़र से इस भाषण को देखना चाहिये कि इस राज्य की जनता का नैतिक स्तर बढ़ाने की ओर हम कितने सफलीभूत हुए हैं, हमने इस ओर

(श्री शंकरलाल)

कितनी प्रगति की है, उसका राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में किसी प्रकार का संकेत नहीं है इसीलिये मैंने कहा कि मैं इस भाषण का पूर्ण उत्साह के साथ समर्थन नहीं करता हाफ हार्टडली धन्यवाद की बात कही है।

सभापति महोदय, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का चतुर्थ वर्ष समाप्त होने जा रहा है और तृतीय पंचवर्षीय योजना के चालू होने में एक साल का समय बाकी है। इस सम्बन्ध में मैं कांग्रेस हाई कमान्ड की योजना, उप-समिति बनी थी, उसने जो योजना की रूप-रेखा स्वीकृत की है उसके अनुसार उन्होंने कहा है कि देश का भौतिक विकास न होकर नैतिक चारित्रिक विकास की ओर अग्रसर होना चाहिये। हमारे देश की संस्कृति है, उसके लिये केवल हमें दूसरे देशों की होड़ को सामने रखकर नहीं चलना चाहिये। मैं देश के वैज्ञानिक विकास का विरोध नहीं करता, अमेरिकन और रशियन विकास से उत्पादन की वृद्धि होती है तो उसे हमें लेना चाहिये। लेकिन इसके साथ साथ हमारे देश को संस्कृति है जिस देश का 'सत्यमेव् जयते' ध्येय है, उद्देश्य है, उसकी ओर भी हमें ध्यान रखना चाहिये। इस तरफ राज्यपाल महोदय के भाषण में किसी प्रकार का संकेत नहीं मिलता है। मेरा राजस्थान सरकार से निवेदन है कि आयन्दा बनने वाली तृतीय पंच वर्षीय योजना में तो इस तरफ अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिये।

सभापति महोदय, इस भाषण में जहां तक विकास की बातों का जिक्र किया गया है उसमें भी मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। अपने संविधान के आर्टिकल ३६ के अन्दर डायरेक्टिव पोलीसीज़ स्टेट के लिये बतायी गई हैं, उसके अन्तर्गत जिन बातों का जिक्र किया गया है उनको दृष्टिगत रखते हुए राज्यपाल महोदय को उसके अनुसार अपने लेखे–जोखे को मिलान करना चाहिये। संविधान का आर्टिकल ३६ है वह कहता है, स्टेट की डायरेक्टिव पॉलिसी के अन्तर्गत हमें इस तरफ भी बढ़ना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि ओनरशिप ऑफ मेटीरियल रिसोर्सेज़ इस प्रकार बंटा हो कि जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो।

तीसरी आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिससे धन और उत्पादन एक ही व्यक्ति के पास कन्सेट्रन्ट न हो जाय कुछ एक आदमियों के हाथ में ही वेल्थ न चली जाय। ये तीन बातें संविधान के अन्तर्गत कही गई हैं। इस प्रकार की पॉलिसी को दृष्टिगत रखते हुए राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को देखते हैं तो हमें लगता है, हमारे राज्य में जो विकास का कार्य हुआ है उसको देखते हैं तो पता चलता है कि राजस्थान का भौतिक विकास भी अधूरा ही नजर आता है। कारण इसका यह कि आज हम राजस्थान के गांवों को ही क्या, शहरों में हम देखते हैं पटरियों पर लोगों की कतार की कतार पड़ी रहती है, भिखमंगों की टोली की टोली हमें शहरों में देखने को नजर आती है। उनको देखकर ऐसा महसूस होता है कि बड़ी बड़ी योजनायें जैसे; राजस्थान नहर, भाखरा नहर आदि बनती है उनसे फायदा कैसे हो सकता है? आज एक तरफ तो हमारे देश के स्वतंत्र नागरिक पटरी पर रातें बिताते हैं, भीख मांग कर अपना भरण पोषण करते हैं। उनके लिये हमारी सरकार क्या कर रही

Page No.92

(श्री शंकरलाल)

है ? यह हमें राज्यपाल महोदय के भाषण में कुछ दिखाई नहीं देता। आज जयपुर शहर के अन्दर भी ऐसी बस्तियां हैं जहां ऐसे लोग पड़े हुए हैं वहां से बड़े पूंजीपति निकलते हैं, उनको भी पटरियों पर पड़े हुए लोग दिखाई देते हैं, बड़ी बड़ी योजनाओं के साथ साथ हमें जन-मानस के स्तर पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें इन पटरियों पर रात बिताने वालों की ओर भिखमंगों की समस्या को हल करना चाहिये। हम जब तक भिख मंगापन नहीं मिटायेंगे, इस भिक्षावृत्ति को बंद नहीं कर पायेंगे तब तक हम स्वतंत्रता का सही मायने में जन मानस को फायदा नहीं बता सकते। इस प्रकार के कार्य के लिये राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, बेरोजगारी को हटाने और इस प्रकार की भिक्षावृत्ति को बंद करने के बारे में कोई भी सुझाव नहीं है। इस प्रकार से योजना का कोई भी रूप रहता है तो वह एक तरह से अधूरा ही है।

दूसरी बात जो इस अभिभाषण में बहुत जोर से कही गई है वह है लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के बारे में। यह ठीक है कि हमारे यहां के विकेन्द्रीकरण की भारतवर्ष के बड़े बड़े महापुरुषों ने प्रशंसा की है। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के बारे में संविधान की धारा ४० में बताया गया है कि हम अपने राज्य को पंचायत राज्य की तरफ अग्रसर करेंगे, सेल्फ गवर्नमेंट युनिट्स बनायेंगे। इस तरफ राजस्थान सरकार ने कदम उठाया है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, जिस प्रकार की लोकतान्त्रिक प्रणाली हम अपनाने जा रहे हैं उससे हमें अनुभव हुआ है और ऐसा लगता है कि इसमें काफी खामियां हैं, इस ओर भी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कोई संकेत नहीं है।

राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में बताया है कि जनता के नुमायन्दे और राज्य कर्मचारियों के बीच जो संबन्ध पैदा हुए हैं वे इन संस्थाओं के उज्ज्वल भविष्य के सूचक है। मैं राज्यपाल महोदय के भाषण की इन पंक्तियों से बिल्कुल भी इत्तफाक नहीं करता। मुझे इस बारे में केवल अपने क्षेत्र का ही नहीं पंचायत समिति के सदस्यों से और इस प्रकार की एक-कदो सिमीनार में भी मैंने भाग लिया है और इन पंचायतों के मुखियाओं से भी मुझे मिलने का मौका मिला है और उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि सरकारी कर्मचारियों का गैर सरकारी कर्मचारियों के साथ समन्वय नहीं हो पाया है। गैर सरकारी और सरकारी आदमियों में सामन्जस्य नहीं और सहयोग की भावना भी नहीं है। आज जहां जहां भी पंचायतें बनाई गई हैं वहां सरकारी और गैर सरकारी आदमियों में मनमुटाव चलता है। इसी वजह से काम में रोड़े पड़ते हैं। इसी संबन्ध में कुरुक्षेत्र और ग्राम सेवक अखबार निकलता है जिसमें मुकर्जी और एस० के० डे आदि के व्याख्यान हैं। उनके भाषण से भी आभास मिलता है कि सरकारी और गैर सरकारी मशीनरी में ताल-मेल नहीं होने से यह योजना आगे बढ़ने वाली नहीं है। एक तरफ सरकारी आदमी ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हमारे कुछ नये आदमी मालिक बन बैठे हैं, उनकी मातहती में काम कैसे करें और गैर सरकारी आदमी यह समझ बैठे कि चलो हम भी अफसर बन गये हैं; हम भी सस्पेन्ड कर सकते हैं और बर्खास्त कर सकते हैं, हम

(श्री शंकरलाल)

भी डवेलपमेन्ट अफसर के खिलाफ रिपोर्ट लिख सकते हैं, उसे सस्पेन्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से प्लान के सफलतापूर्वक संचालन में यह सबसे बड़ा रोड़ा बन कर रह गया है। तो मेरे कहने का आशय यह है कि दोनों तरफ यह भावना है और इसको दूर करने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। इस लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के इन चार महीनों में हमें अनुभव हुआ है और जो शिकायतें मिली हैं उनसे मन्त्री महोदय और मुख्य मन्त्री महोदय भी जान गये होंगे कि वहां सरकारी और गैर सरकारी मशीनरी में सहयोग की भावना नहीं है और इसके लिये कोई न कोई कदम अवश्य उठाना पड़ेगा।

पंचायतों का यह परीक्षण बहुत उत्तम है इसमें कोई दो राय नहीं। पर इस तरह की परिस्थिति में जो हमें करना चाहिये उससे पीछे भी नहीं हटना चाहिये इसमें भी हमें शंका नहीं करनी चाहिये। पंचायत के कानून और नियमों में जो प्रावधान और शक्ति राज्य सरकार को दी है ऐसी परिस्थिति में उनका कड़ाई से पालन हो और उसके अनुसार सख्त कदम उठाये जायं इसमें भी दो राय नहीं होनी चाहिये।

सभापति महोदय, मैं उदाहरण दूँ। कुछ जगह पंचों और सरपंचों ने गुटबन्दी में पड़ कर कुछ बड़ी गलतियां कीं। इन गलतियों को तुरन्त रोका जाना जरूरी है। पर अगर उन पर, कई कई महीने ध्यान में आने के बाद भी सरकार कार्यवाही नहीं करती है, तो यह अनुचित है। यह नहीं कहना चाहिये कि पंचों और सरपंचों को हमने खुली छूट दे रक्खी है। जा-बेजा कुछ भी करने देना उचित नहीं है। कानून के अनुसार काम करने की उनको पूरी छूट दें पर जहां गलतियां करें, घोटाले करें, गुटबन्दी में पड़ कर किसी आदमी को नीचा दिखाने और उसका नुकसान करने की कोशिश करें तो ऐसे वक्त तुरन्त सख्त से सख्त कदम सरकार को उठाने चाहिये।

(४.१२ म. प.)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मैं यह भी इस सिलसिले में निवेदन कर दूँ कि इस माने में पंचायत विभाग शिथिल है। बहुत सी फाइलें उसने दबा रक्खी हैं। निकलता नहीं। अगर यही हालत रही और नियमों में दिये अधिकारों को भी ऐसे जरूरी मौकों पर प्रयोग नहीं लावेंगे तो यह पंचायत राज्य का मामला अवश्य खतरे में पड़ेगा।

इसके अलावा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के भाषण में सामाजिक क्रान्ति के बारे में कोई संकेत नहीं है। इससे ऐसा लगता है, इसको सरकार कम महसूस करती है। जैसे आपने मोसर का कानून बनाया। ठीक है। फिजूल खर्ची बन्द हुई। पर उपाध्यक्ष महोदय, हम आज भी देखते हैं कि हमारे यहां गांवों तक में उत्सवों में लाखों रुपया फिजूल खर्ची में खर्च कर देते हैं। मन्दिरों की प्रतिष्ठाओं में पचासप-चास हजार और एक दो लाख रुपया तक खर्च कर दिया जाता है। शादियों में हजारों खर्च कर दिया जाता है और दूसरी तरफ लोगों को व्यवसाय नहीं मिलता, बेकार फिरते हैं। चूड़े की प्रथा है। काफी फिजूल खर्ची इसमें भी होती है। तो सामाजिक क्रान्ति की तरफ ठीक है; आपने मोसर को रोकने के रूप में एक कदम उठाया, पर यह भी संतोषजनक नहीं है। जितना होना चाहिए उतना चैक नहीं हुआ।

तो उपाध्यक्ष महोदय, साथ ही समाज में

(श्री शंकरलाल)

जो शोषण चलता है उसको रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये ? ठीक है कि सरकार विकास का काम करती है ; उत्पादन होता है, रोजी भी मिलती है लोगों को। पर इसमें भी शोषण को रोकने के लिये सरकार ने क्या किया। ये रिक्शा चालक जो चार चार सौ या साढ़े चार सौ का रिक्शा होता है उसको दो ढाई रुपया प्रतिदिन देना पड़ता है जब कि चार सौ साढ़े चार सौ का व्याज चार आठ आने से ज्यादा नहीं होता है। किसी किसी को ढाई और तीन तीन रुपया रोज देना पड़ता है। इस तरह से मेहनत से कमाई गई। रिक्शा चालक की गाढ़ी कमाई रिक्शा मालिक की जेब में जाती है। तो क्यों नहीं सरकार इनका यह शोषण रोकने के लिये कोई कानून बनाती है कि रिक्शा मालिक उनसे ज्यादा पैसा नहीं ले सकते।

श्री उपाध्यक्ष : On the contrary, this, Riksha, is being discouraged.

श्री शंकरलाल : अगर रिक्शा डिस्करेज होता है तो ठीक है। सालों से इस तरह की बातें सुन रहे हैं। पर रिक्शा डिस्करेज होने के स्थान पर आज बढ़ा ही है और दिन दिन बढ़ ही रहा है। तो इनका शोषण करने वाले मालिकों को जरूर रोका जाना चाहिये।

इसके अलावा इन्डस्ट्रियल इन्डस्ट्री की जहां बात कही गई है, इन्डस्ट्रियल एस्टेट की जहां बात है मैं, उपाध्यक्ष महोदय, उस बारे में भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि वहां भी क्या स्थिति है। जनलेखा समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इन्डस्ट्रियल एस्टेट के लिए जहां ८ लाख की जरूरत थी वहां ४० लाख कूता गया। इससे मालूम पड़ता है, सरकार की योजनाएं किस तरह बनती हैं।

लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों के लिये खास योजना सरकार ने नहीं बनाई। तो जितना कहते हैं, योजनाएं उतनी हैं नहीं।

मैं और निवेदन करूं। कृषि के मामले में ट्रैक्टर खरीदे गये। भारत सरकार से ३ लाख के ट्रैक्टर खरीदे। इसमें भारत सरकार पहले पूछती रही कि राजस्थान सरकार किस प्रकार के ट्रैक्टर चाहती है। तीन साल तक यह सरकार नहीं बता पाई कि उसको किस प्रकार के ट्रैक्टर चाहिये और आखिर में जब भारत सरकार ने जैसे दिये वैसे लेने पड़े और बाद में मालूम पड़ा कि ये यहां कृषि के योग्य नहीं हैं। तो इस प्रकार से जो खर्चा होता है इससे मालूम पड़ता है कि कृषि में और उद्योगों में कोई योजनाबद्ध काम सरकार का नहीं हो रहा है।

बताया गया कि टार्गेट से ज्यादा अन्न पैदा करते हैं। बाजार में हम देखते हैं तो इस ज्यादा अन्न पैदा करने का हमें कोई आभास नहीं मिलता। बाजार में तो वे के वे भाव दीख पड़ते हैं। फिर एक साधारण आदमी को कैसे मालूम पड़े कि आपका अन्न ज्यादा पैदा हुआ है। उसे तो तभी मालूम हो सकता है जब वह बाजार में सस्ते और अच्छे गेहूं को प्राप्त कर सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अपने संविधान में जो डाइरेक्टिव पॉलिसी बताई गई है उसके लिये राज्य सरकार का फर्ज है कि राज्य में रहने वालों के लिये अच्छे न्यूट्रीशन दे आर्टिकल ४७ है : "Raising level of nutrition and standard of living of people and health is primary duty of State" पर आज भी हमारे यहां खाद्यान्नों में मिलावट मिलती है। आज प्योर घी नहीं मिलता, प्योर दूध उपलब्ध नहीं होता।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, I would like to point out, that this debate over the address of the Governor is meant only to deal with policies of the administration, whereas we are bringing up points which could be better dealt at the time of Budget. I think if we refrain from this issue, we shall be saving valuable time of the House.

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, जो स्टेट की पॉलिसी विधान में निर्धारित है उसी का मैं जिक्र करते हुए कह रहा था।

श्री उपाध्यक्ष : I am sure you shall have to repeat the same points at the time of Budget. That will be the position.

श्री शंकरलाल : केवल मेरे कहने का तात्पर्य है कि जो कर्त्तव्य है राज्य का वह हम उस नीति के अनुसार जो संविधान में है पूरा करते हैं या नहीं।

इन सारी बातों का जिक्र करते हुए मैंने निवेदन किया था कि जिन बातों का अभाव राज्यपाल महोदय के भाषण में रहा उनकी तरफ भी क्या सरकार का ध्यान है या नहीं? मैं मानता हूँ बहुत सी दिशाओं में राज्य में प्रगति हुई है, हम विकास के मामलों में आगे बढ़े हैं पर वास्तविकता यह भी है कि जो वास्तविक प्रगति हमें करनी चाहिये थी उसमें अवश्य खामियां रही हैं।

इस सम्बन्ध में और निवेदन करूं। हमारी लैंड रिफार्म्स की पॉलिसी है उसमें भारत सरकार के प्लानिंग कमीशन ने ५३ में और बाद में ५५ में बताया कि लैंड कमीशन मुकर्रर होना चाहिये। उसके बाद में सन् ५६ में राजस्थान में लैण्ड कमीशन नियुक्त हुआ, लेकिन उसकी रिपोर्ट सन् ५६ में आती है। तीन साल के बाद उसकी रिपोर्ट आती है और उस लैण्ड रिफार्म्स कमीशन केवल तीन बैठकें होती हैं और सन् ५६ में नियुक्त होता है और अपनी रिपोर्ट सन् ५६ में तीन साल बाद देता है और उसकी केवल ३ ही बैठकें होती हैं और उस पर चर्चा न तो कभी सदन में हुई है और न उसके अनुसार कार्यवाही ही हुई है। वैसे सीलिंग के मामले में हमारा राजस्थान भारत के और राज्यों से आगे बढ़ा हुआ है। बल्कि कई राज्यों ने तो अभी तक कानून ही नहीं बनाया है। लेकिन लैण्ड रिफार्म्स में जैसी प्रगति होनी चाहिए उसमें शिथिलता जरूर है। वह इसलिए है कि हमारे आज लैण्ड रिफार्म्स की दिशा में जो पॉलिसी है उसमें जैसी प्रगति होनी चाहिए वह नहीं हो रही है। लैण्ड रिफार्म्स जो कि प्राईमरी चीज़ है अगर वह नहीं होती है तो दूसरे विकास के कार्यों में रुकावट आती है। आज हमारी गौचर की समस्या है। अभी रेवेन्यू विभाग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ ऐसी समस्या आई थी कि चराई की और गौचर की कमेटी बनाई जाये। लेकिन राजस्थान में अभी गौचर भूमि की समस्या नहीं सुलझी है। जो भी कानून बनते हैं, यह भी मैं आपको बताऊं नियमों का पालन नहीं हो ता है। जो रिलीफ डैट एक्ट बना और शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से पैरवी करने की सुविधा का जो नियम बनाया हुआ है उसका पालन न तो विभाग ही करता है और न उसका पूरी तरह से इम्पलीमेन्टेशन होता है। इसी वजह से जो पूरी सुविधायें उनको मिलनी चाहिए वह नहीं मिलती हैं। क्योंकि लोकतंत्र में कानूनों के जरिये जनता को एक चीज देना चाहते हैं। समाज

(श्री शंकरलाल)

कल्याण का मैं आपको बताऊं कि राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में केवल इतना सा संकेत किया कि इस तरफ भी बहुत प्रगति की है । लेकिन समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने जिला परिषद् के सामने यह मंजूर किया कि जो अनुदान देने के नियम हैं वह अभी तक जनता के सामने प्रकाशित नहीं हुए हैं । आज समाज कल्याण के ऊपर लाखों रुपया खर्च किया जाता है और वह लोगों की जानकारी में नहीं है कि रुपया कैसे लिया जाये । तो यह पॉलिसी है कि केवल रुपया अनुदान का दे दें और सरकारी मशीनरी ही उसको खर्च करे और लोगों को स्कीमों के बारे में भी न मालूम पड़े तो यह कहां तक चलने वाली बात है । लेकिन सारा रुपया उधर ही खर्च कर दें और उसका कोई उपयोग नहीं होता । तो मैं समझता हूं कि जो भी समाज कल्याण की नीति है और अनुसूचित जाति को फायदा देने की वह अधूरी रह जाती है और उसका उपयोग नहीं होता । यह स्वयं उन्होंने स्वीकार किया है कि उनके नियम प्रकाशित नहीं हुए हैं कि कैसे उनसे फायदा उठा सकते हैं । तो उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपको यही निवेदन किया । इसके अलावा जो सरकार की अलग अलग कन्सल्टेटिव कमेटीज़ बनी हुई हैं उनके लिए एक बार इस तरह का गवर्नमेंट की तरफ से सरक्यूलर निकला था और उन्होंने सभी एम० एल० एज० से पूछा था कि तुम कौनसी कमेटी के मेम्बर बनना चाहते हो । इत्तिफाक से मुझे भी किसी रोड एण्ड बिल्डिंग की कमेटी में शामिल कर लिया और मेरा नाम उसमें लिख लिया था कि आप उसके सदस्य हैं । लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताऊं कि उस कमेटी की एक भी बैठक नहीं हुई........

श्री उपाध्यक्ष : आपने चाहा भी नहीं था और बना दिया गया था ।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरी ही शिकायत नहीं है लेकिन अधिकतर मेम्बरों की यही शिकायत है कि जो कन्सल्टेटिव कमेटीज बनी हैं और जो अलग अलग नाम उनके रखे गये हैं उनकी कोई खास मीटिंग नहीं होती, इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, जो हमारी पॉलिसी हैं उसमें सुधार करने चाहिए । मेरा कहना यह है कि जो पॉलिसी बनाई जाये उसका पूरी तरह से पालन होना चाहिए । जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसका पूरा इम्पलीमेन्टेशन होना चाहिए ।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, केबिनेट मीटिंग की बातें राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में बताई कि राजस्थान में लोकतंत्रीय विकेन्द्रीकरण के साथ साथ मंत्रिमण्डल की जो बैठकें जिले के केन्द्रों में करके जो कदम उठाया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और उससे जनता की समस्यायें हल होने लगी हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि जो जिला हैड क्वार्टर्स पर मंत्रि मण्डल की बैठकें हुई हैं वह बिल्कुल ही बेकार साबित रही हैं । लेकिन इन बैठकों का जितना उपयोग राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में बताया और जैसा हमने अनुभव किया, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके समाने निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान का पूरा मंत्रि मण्डल जो कि पहले अधूरा था और अब उसमें ६ से ११ सदस्य हो गये हैं और राज्य के हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट्स सेक्रेटरी और उनका जो काफिला,

(श्री शंकरलाल)

चलता है जिले के हैड क्वार्टर्स पर उस मंत्रि-मण्डल की बैठक में सम्मिलित होने के लिए, जो सब वहां इकट्ठे होते हैं तो एक दो दिन के अन्दर तो कोई जिला की समस्या दूर नहीं हो सकती। अब वहां पर हजारों आदमी गांव से आते है और उनको अपने मंत्रियों से अपकी समस्यायें रखने का मौका तक नहीं मिलता और वह ऐसी भावना लेकर जाते हैं कि मंत्री मण्डल आया और उन्होंने हमारी बात भी नहीं सुनी।

श्री उपाध्यक्ष : जिनको एम० एल० एज़० को संभालना मुश्किल हो जाता है।

श्री पुरषोत्तमलाल शर्मा : एम० एल० ए० ही नहीं छोड़ते।

श्री शंकरलाल : इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि अगर जिले के हैडक्वार्टर पर जब भी मीटिंग रखनी हो तो बनिस्बत पूरे मंत्रीमंडल के अगर एक मंत्री वहां पर जायें और दो—तीन दिन तक जिले के हैडक्वार्टर पर रहें और वहां के लोगों को इत्तिला हो तो मैं समझता हूं कि यह ज्यादा उपयोगी हो सकता है। इसका क्या मतलब कि एक से बात हो रही है तो सारा मंत्री-मण्डल बैठा बैठा सुनता रहता है। तो अलग अलग डिपार्टमेन्ट के मंत्री दो तीन दिन के लिए जाकर हैडक्वार्टर पर मुकाम करें और पंचायत समितियों के लोगों की दिक्कतें सुनें तो मैं समझता हूं ज्यादा उपयोग हो सकता है। इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है।

उपाध्यक्ष महोदय, एम० एल० ए० की बात आई, मैं निवेदन करूं कि मुझे दुःख है कि विकेन्द्रीकरण के साथ साथ जहां पंचायत समितियों को अधिकार मिले, पंचायतों को मिले, वैसे मिलने भी चाहिए, दूसरे मन्त्री मण्डल में भी विस्तार हुआ लेकिन मैं कहूं कि यह भी विकेन्द्रीकरण की बात है। लेकिन मैं समझता हूं कि विधान सभा के जो भी सदस्य हैं, चाहें मिनिस्टर हों चाहे सदस्य हों आखिर मिनिस्टर भी तो सदन के ऑनरेबल मेम्बर हैं, जिस प्रकार से वह चुनकर आते हैं वैसे ही एम० एल० ए० भी चुनकर आते हैं। या तो यह रखा दिया जाये कि मेम्बर लोग विधान सभा में केवल कानून बनाने के लिए ही आते हैं और यही उनका काम है, तो यह तो उनके साथ अन्याय होगा। आखिर वह इतनी बड़ी पब्लिक से चुनकर आता है उसको अधिक अधिकार मिलने चाहिए। अगर उसको एसोसियेट मेम्बर रख दिया जाता है पंचायत समितियों में तो ऐसी बात आवश्यक है कि जनता उसको नहीं समझ पाई है। तो एक तरफ जो पंचायत समितियों के प्रधान होते हैं वह सरपंचों से चुने हुए होते हैं, जिसको कि दस पन्द्रह सरपंच मिलकर चुनते हैं और जो विधान समाई होता है वह एक लाख की जनता का चुना हुआ आदमी होता है। तो विकास के कार्यों में उसकी वॉइस रखी जाये तो यह डेमोक्रेसी का तकाजा है....

श्री उपाध्यक्ष : Why to repeat it now.

श्री शंकरलाल : यह जो बात कही गई है कि न्याय पंचायतें अलग हो रही हैं और राज्यपाल महोदय ने जो अपने भाषण में बताया है कि न्याय पंचायतें अलग होनी चाहिए उसका स्वागत करते हुए मैंने बात कही है....

श्री उपाध्यक्ष : यह आप अपने अमेंडमेंट के वक्त कह दें।

Page No.98

श्री शंकरलाल : जब इस सत्र के अन्दर पंचायत कानून में परिवर्तन के लिए एक ऐसा बिल आ रहा है जिसके अन्दर न्याय पंचायतें अलग बना रहे हैं, ऐसा राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में बतलाया है उसमें मैं समझता हूं यह विचार आया है इसलिए उस पर विचार करके क्लिअर कराना चाहता हूं। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपके समक्ष इन सारी बातों को बताया है।

जहां राजस्थान के शहरी इलाके के अन्दर १६६ लाख राजस्थान में ६० योजनाओं के अन्दर खर्च किये गये हैं, लेकिन राजस्थान के, गामीण इलाकों में जहां पर डेढ़–दो कोस से पानी लाना पड़ता है। पाली तहसील से जुड़े हुए जो हिस्से हैं वहां का बताऊं, पाली जिले की जैतारण तहसील के हिस्से हैं, उनको बताऊं जहां पर कि पीने के पानी का कोई सहारा नहीं है वहां पर इन चार वर्षों के अन्दर जो है क्या हुआ, वह राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में नहीं बताया। शहरी इलाकों में पानी की व्यवस्था की जाय उसके लिए मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन राजस्थान की अधिकतर जनता गांवों में बसती है। इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं लेकिन पीने का पानी गांव के अन्दर सरकार नहीं दे सकती है। तो यह प्राथमिक चीज़ है जिसके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए और इसको पूरा करना चाहिए ताकि राजस्थान के हर एक गांव में कम पीने के पानी की सुविधा हो। जहां पर कुए नहीं बन सकते है वहां डिग्गियां बनाई जायं। जहां पर तालाब छोटे हैं वहां पर बड़े तालाब बनाये जायं। राजस्थान के गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था के लिए मैं आशा करता था कि राज्यपाल महोदय कुछ कहेंगे, लेकिन केवल उन्होंने यही बताया कि एक कमेटी बनी है और कमेटी से रिपोर्ट आई है और हम उस पर विचार कर रहे हैं। चौथा वर्ष द्वितीय पंच वर्षीय योजना का चल रहा है उसमें और आने वाली योजना में मैं समझता हूं राज्य सरकार को गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए।

साथ ही साथ मैं अधिक समय, उपाध्यक्ष महोदय, लेना नहीं चाहता और यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अन्दर एक तो पॉलिसी के लिहाज़ से जो मेटीरियल डवेपलमेंट के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए बिल्कुल संकेत नहीं है उस तरफ कदम उठाना चाहिए। डवेलपमेंट की स्कीम्स का इम्प्लीमेन्टेशन अच्छी तरह से नहीं हो रहा है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का चौथा वर्ष चल रहा है उसको ठीक करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दलपतसिंह। मैं उम्मीद करता हूँ कि अपन एडजोर्न हों तब तक आप समाप्त कर देंगे।

श्री दलपतसिंह (आबू) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को अच्छी तरह से पढ़ा है। इसके अन्दर टार्गेट्स बहुत ऊंचे हैं, और राजस्थान के भविष्य की जो रूपरेखा खींची है, इस वक्त के अन्दर वह बहुत ही श्रेष्ठ है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं सबसे पहले पैरेग्राफ १५ को देखता हूं तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एकदम बहुत बड़ा लक्ष्य बता दिया है। उसको देखते हैं तो धक्का पहुंचता है कि एकदम इतना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कैसे बढ़ जायगा, क्योंकि अगर वास्तव में

(श्री दलपतसिंह) .

वह इतना बढ़ जाता है तो हर्ष की बात है, लेकिन मैं चैलेन्ज के साथ कह सकता हूं कि जो पोज़ीशन एग्रीकल्चरिस्ट्स की चल रही है उसके मुताबिक यह काम होना संभव नहीं दिखता है । क्योंकि तृतीय पंचवर्षीय योजना जो हमारे सामने आ रही है उसका प्लानिंग वगैरह हम बनायेंगे और वे सारे पर्टीक्यूलर्स इसी प्रोडक्टिविटी के आधार पर रखते हैं, तो कमीशन के टार्गेट को देखते हुए इस प्रकार के टार्गेट्स रखे जाते हैं कि ८.१२ लाख टन अतिरिक्त अनाज उत्पन्न करने के लक्ष्य से अधिक अनाज पैदा कर सकेंगे । ऐसा अनुमान है कि मार्च १९६१ के अन्त तक हम करीब करीब १२ लाख टन अतिरिक्त अनाज पैदा कर सकेंगे । अगर हम इस टार्गेट पर पहुंच जाते हैं और इसको फुटिंग करके तृतीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य लेकर, प्लानिंग बनाते हैं तो वास्तव में अपना राजस्थान बहुत ही प्रोडक्टिव और बहुत अच्छा हो जायगा, लेकिन इसमें मुझे शक है ।

इसके साथ ही साथ मैं कुछ एग्रीकल्चर में बाधाएं हैं, रूरल एरिया में एग्रीकल्चरल डवेलपमेंट के अन्दर रुकावटें हैं वह आपके सामने बताऊंगा । पैराग्राफ १९ में बताया गया है कि बिजली में तरक्की हुई है । गंगानगर में बिजली पहुंच जायगी, बीकानेर के कुछ इलाकों में पहुंच जायगी और ६१ तक कुछ बिजली सूरतगढ़ में पहुंच जायगी, राजगढ़ में बिजली पहुंच जायगी । इस तरह से आप देखते हैं कि जिन इलाकों में बिजली पहुँच जाती है उनके लिए हमें खुशी है । मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान में कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां कि चौथी पंचवर्षीय योजना तक बिजली का प्रवेश नहीं हो सकता है । ऐसी हालत में वहां पर जो इम्प्लोमेंट्स लगे हुए हैं, एन्जिन लगे हुए हैं जिससे कि डेवलपमेंट कर रहे हैं एग्रीकल्चर का वहां जब तक बिजली नहीं पहुँचेगी तो क्रूड आइल और डिज़ल आइल से जो डेवलपमेंट हो रहे है उसके अन्दर हमारा मनी लग रहा है वह बहुत ज्यादा कास्ट लग रही है । उसका कोस्ट ऑफ प्रेडक्शन एग्रीकल्चर का बहुत ज्यादा आ जाता है । गंगानगर एरिया बहुत इम्पोर्टेन्ट है । केनाल से प्रोडक्ट बहुत अच्छी होती है । इससे हमें बड़ी खुशी है कि वहां वालों को बिजली मिले और ज्यादा पैदावार हो । मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जालोर एरिया में और पाली से लेकर मारवाड़ जंकशन को आप देखेंगे तो वहां सारी जगह कुओं से सिंचाई होती है । वहां कल्टीवेटर्स की हालत यह है । वहां पर इलेक्ट्रिसिटी इस तरह से अलॉट नहीं होती है तो वहां पर इतना अधिक डवेलपमेंट नहीं हो सकता है । इसलिए मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो थर्ड फाइव इयर प्लान में सबसे पहला लक्ष्य है कि खेती के अन्दर बहुत ज्यादा तरक्की हो तो सबसे पहली चीज़ है कि उनको अच्छे औज़ार दें । उनको अच्छे-अच्छे साधन दें । उन साधनों में सबसे पहला साधन हमारे एरिया के लिए बिजली का प्रबन्ध करना चाहिए । उस इलाके के लिए २,४ एन्जिन जिससे जेनरेटर सिस्टम से बिजली पैदा की जा सके और फर्टीलाइज़ड एरिया को सिलेक्ट कर लें कि इस जगह १०० कुओं का एक चाका है उस चाके के लिए इतनी अच्छी मशीन लगा दें कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाय, और जो इस समय डिज़ल और पॉवर से एन्जिन

(श्री दलपतसिंह)

चल रहे हैं उनको बन्द करके उस एरिया को बिजली दी जाय तो ठीक होगा । मैं आपके सामने कह सकता हूं, वर्ना वहां ५० साल बिजली नहीं पहुँच सकती है । यही दिक्कत रहेगी । गंगानगर एरिया में बिजली पहुंच गई उससे राजस्थान के प्रोडक्शन में उन्नति होगी, लेकिन हमको उस एरिया को निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। वह सरसब्ज़ और बहुत अच्छा प्रोडक्टिव एरिया है। गंगानगर के दर्जे प्रोडक्टिव तो नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसी हालत में वहां पर बिजली पहुँच जाती है तो हमारे राजस्थान के लिए बहुत कल्याणकारी प्रोजेक्ट होगा ।

सैकिन्ड थिंग मैं एग्रीकल्चर के लिए यह अर्ज़ कर देना चाहता हूं कि हमारे वहां छोटे छोटे बांध बन जाने के अच्छे साधन हैं । ...

श्री उपाध्यक्ष : I Think these points can be taken at the time of budget. कटमोशन्स में सब आयेंगी बातें ।

श्री दलपतसिंह : A few minutes, Sir. ये जो पोइन्ट्स हैं वे एग्रीकल्चर के डवेलपमेंट के अन्दर बहुत मददगार रहेंगे ।

अब आगे बढ़ने के लिए दो चीजें देखी जाती हैं, एक तो अच्छे साधन मिलें । हमको अच्छे अच्छे इम्प्लीमेंट देने चाहिए। मेरे आबू क्षेत्र का फारेस्ट एरिया है । वहां पर काफी फारेस्ट फैला हुआ है । वहां एग्रीकल्करिस्ट को हल वगैरह के लिए जो लकड़ी दी जाती है उसको काटने के लिए वे कहते हैं कि चार दिन में ले जाओ। चार दिन में वे लकड़ी काटकर लाते हैं तो कच्ची लकड़ी आती है और जल्दी ही घिस जाती है । उनको देखना चाहिए फारेस्ट वालों को कि अच्छी लकड़ी दें और अच्छी लकड़ी काट सकें और खेती के प्रयोग में ला सकें, नहीं तो क्या करना पड़ता है कि करीबन ७ रुपये देने पड़ते हैं, और इस तरह से ज्यादा खर्च करना पड़ता है और दुबारा वही लकड़ी जंगल में से काटनी पड़ती है । माननीय उपाध्यक्ष, फारेस्ट इतनी अच्छी खुद की प्रोपर्टी होते हुए भी फोरेस्ट की इतनी दिक्कत है कि मैं आपको क्या अर्ज़ करूं । वहां पर आप देखिये, आदिवासी लोग जब फोरेस्ट में जाते हैं, मुझे खुशी है कि हमारे न्यूली वन मंत्री यहां मौजूद हैं, आबू का एरिया वन ऑफ दी मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फोरेस्ट एरिया है, मैं आशा करता हूं कि वे इस ओर ध्यान देंगे। मैं लगातार तीन साल से इस ओर ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि हमारे आदिवासी पहले जैसी हालत में ही रह रहे हैं । आपके अधिकारी वहां आते हैं और सिनेमा शो बता कर चले जाते हैं, सिनेमा शो से आदिवासियों की हालत ठीक नहीं हो सकती। उनके पास चाहिये साधन, जिनके द्वारा वे इम्प्रूवमेन्ट कर सकें। उनके पास ३ बीघा से अधिक ज़मीन नहीं है Agriculturists of Abu do not possess more than 3 bighas of land. उनको फोरेस्ट कोटेज इन्डस्ट्रीज़ के अ बढ़ाना चाहिये। छोटे काम के लिये भी वे लोग लकड़ी लेने जाते हैं तो उनको लकड़ी नहीं मिलती है। आदिवासी इतनी हैसियत के आदमी नहीं हैं।

वैसे भाषण में राज्यपाल महोदय ने संकेत किया है कि ६ साल से ११ साल के

Page No.101

(श्री दलपतसिंह)

बीच के बच्चों को एज्युकेशन मिलेगी इससे उनके भी बच्चे पढ़ सकेंगे। उनमें एज्युकेशन नहीं होने के कारण वे लोग एक छोटे से फोरेस्टर से भी डरते हैं। उनके लिये फोरेस्टर टाइगर के जैसा लगता है, हॉलांकि टाइगर का डर मुझे नहीं लगता....

श्री उपाध्यक्ष : दोनों ही एक दूसरे के लिये टाइगर के समान होंगे।

श्री दलपतसिंह : उनको फोरेस्टर टाइगर जैसा लगता है, इसलिये अर्ज़ करूं कि आदिवासियों की कठिनाइयों को आप समझिये। चार के बजाय पांच की लिमिट लगाइये। कुल्हाड़ी लेकर जाते हैं तो डर जाते हैं। इनके लिये एक कमीशन बैठाया था जिसकी आबूरोड़ और उदयपुर में मीटिंग हुई थी। बांसवाड़ा, आबूरोड और उदयपुर के लिये जो कमीशन बैठाया था फोरेस्ट के लिये उसकी रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। आज फोरेस्ट में लकड़ी के लिये जाता है तो उसको मामूली सी बात के लिये चार पांच रुपये देने पड़ते हैं Unless and until he goes and obtains a chulka from the forester, he cannot do anything. एग्रीकल्चर को बढ़ाने का काम पड़ता है वह हर वख्त फोरेस्ट से पड़ता है। जो हल चलाते हैं उसके पीछे छूढ़का रह जाता है, छूड़का हल के पीछे का हिस्सा होता है वह छूट जाय तो काफी नुकसान होता है। एग्रीकल्चर के टाइमली ओप्रेशन होने चाहिये। यदि नहीं होते हैं तो सुबह से शाम के कल्टीवेशन में फर्क पड़ेगा। इसलिये अर्ज करता हूं कि काश्तकारों की ओर पुरजोर ध्यान दिलावें और आदिवासियों की तकलीफ की ओर ध्यान दें।

मुझे आदिवासियों की समस्या के लिए ही मुख्यत: कहना है। मैं दिल्ली गया था और वहां मैंने प्रदर्शनी देखी। राजस्थान में ग्रास का वेस्टेज चला जाता है और गांव वाले उसको प्रोपरली युटिलाइज़ नहीं कर पाते हैं। इसलिए बैटर यह होगा कि कागज़ का एक कारखाना वहां बनवा दिया जाय जिससे आदिवासियों को धन्धा भी दे सकेंगे और ग्रास वगैरह भी वेस्टेज नहीं जायगा। मेरे एरिया में ८८ पर्सेन्ट आदिवासी हैं, उनको पेट भर अनाज खाने को नहीं मिलता है, ऐसी हालत में आप उनका जन कल्याण क्या करेंगे? या तो वे अहमदाबाद जाकर कच्चे कोयलों के ठेले और लारियां चलाते हैं और गधे की तरह काम करते हैं वहां पर लोगों के पास कोई साधन नहीं हैं। वहां पर जोगी लोग हैं उनके पास कोई साधन नहीं हैं, उनकी कोटेज इन्डस्ट्रीज़ में जो माल बनता है उसकी ओर देखा जाय तो आपको पता चलेगा कि स्प्लेन्डिड चीज़ तैयार करते हैं। इतनी अच्छी बास्केट्स बनाते हैं जिनमें टोमेटोज़ और फ्रूट्स अच्छी तरह से रखे जा सकते हैं, उनमें फूड प्रिजरवेशन अच्छी तरह से हो सकता है। पेरिशेबल कोमोडिटीज़ को इन बास्केट्स में भर कर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसी चीजों के लिये मार्केट भी मिल सकता है। ऐसे साधन उपलब्ध होते हुए भी मैं तीन साल से देख रहा हूं कि हालत नहीं सुधर पाई है। न तो फोरेस्ट से फायदा उठा पाते हैं उद्योग धन्धे ही पनपते है और न उनको कोई साधन ही मिलते हैं। कोटेज इन्डस्ट्रीज़ में उनको लगाया जा सकता है। वैसे साधन और मार्केट वहां पर मिल सकते हैं। वहां

(श्री दलपतसिंह)

पर दियासलाई का कारखाना खुल सकता है, कागज़ का कारखाना खुल सकता हैं....

श्री दलीपसिंह (बारां) : फोरेस्ट में बेम्बूज़ का एरिया कितना है ?

श्री दलपतसिंह : Of Bamboo there are thousands of acres in Abu area. तो अर्ज यह है कि फोरेस्ट से इतना फायदा हो सकता है। आदिवासियों को सोसाइटी कायम करने के लिये कहा जाता है, लेकिन सोसाइटी बनाने के लिये भी १० रु० देने पड़ते हैं। अलॉटमेन्ट ऑफ लैंड के टाइम पर क्या हुआ ? उनको बड़ी तकलीफ सहनी पड़ी। बड़ी बड़ी टेक्सटाइल मिल्स से मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा आदिवासी....

श्री उपाध्यक्ष : मेरा नहीं, राष्ट्र का आदिवासी है।

श्री दलपतसिंह : मैं उन्हें मेरा इसलिये कहता हूं कि वे मेरे पड़ौस में रहते हैं मुझे बड़ी बड़ी मिल्स से मतलब नहीं है, छोटे छोटे कारखाने खुलवाइये और उनमें उत्पादन बढ़ाइये और उन चीज़ों को एक्सपोर्ट करिये। राजस्थान में इनकी पोजीशन क्या है, गमलों में फूल लटकाकर बता देने से कोई मतलब नहीं निकलता। आदिवासी एरिया में ताड़, गुड़ इन्डस्ट्री बढ़ सकती है, दियासलाई का काम आप लोगों को बतलाइये, इन कामों को हमारे एरिया में एडोप्ट करिये तो लोगों को इससे वास्तव में फायदा होगा और खुशी होगी। मैने जो आदिवासियों के लिए काम बताये हैं वे बड़े महत्वपूर्ण हैं....

श्री उपाध्यक्ष : I would like to accommodate one more speaker.

श्री दलपतसिंह : I will take just a few minutes more, Sir. इसके अलावा मैं अर्ज करूंगा कि हमारे यहां सबसे बड़ी प्रोब्लम है पशु पालन की। आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर जैसे राजस्थान की बैक बोन है उसी तरह से एनिमल हस्बेन्डरी एग्रीकल्चर की बैक बोन है। This is backbone of the backbone. So if the backbone of the backbone is week, where shall be the backbone ?

श्री चंदनमल बैद (सरदारशहर) : But the backbone is missing from the House.

श्री दलपतसिंह : मेरा अर्ज करने का मतलब यह है कि जो हमारा पशु धन हमारे सामने है, हमें इस चीज़ को देखना पड़ेगा। सिर्फ आपने अभिभाषण में एक पैराग्राफ लिख दिया, पैराग्राफ नं० २६ में जो कुछ लिखा उसके लिये बड़ी खुशी है। इस पैराग्राफ में पशुओं के बारे में राज्यपाल महोदय ने जो कुछ मेन्शन किया उसके लिए बड़ी खुशी है, लेकिन सिर्फ इसमें मेनशन करने से ही कुछ नहीं होगा। हमें देखना है कि राजस्थान में कैसे पशुओं को रखते हैं। लैंड का प्रोब्लम कितनी भारी है। रायपुर से आने वाले एम. एल. ए. महोदय ने बताया कि हमारे पास पशुओं के लिये चरागाह नहीं हैं, कहां चरावें ? कैटल ब्रीडर्स की दिल्ली में एक कान्फ्रेन्स हुई थी, वहां मैं क्या देखता हूँ कि राजस्थान की तरफ से सिर्फ मैं अकेला था, किसी और को इन्ट्रेस्ट नहीं था; इसके अतिरिक्त मैसूर आदि दूसरे स्थानों के २०० आदमी मौजूद थे........

श्री उपाध्यक्ष : एक भी सौ के बराबर होता है।

Page No.103

श्री दलपतसिंह : उनके सामने बड़ी भारी प्रोब्लम्स है। खाली बातें करने से और इम्पलीमेन्ट्स देने से काम नहीं चलेगा। हमें एनिमल हस्बेन्ड्री के बारे में यह देखना है कि कैसे जनता को इससे फायदा हो सकता है। हमारे गांवों में सिरोही, जालौर, मारवाड़ जंक्शन, हाफ ऑफ दी जोधपुर डिवीज़न भी कह सकता हूं, वहां पर पशुओं के चराने के लिए, उपाध्यक्ष महोदय, जो चरागाह थे, वे जंगल वालों ने ले लिये। यह क्लीअर कट पोजीशन बताता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। लास्ट ईयर कमीशन के रूबरू मैंने बड़ी तवज्जह के साथ कहा था कि पशुपालकों के लिए कुछ रियायत करनी चाहिए; सोरी, आपने गोचर भूमि को अडॉप्ट कर लिया है कि हम इसका डवेलपमेंट करेंगे और जो इरोजन्ड बाड़ियां पड़ी हुई हैं, उनमें पत्थर ही पत्थर हैं। वह इरोजन्ड बाडियां डवेलपमेंट के लिए रखें तो कैसा रहेगा ? लेकिन ऐसे एरिये ग्रेजिंग के लिए अच्छे हो सकते हैं, उसको मत रखिये, पशुओं के लिए ग्रेजिंग की सुविधा हो जायगी। इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे काश्तकारों के खेत में पशु धुस जाते हैं, जबरदस्ती तो नहीं कह सकते, संविधान में स्वतंत्रता दे दी है इसलिए उन काश्तकारों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिये, मुझे दुःख नहीं है लेकिन पशुओं के लिए क्या उपाय करना है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक जंगल में बाॅडी वगैरह हो, १०–१५ गांवों के बीच में बाडी वगैरह हो, उसको गांव वालों को देना चाहिये, ताकि ४०, ५० गांव मिल कर उस जोड़ का फायदा ले सकें और पशु पालन का वह साधन हो सके।

(घंटी)

व कुछ 'व्यवधान' do not disturb. सबसे इम्पोर्टेन्ट पॉइन्ट पशु पालक के लिए कहता हूँ। आपके स्वास्थ्य मंत्री और वन मंत्री दोनों बैठे हुए हैं, डालडा सबसे इम्पोर्टेन्ट ....

श्री उपाध्यक्ष : यह इन्क्योरेबल है, कोई फायदा नहीं है।

श्री दलपतसिंह : डालडा में अडल्ट्रेशन से सारा मामला बिगड़ गया है....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) : आप डालडा काम में लेते हैं।

श्री दलपतसिंह : मैं नहीं लेता हूं।

श्री चन्दनमल बैद (सरदारशहर) : स्वास्थ्य मंत्री काम में लेते हैं।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री दलपतसिंह : मैं अर्ज करूंगा कि एनीमल हस्बेन्ड्री का एक आनन्द फार्म है अहमदाबाद के पास, उनका आप मुलाहिज़ा कीजिये। वहां के चारों तरफ के गांवों में जो ईल्ड होती है, वह छोटे छोटे पोटों में भर कर आनन्द ले आते हैं। उनके पास इतने साधन उपलब्ध हो गये हैं, उसका आनन्द में मक्खन बनाते हैं जो जयपुर तक आता है....

श्री चन्दनमल बैद : अमूल मक्खन।

श्री दलपतसिंह : अमूल मक्खन ! मैं तो ऐसी चीजें खाता नहीं हूं। तो मैं हैल्थ मिनिस्टर साहब से अर्ज करूंगा कि डालडा में कलर इन्ट्रोड्यूज़ करायें। हमारी कॉटेज इन्डस्ट्री और पशुओं की इन्डस्ट्री है........

डॉ० **बहादुरसिंह** (धौलपुर) : ऑल इन्डिया मिनिस्टर का काम है ।

श्री **उपाध्यक्ष** : क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं?

श्री **दलपतसिंह** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मैं पशु पालकों का मसला आपके सामने रख रहा हूं, इस मसले को हल करने का उपाय करें। यह कॉटेज इन्डस्ट्री का मामला चार साल से चल रहा है, चार साल से कार्यवाही चल रही है लेकिन कोई जबाब नहीं आ रहा है। कहीं ऐसा न हो कि वह मक्खन पिघल जाय, उसके बाद कुछ नहीं होगा........

श्री **उपाध्यक्ष** : I hope you are concluding now.

श्री **दलपतसिंह** : मैंने तीन पोइन्ट अर्ज किये हैं। हैल्थ के बारे में मैं कहता हूं कि आबू का जो एरिया है, it is a mosquito breeding area. वहां सबसे ज्यादा बीमारियां अक्टूबर से लगा कर दिसम्बर तक चलती हैं। इससे पहले टाइफाइड का अटेक होता है। वहां पर मौस्किटोज़ को कंट्रोल नहीं किया जाता है। मैं समझता हूं कि हिली एरिया में सात दिन में मच्छर मारने का पोइज़न देना चाहिये। इसके साथ ही चालीस-पचास गांवों के बीच में एक बाड़ी होनी चाहिये। वापिस मैं उद्योग के लिये अर्ज कर देना चाहता हूं, उसके ऊपर गौर जरूर करें। लास्ट में जो कि हमारे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी; फोर्थ क्लास के सर्वेन्ट्स हैं........

श्री **उपाध्यक्ष** : Mr. Dalpat Singh, much has been said on this.

श्री **दलपतसिंह** : मैं यह कहता हूं कि उनको रात में जो गाड़ी का बलद बनाना चाहते हैं तो सरकार कम से कम १०, १५ रुपये उनकी तनख्वाह में एड कर दे....

डॉ० **बहादुरसिंह** : दा साहब बढ़ाने वाले नहीं हैं एक सा भी।

श्री **उपाध्यक्ष** : So you have concluded.

श्री **दलपतसिंह** : Only about masters, I would like to say. आपके द्वारा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि मोरनिंग से लेकर इविनिंग तक मास्टर पढ़ाते रहते हैं। आज के लड़के मास्टर की केटेगरी में तब ही आते हैं जब उनको कहीं एम्लोयमेंट नहीं मिलता है। वे गांवों में आने के बाद बड़ी तकलीफ उठाते हैं। एक तो पहले ही उनकी आर्थिक दशा गिरी हुई होती है, फिर गांवों में उनको मकान तक नहीं मिलते हैं। मैं कहता हूं कि आज के टीचर बहुत बड़ी सेवा करते हैं। इतनी तकलीफ सहन करके भी गांवों में पड़े हुए हैं, छोटी छोटी कुटियाओं में मास्टर पड़े हुए हैं। उसके बाद भी उनके साथ एक चीज़ लगी हुई है वह है एडल्ट एजुकेशन रात को एक घंटे—

डॉ० **बहादुरसिंह** : दो घंटे।

श्री **दलपतसिंह** : मास्टरों को इसके लिए सम अलाउन्स दिया जाय। मैंने जो पॉइन्ट रखे हैं वे बहुत रीज़नेबल पॉइन्ट हैं। राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण है वह सर्वश्रेष्ठ भाषण है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि केवल आंकडों से ही काम नहीं चलेगा। हमें थ्योरीटिकली किसी चीज़ को

(श्री दलपतसिंह)

नहीं देखना है, प्रेक्टीकली देखना है। मैंने जो पॉइन्ट रखे हैं उन पर एग्ज़ीक्यूशन करते समय ध्यान में रखेंगे, इतना ही कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रीभानसिंह।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद दे दूँ that at the fag end of the day, I am able to catch your eye. राज्यपाल के अभिभाषण के लिए जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करने खड़ा हुआ हूँ। समर्थन मैं यों करना चाहता हूँ कि जो राजस्थान सरकार ने कार्य किये हैं, वह जो पंचायत बिल को राजस्थान के म्युनिसिपल बोर्ड तक दायरा एक्सटेन्ड करने के लिए कहा है, यह डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइजेशन के के लिए इन्स्टिट्यूशनल चेंजेज़ गवर्नमेंन्ट की है, विकास को कान्सेंट्रेट करने के लिए कदम वढ़ाया है, वह तारीफ के लायक है। यह हो सकता है कि गवर्नमेंट थोड़ी हद तक गलती करती हो, तो अच्छे काम भी करती है। तो यह जो एक साइड राज्यपाल के भाषण की है, मैं इसके लिए, जो जो माननीय मंत्री महोदय इस पोर्ट फोलियो के लिये जिम्मेदार हों, मैं उनको व्यक्तिगत धन्यवाद और सामूहिक धन्यवाद देता हूं। (करतल-ध्वनि) साथ में मैं यों भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर १९५८–५९ ईअर में कम से कम इतना रहा है, जिसमें प्लानिंग का ९९ पर्सेन्ट खर्चा हुआ है। यह दूसरी चीज है कि कितने पैसे का दुरुपयोग हुआ, कितना क्या रिजल्ट मिला है, कितना किस साल में जाकर रिजल्ट मिलेगा। यह दूसरा पहलू है, मगर कम से कम एक्सपेन्डीचर टार्गेट है, यह प्लानिंग का एक तरीका है, एक व्यू पॉइन्ट है, पहले एक्सपेन्डीचर के टार्गेट हम अचीव नहीं कर सके। एक्सपेन्डीचर पॉइन्ट ऑफ व्यू से १९५९–६० के अन्दर एक्सपेन्डीचर टार्गेट अचीव कर लिये हैं। दूसरी राजस्थान के अन्दर जो समस्यायें थीं, वह थीं आर्थिक समस्या, वह थी भूमि समस्या और उस भूमि की समस्या को जागीर अबोलिशन, जमींदार अबोलिशन के द्वारा पूरा कुछ हद तक कर सके। इतना जरूर है कि जैसा एक पूर्व वक्ता ने कहा, मैं यहां पर रेवेन्यू मिनिस्टर को धन्यवाद नहीं दूँगा क्योंकि उनको गंगानगर ने प्रभावित कर लिया और गंगानगर के स्टे ऑर्डर उनसे ले गये। वही स्थिति भरतपुर, अलवर के जमींदारों की है, वही स्थिति झुंझुनूं वगैरह की होगी। गंगानगर से प्रभावित होकर उन्होंने स्टे ऑर्डर दे दिया। जब हाउस में बिल रखा था और कहा था कि डिफरेन्ट डेट्स पर डिफरेन्ट प्लेसेज में इस बिल को लागू करेंगे, तब शंका की थी कि गंगानगर में लागू नहीं कर सकेंगे। कई माननीय सदस्यों ने यह कहा था। अब नतीजा वही हुआ कि गंगानगर में लागू नहीं किया गया। जो राजस्थान के अन्दर लास्ट फेज़ था सीलिंग का, उसे पास कर दिया लेकिन गंगानगर में जमींदारी और बिस्वेदारी का अबोलिशन क्यों स्टे किया ? यह फ्यूडेलिज्म, जो कि हमारी प्रोग्रेस को रोकता है, जिसको हम हर तरह कन्डेम करना चाहते हैं, चाहे गंगानगर के जमींदार हैं या........

श्री उपाध्यक्ष : Are you concluding now ?

श्री श्रीभानसिंह : No, Sir, I will

(श्री श्रीभानसिंह)

take some time more. कोई नोमिनक्लेचर होता है। जागीरदार, फ्यूडेलिज्म और जमींदारी, मैं समझता हूं इसे जल्दी से जल्दी अबोलिश करना चाहिये और वह स्टे ऑर्डर माननीय रेवेन्यू मन्त्री को विड्रॉ करना चाहिये।

करतल ध्वनि)

श्री उपाध्यक्ष: We now adjourn to meet on 29th at 11 A. M.

[तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० प० ५ बजे सोमवार दिनांक २९ फरवरी, १९६० के प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई ।]

संक्षिप्त–विवरण

(शनिवार, २७ फरवरी, १९६०)

स्कम्भ स्कम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक

सूरजगढ़ नगरपालिका के चेयरमैन के विरुद्ध कार्यवाही।

तहसील हिन्डौन के जगर बांध की पाल कम ऊंची होने के कारण नहर निकालने में कठिनाई।

एस. पी. भीलवाड़ा के विरुद्ध हुई शिकायतों पर कार्यवाही।

मेड़ता सिटी नगरपालिका के अध्यक्ष को अयोग्य घोषित करने हेतु कार्यवाही।

महुवा–हिन्डौन रोड के बीच गम्भीर नदी पर पुल बनवाना।

ग्राम पंचायत देवली कलाँ के सरपंच एवं अन्य पंचों के विरुद्ध हुई शिकायतों पर निर्णय।

जयपुर में भरने वाले पशुओं के मेले (हटवाड़े) के रेन्ट कलेक्शन का ठेका।

ग्राम पंचायत नारलाई के पंच को पंचायत की मीटिंग में नहीं बुलाया जाना।

थाना हिन्डौन के कैदियों के लिए खाने की उपयुक्त व्यवस्था।

कस्बा देवली व छावनी एरिया का पॉवर हाउस।

सवांसा के सरपंच के विरुद्ध ... 'ता की याचिका में कार्यवाही।

जयपुर नगर विकास मन्डल द्वारा प्लॉट्स का अलॉटमेंट।

अपलेखन के मामलों में शीघ्र निर्णय।

सरकारी कर्मचारियों को होम डिस्ट्रिक्ट या होम डिविजन में रखना।

करौली से सांभर लेक वाया गंगापुर–लालसोट–जयपुर रेलवे लाइन की योजना।

नगरपालिकाओं और पंचायतों के क्षेत्र में काटे जाने वाले जानवर।

कांकरोली बिजलीघर से बिजली का वितरण।

फोरेस्ट का सैटलमेंट।

उद्योगों व कृषि कार्य हेतु प्रदत्त बिजली।

जयपुर शहर में होने वाले एक्सीडेन्ट्स।

पशुओं की चराई दर।

दिनांक २२–५–५९ को देवली से दूनी आते वक्त हुई बस दुर्घटना।

स्तम्भ

राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड। प्रान्त में मुअत्तिल पुलिस कर्मचारियों की मुअत्तिली के समय में हाजरी।

दौसा-लालसोट रोड पर पड़ने वाले नालों के कारण असुविधा।

महुवा-करौली रोड पर मोटरों द्वारा हुए एक्सीडेन्ट्स में कार्यवाही।

राज्यपाल महोदय के भाषण पर वाद-विवाद ३२०

श्री ज्वालाप्रसाद, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव पर आज भी वाद-विवाद जारी रहा जिसमें निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया:—

(१) श्री मूलचन्द डागा
(२) श्री पी० के० चौधरी
(३) श्री मुरलीधर व्यास
(४) रावल नरेन्द्रसिंह
(५) डॉ० बहादुरसिंह
(६) श्री हरिप्रसाद यादव
(७) श्री जगदीशप्रसाद माथुर
(८) श्री आबिदअली
(९) श्री शंकरलाल
(१०) श्री दलपतसिंह

श्री श्रीभानसिंह बोल रहे थे कि सदन की बैठक ठीक ५-०० बजे सोमवार, दिनांक २९ फरवरी १९६० को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

सोमवार, दिनांक २९ फरवरी, ६० की कार्य-सूची

राज्यपाल महोदय के भाषण पर अग्रेतर वाद-विवाद।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४१ का उत्तर देखिये)

म्युनिसिपल कौंसिल, जयपुर

चौकड़ी हवाली शहर गर्वी बन्धा रावलजी पर मवेशियां बांधी जाती हैं और व्यापार होता है इस जमीन का ठेका निम्नलिखित शर्तों पर तारीख १-९-५९ से ३१-८-६०, एक साल के लिये दिया जावेगा.—

शरायत ठेका हस्बजेल है :

१. उपरोक्त स्थान जिसका नक्शा दफ्तर में देखा जा सकता है मवेशी बिचोती के लिये रखने की इजाजत होगी। मगर इस जमीन पर कोई तामीर किसी तरह की नहीं की जावेगी, सिर्फ मवेशी बांधने के काम में ही ली जावेगी।

२. ठेके की रकम एक चौथाई बोली लगाने के समय पर जब बोली खतम हो, जमा करानी होगी। बाकी ३/४ रकम मंजूर होने पर सूचना मिलते ही जमा करानी होगी। यदि सूचना मिलने पर रकम नहीं जमा कराई गई तो ठेका दुबारा नीलाम किया जावेगा। इस नीलाम में रकम में कोई कमी हुई तो जमा कराई गई चौथ रकम में से भराउ लेली जावेगी।

३. ठेकेदार को आरजी किराया १३ न० पै० एक दिन का बड़े जानवर का ६ न० पै० छोटे जानवर का मालिक जानवर से वसूल करने का हक होगा।

४. ठेकेदार जानवर बिचोती की सनद में हुलिया जानवर ४ आना (२५ न० पै०) प्रति जानवर प्राप्त कर खरीददार को दे सकेंगे।

५. ठेकेदार को जानवर की लीद गोबर इकठ्ठा करने व खुद काम में लेने या बेचने का अधिकार होगा। किन्तु यह उसकी जिम्मेदारी होगी कि वह इस जमीन पर पूरं तौर से सफाई रखें। सफाई के लिये जो आज्ञायें कार्यालय से जारी होंगी उन पर ठेकेदार को पूरा पूरा अमल करना होगा और म्युनिसिपल बाईलॉज़ के खिलाफ छाना थापने या इकठ्ठा करने का अधिकार उसे नहीं होगा।

६. ठेकेदार को जमीन हटवाड़े पर अपने निजी काम के अलावा अन्य थडियां इत्यादि रखना, किराया वसूल करने का हक नहीं होगा।

७. उपरोक्त लिखी हुई शर्तों की खिलाफ वर्जी करने पर म्युनिसिपल कौंसिल को अधिकार होगा कि वह ठेके को दुबारा नीलाम करें या अमानी में वसूल करें। उस सूरत में जो घाटा जेर ठेके में होगा अलावा कर्मचारियों की तनख्वाह के वसूल किया जावेगा।

म्युनिसिपल कमिश्नर
जयपुर

This deed of agreement made this day the 25th January, 1960 between Municipal Council city of Jaipur (which term shall include the Administrator, Municipal Council) hereinafter called the Council and Rao Ganpat Singh S/o Shri Rao Hemraj Singh resident of village and P.O. Nangli Godha District Gurgaon, Tehsil Rewari and Jahoor Mohammed s/o Shri Illahi Bux resident of Mohalla Shikariyan, Ghat Gate, Jaipur hereinafter called the Contractors.

Whereas the Council owns and possesses a plot of land measuring 800 ft. by 700 ft. situatd near Bundah Rawalji shown by yellow colour in the map annexed to this agreement as forming part of it and whereas weekly market for the sale and purchase of cattle is held on this land and whereas the Municipal Council has fixed and is entitled to charge thirteen N. P. per day for big cattle and six N. P. per day for smaller cattle as fee for temporary occupation of the land on Tek Bazari system and whereas the Council wants to lease out the collection of the fees for one year beginning from 1. 9. 59 to 31. 8. 60 and whereas the contracter has offered Rs. 10,000/- (Rupees Ten thousand) for the said contract which has been accepted by the Council vide Administrator's order dated 27. 7. 59, it is hereby agreed between the parties as below:—

1. That the contractors shall pay Rs. 10,000/- (Ten thousand) to the Council for the above contract for one year.

2. That the contractor shall have the right to collect the fees from the persons, who may keep the cattle on the said land as shown in the map annexed herewith on the scale as beolw:—

For big cattle.........Thirteen N. P. per day.
For smaller cattle.........Six N. P. per day.

3. That the contractor has paid Rs. 5000/- (Rs. Five thousand) to the Council and the rest of Rs. 5000/- shall be paid by the contactor to the Council on or before 31st March, 1960.

4. That the said contract has begun on 1.9.1959. and shall automatically expire on 31.8.1960.

5. That the contractor shall in no case realise more than the fixed scale.

6. That the land as shown in the map shall remain owned and poessessed by the Council.

7. That the contractor shall also have the right to certify the sale of a particular cattle and for such certificate he shall be entitled to charge twenty five N. P. from the purchaser.

8. That the refuse of the cattles shall be the property of the contractor.

9. That the weekly market for the sale and purchase of the cattles will be held on every Saturday. The contrator shall not have any right to hold the market on any other day or charge any fee for any cattle for any other day except Saturday.

10. That the contractor shall abide by all the byelaws of the Council pertaining to sanitation.

11. That if the contractor fails to pay Rs. 5000 (Rs. Five thousand) by 31st of March, 60, the Council shall be entitled to charge Rs. 12% per annum interest from the contractor.

12. That the land shall not be used for any other purpose except holding weekly market.

13. That both the persons namely Rao Ganpat Singh and Jahoor Mohammed who have taken the contract shall be Jointly and severally liable for the dues, if any, of the Council.

Hence this agreement made this day 25th January, 1 960 between the parties who have put their signatures in token of their respective consent.

sd. Ganpat Singh Rao
For Rao Ganpat Singh and Jahoor Mohammed.

Witnesses :

Sd. Roop Narain,
Sd. Raj Narain.

Sd. P. N. Kaul,
Administrator,
Municipal Council, Jaipur.

पिछले चार वर्षों में ठेके की वसूली सुदा रकम का कम्पेरेटिव स्टेटमेंट

५५–५६	५६–५७	५७–५८	५८–५९	५९–६० चालू वर्ष की
रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
२३००)	३६०५)	६०४०)	६०४०)	१०,०००

राव गणपतसिंह जहूर मोहम्मद ठेकेदार

नगरपालिका

हटवाडा रावलजी का बंधा, जयपुर

बुक नं० ६१ रसीद नं० ३००१

तारीख	नाम बेचने वाले का पिता का नाम जाति, निवास स्थान।	नाम खरीददार पिता का नाम जाति, निवास स्थान।	हुलिया	विवरण			
				तादाद	कीमत	तादाद	महसूल
							२५ नं० पै०

जोड़:

हस्ताक्षर बेचने वाला

हस्ताक्षर खरीददार

महता अफसर के हस्ताक्षर व पद

राव गणपतसिंह जहूर मोहम्मद

ठेकेदार

नगरपालिका

बुक नं०

रसीद नं०

हटवाडा रावलजी का बंधा, जयपुर

मवेशी मय बच्चा १६ नये पैसे

नगरपालिका

जहूर मोहम्मद एन्ड कम्पनी

हटवाडा रावलजी का बंधा, जयपुर

६६५१

मवेशी १३ नये पैसे

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४६ का उत्तर देखिये)

STATEMENT NO. A

Month	Department	Cases examined No.	Cases examined Amount.	Cases recommended for write off. No.	Cases recommended for write off. Amount.
September & Octogber.	Revenue	76	2,26,093.88	50	1,26,717.30
	Forest	11	54,044.31	3	3,510.31
	Excise & Tax.	4	21,278.73	4	21,278.75
		91	3,01,416.92	57	1,51,506.36
				Cases disposed of by the Govt. pertaining to Forest Deptt. at the instance of the Committee.	18,803.62
					1,70,309.98

1	2	3	4	5	6
Nov.					
Further in the month of Nov. 1959, 184 cases	Revenue	66	2,74,940.80	53	1,69,408.28
involving Rs. 3,75,790.86 have been examined by the	Excise & Tax.	67	31,210.35	45	14,138.15
Committe and 121 cases involving Rs. 2,49,799.14	Mines & Geology.	22	2,084.12	Figures under examination.	
have been rocommended for 'write off'. Department-	Forest.	25	67,024.32	23	66,252.71
wise details are roughly-	P. W. D.	4	1,531.27		
	Total.	184	3,75,790.86	121	2,49,799.14

The total of work done during 3 months is :—

275	6,77,207.78	178	4,20,109.12

In addition to the above, action to write off in one case of the Revenue Department involving an amount of approximately 3.30 crores was pursued and expedited by the O. S. D., (Shri Sinha) although the matter had been moved before the appointment of the Committee.

STATEMENT NO. B

Total outstandings :—

Department.	Amount.	
Revenue.	9,34,11,873.00	
Forest.	10,09,253.00	
Irrigation.	25,33,197.76	
P. W. D.	24,50,883.99	
Industries.	23,42,841.00	
Mines & Geology.	39,61,507.00	
Transport.	3,30,631.40	
Agriculture.	——	(not available)
Excise & Taxation		
State Excise	17,53,255.20	
Other taxes & duties.	13,57,997.58	
	10,91,51,439.93	

————

STATEMENT NO. C

Percentage of cases examined with reference to total outstanding arrears is as follows :—

Total outstanding arrears.	Total cases examined.	Cases recommended for write off.
10,91,51,439.93	275 involving Rs. 6,77,207.78	178 involving Rs. 4,20,109.12

Percentage with regard to irrecoverable arrears cannot be stated in view of reply to item (4).

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५६ का उत्तर देखिये)

वन विभाग राजस्थान राज्य

दिनांक ३१ जनवरी, १६६०, तक हुए बन्दोबस्त कार्य का विवरण

क्रमांक	नाम वन डिवीजन	अनुमानिक वन क्षेत्र वर्ग मीलों में	बन्दोबस्त कार्य हो चुका	क्षेत्र जिसमें कार्यवाही अवशेष है— वर्ग मीलों में
१	२	३	४	५
१.	जयपुर	२३५१.००	१.२५	२३४६.७५
२.	भरतपुर	६६७.००		६६७.००
३.	टौंक	३१६.००	२२.५४	२६३.४६
४.	कोटा	६११.००	१०७.१४	५०३.८६
५.	बूंदी	१२००.००	११५.२१	१०८४.७६
६.	झालावाड़	७५१.००	४.१७	७४६.८३
७.	बारां	६५७.००	—	६५७.००
८.	उदयपुर	४४८५.००	४१३.६०	४०७१.४०
९.	चितौड़गढ़	१३६३.००	६६५.६६	७२७.०१
१०.	बांसवाड़ा	१३१३.००	७५.५१	१२३७.४६
११.	सिरोही	१७१५.००	७.१५	१७०७.८५
१२.	जोधपुर	५७१.००	४३१.११	१३६.८६
१३.	अजमेर	३२१.००	१६८.६५	१५२.०५
	योग	१६६८१.००	२०१२.६२	१४६६८.३८

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५६ का उत्तर देखिये)

REVISED GRAZING RATES OF 1956 (ALWAR)

S. No. Name of cattle.	Gwara Rate.			Ordinary Rates.								
					No. 1		No. 2		No. 3		Remarks.	
	Yearly	Green grazing.	Dry grazing.	Yearly	Green grazing.	Dry grazing.	Yearly	Green grazing.	Dry grazing.	Yearly	Green grazing.	Dry grazing.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1. Buffalo.	10/-	5/-	6/-	8/-	4/-	5/-	5/-	2/8/-	3/0/-	3/-	1/8/-	2/-
2. Jhoti, Pada.	5/-	2/8-	3/-	4/-	2/-	2/8/-	2/8/-	1/4/-	1/8/-	1/8/-	-12/-	1/-
3. Cow, Bullock.	13/-	1/8/-	2/-	2/8/-	1/4/-	1/2/-	2/-	1/-	1/4/-	1/-	-/8/-	-/10/-
4. Osar Nata.	1/8/-	-12/-	1/-	1/4/-	-/10/-	-/12/-	1/-	-/8/-	--/10/-	-/8/-	--/4/-	-/5/-
5. Sheep Goat.	1/4/-	-10/-	-/12/-	1/-	-/8/-	-/10/-	1/-	-/8/-	-/10/-	1/-	-/8/-	-/10/-

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
6. Bakhda She Goat.	-/10/-	-/5/-	-/6/-	-/8/-	-/4/-	-/5/-	-/8/-	-/4/-	-/5/-	-/8/-	-/4/-	-/5/-	
7. Camel	6/-	3/-	4/-	6/-	3/-	4/-	6/-	3/-	4/-	6/-	3/-	4/-	or one rupee per month.
8. Horse, Mule	6/-	3/-	4/-	4/-	2/-	2/9/-	4/-	2/-	2/8/-	4/-	2/-	2/8/-	
9. Donkey	3/-	1/8/-	2/-	2/-	1/-	1/8-	2/-	1/-	1/8/-	2/-	1/-	1/8/-	

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३६ का उत्तर देखिये)

जनसंघ कार्यालय जिला भीलवाडा

सेवा में :

मुझ हजारी पिता छोंगा गूजर (घांगड) निवासी गंबुली तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा की निवेदन इस प्रकार हैं।

इस कांग्रेस शासन में मेरी जो इज्जत ली जा रही है वो निम्न प्रकार है कि आसोज सुदी नवरात्री में सब इन्सपेक्टर अमरसिंह जी जो अभी एस० पी०, भीलवाडा, के पेशगार हैं जो कोटड़ी आये और मेरे को कोटडी बुलाया और कहा कि तेरी छोटी औरत कानी को भीलवाडा सुपरिन्टेन्डेन्ट साहब के बंगले ले चल। जिस पर में इन्कार हो गया और फिर उसके दो दिन बाद थानेदार कोटड़ी अहमद बेग गंबुली आया और मेरे को कहा कि तेरी औरत को भीलवाड़ा सुपरिन्टेन्डेन्ट के बंगले पर लेकर चल। इस पर मेरे गांव के गोर्धनसिंह जी राजपूत हैं उन्होंने थानेदार कोटड़ी को कहा कि आप क्यों भेजते हैं ? तो थानेदार ने कहा के सहाब बुला रहे हैं, हमारे तो कोई इस पर जुर्म नहीं है। उस वक्त तो गोवर्धनसिंह जी के कहने पर मेरे को छोड़ दिया फिर अभी हाल में ता. २५. ११. ५६ को पेशगार अमरसिंह जी कोटड़ी आया और गोर्धनसिह जी जो मैने ऊपर नाम बताया है जो तहसील कोटड़ी में मुतर सुतार हैं जिनको ऊंट लेकर मुझे बुलाने भेजा मैं कोटडी में पहुंचा तो अमरसिंह जी तो जहाजपुरा चले गये और दीवान जी जो कोटडी थाने में हैं, उन्होंने कहा कि तेरी औरत को ३०. ११. ५६ भीलवाडा एस० पी० के पास लेकर जा, अमरसिंह जी कह कर गये हैं और वो जहाजपुर गये हैं और गोर्धनसिंह जी को भी अमरसिंह जी ने यही बात कही है और मैं भीलवाडा भगकर आया हूं। मेरी गरीब की कांग्रेस शासन में कोई सुनने वाला नहीं हैं। अगर आप की संस्था मेरी औरत की लाज रखे तो रह सकती हैं और मेरी भी नहीं। तो सुपरिन्टेन्डेन्ट साहब नाराज होकर मेरे ऊपर नामालुम क्या मुसीबत लावेगें, जिससे मेरी गरीब की बरबादी हो जावेगी और अमरसिंह जी यह भी मेरे को कहलाकर गये हैं कि ता. २८ को तेरी औरत को लेकर मेरे को कोटड़ी मिलना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। यह बात मेरे को सवार गोवर्धनसिंह जी ने कही है, जो आप के पास भग कर आया हूं।

ता २७. ११. ५६

द: गजराजसिंह हजारी गूजर के कहने से

द: हजारी ।

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण दिनांक २७ फरवरी, १९६०)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
२६४	१०	शुरू हगा	शुरू होगा
२७७	अन्तिम से ६	२४,	२४-२४
२८०	शीर्ष	कित प्रश्नोत्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर
,,	अन्तिम	पीनान्टी	पीनाल्टी
२८५	अन्तिम से ५	मैला शनिवार	मेला शनिवार
२९८	८	जावब देने	जवाब देने
,,	१०	श्री सतीशचन्ट्र	श्री सतीशचन्द्र
३०१	प्रथम	twoor	two or
,,	१२	epartments	Departments
३०२	१६	श्री पूनममचंद	श्री पूनमचन्द
३१०	१३	लौटन्शन	लो टेन्शन
३१२	प्रथम	किस रकार	कि सरकार
,,	अन्तिम से ८	अपने ड्युटी	अपनी ड्युटी
३१८	१५	पर भी	पर ही
३२१	प्रथम	बात कही थी उसके आधातो	बात कही थी उसके आधार
,,	१७	अमलो रूप	अमली रूप
३२४	८	बेरोजगार्ग	बे रोजगारी
३२५	४	मैं सुनना	मैं सुनाना
३२७	अन्तिम से ८	आपका इस	आपकी इस
,,	,, ,, ७	करता है	करती हैं
३२८	२३	पनपना चाहते	पनपाना चाहते
३३१	१०	उन्हेंने बतलाया	उन्होंने बतलाया
३३६	अन्तिम से २	इन्सपेक्र की	इन्सपेक्टर की
३३८	प्रथम	एडजोर्नमेंट	एडजोर्नमेंट
३४०	४	सर्मथन में	समर्थन में
,,	१५	इडिविजुअल	इन्डिवीजुअल
,,	अन्तिम से ३	thanother	than other
,,	अन्तिम	गुडिशियल	जुडिशियल
३४३	अन्तिम	वर्नमेंट	गवर्नमेंट

१	२	३	४
३४५	३ व ४	'तालाश	तलाश
,,	७	कहने क	कहने की
३४६	८	डिपाटमेंटल	डिपार्टमेंटल
,,	अन्तिम से ३	Severign	Sovereign
३४७	म	ries	rise
,,	७	कम के वल	काम केवल
३४८	अन्तिम से २	निकमन्डेशन्स	रिकमन्डेशन्स
३५०	८	ameliorting	ameliorating
,,	९	Machin ry	machinery
,,	१९	अप पास	अपने पास
,,	२५	efficlently	efficiently
,,	अन्तिम से ३	उटी सेनी–	उसी सेमी–
३५१	४	eqipqed	equipped
,,	१०	redisti	redistri
३५१	अन्तिम से ३	एग्रीकचर	एग्रीकल्चर
३५२	२३	productlon	production
,,	अन्तिम से ५	गवर्नरमेंट	गवर्नमेंट
३५४	१९	फुड	फूड
,,	अन्तिम से ४	पर हमारे खड़े	पर खड़े
,,	अन्तिम	सकती ह	सकती है।
३५५	२	उनके	उनको
,,	३	गवर्नरमेंट	गवर्नमेंट
,,	२७	फाइनेन्सियल	फाइनेन्शियल
३५६	४	था कि	था
,,	१०	ज रूर	जरूर
,,	११	If ear	I fear
,,	१४	iust	Just
,,	१९	कुछ भ	कुछ भी
,,	अन्तिम से २	थArа rgewts	था कि arrangements
३५७	प्रथम	replition	repetition
,,	द्वितीय	stata ment	statement
३५८	अन्तिम से २	progres	progress.
३५९	२	सुखाड़या	सुखाड़िया
,,	११	हं कि	हूं कि
३६१	७	भेरा	मेरा

(२)

१	२	३	४
३६२	२	उनके बोड	उनके बोर्ड
,,	५	fig res	figures
३६५	७	के प्रत्यन	के प्रयत्न
३६६	१५	मद्दे भजर	मद्देनजर
३६८	प्रथम	अगूर	अंगूर
,,	२३	कत्तव्यों को	कर्त्तव्यों का
३६९	४	जिम्मेदारियों	जिम्मेदारियां
,,	१६	होना चाियॆ	होना चाहिये
३७०	अन्तिम से ६	किया गया	दिया गया
३७२	६	वह था	था
,,	७	रक बाहर	कर बाहर
३७४	अन्तिम से २	फैसले हए	फैसले हुए
३७६	१६	भाव बांधेगों	भाव बांधेंगी
,,	२५	बढगी	बढ़ेगी
३७८	२३	देखते की	देखने की
३७९	अन्तिम से ५	बाद हम	बाद भी हम
३८०	१२	रुपया का	रुपयों का
३८१	२३	अभ हमने	अभी हमने
३८४	१८	मिलेता है	मिलता है
३८५	२४	टीक सके	टिक सकें
३९५	अन्तिम से ८	इन्सिीट्यूशन	इन्स्टीट्युशन
३९८	३	केबरते	के ास्ते
,,	१३	सब्जक्ट	सब्जेक्ट
३९९	२५	भी दूसरे	दूसरे भी
४००	१	स्थायी 'शासन	स्थायी शासन की
४०३	२३	ने टेक्नी–	ने टैक्नो–
४०७	२२	ॉक्टरों	डॉक्टरों
,,	२५	राजस्था	राजस्थान
४१०	१६	वह रिपो	वह रिपोर्ट
४१२	२	गड्ढे है पड़	गड्ढे पड़
४१५	अन्तिम से ३	दूसरी और	दूसरी ओर
४१९	११	सिस्टम लाग	सिस्टम लागू
४२२	शीर्ष	जगदीशप्रसाअ	जगदीश प्रसाद
,,	६ व ११	में पपाश्नेट	में प्रपोर्शनेट

१	२	३	४
४२३	१	लोगो	लोगों
,,	१३	उनका देखें।	उनको देखें।
,,	२३	हुए है	हुए हैं।
४२५	२४	नाकर करना	नौकर करना
४२७	११	श्रोर थर्ड	श्रौर थर्ड
४३०	५	हाथ कर्घा	हाथ कर्घा
४३३	२५	हाती तो	होती तो
४३४	१८	सेट प्रिन्सियल्स	सैट प्रिन्सिपल्स
४३६	अन्तिम से ८	प्रोहयूस किये है	प्रोड्यूस किये हैं
४४५	११	ए-कदो	एक-दो
,,	१५	कमचारियों	कर्मचारियों
४६३	२४	फूट्स	फ्रूट्स
४६६	अन्तिम	(घंटी)	(घंटी व कुछ व्यवधान)
४६७	प्रथम	व कुछ 'व्यवधान' do.	Do.
४६६	६	ए सा भी	एक पैसा भी
४७६	५	रोड हर	रोड पर
४७६	६	situatd near	situated near
४८३	प्रथम कॉलम के नीचे	Octogber	October